राजस्थान विधान सभा

६३वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक २७ अगस्त, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री अध्यक्ष द्वारा पदासीन होने के पश्चात् कुछ सदस्यों के आगमन पर)

श्री अध्यक्ष—Did you propose to meet at 8.30 or 9.00 or 10.00 ?

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १६४४

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीलाल चौधरी।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-यह प्रश्नोत्तर बाद में लिया गया)

(विराम)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १६४१

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् किशनगढ़ सब डिविजन में विभिन्न वर्षों में कत्ल

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद किशनगढ़ सब डिविजन में किस किस साल में कितने व्यक्तियों के कत्ल हुए ?

(ख) उक्त व्यक्तियों के कत्ल के कितने मुकद्दमे फैसल हो चुके हैं और कितने अदालत में विचाराधीन हैं ?

(ग) कितने मुकद्दमों में मुलज़िमों को सजा हुई कितनों में मुलज़िम रिहा कर दिये गये ?

Page No.2

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री गृह मंत्री की अनुपस्थिति में)—(क) कुल १६ कत्ल हुए।

१६४६	में	६
१६५०	में	३
१६५१	में	३
१६५२	में	२
१६५३	में	२
१६५४	में	२

(ख) सब के फैसले हो चुके हैं।

(ग) १६ में से १० केस अदालत में चालान किये गये। उनमें से ७ मामलों में सजा हो चुकी है और तीन डिस्चार्ज हुए।

श्री चांदमल मेहता—क्या कभी इस बात की जांच की गई है कि जो मामले फैसल हुए हैं उनमें से कितने मामलों में पुलिस द्वारा इन्वेस्टीगेशन में की गई खामियों की वजह से खारिज़ हुए हैं ?

श्री रामकरण जोशी—पुलिस वालों का मुकद्दमा बना कर देने का काम होता है। अभी कोई ऐसा ध्यान में नहीं आया है।

श्री चांदमल मेहता—इस सम्बन्ध में कभी कोई जांच की गई है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामकरण जोशी—हमेशा जांच होती रहती है ?

श्री चांदमल मेहता—इन मामलों में किस अफसर ने जांच की ?

श्री रामकरण जोशी—सभी मामलों में अफसरों द्वारा होती है।

श्री चांदमल मेहता—किस अफसर द्वारा जांच हुई, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग से सवाल पूछिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इस तरह की शिकायत आई है कि पुलिस ने फलां फलां मामलों को जान बूझ कर बिगाड़ा ?

श्री रामकरण जोशी—उसकी जांच हो चुकी है।

श्री चांदमल मेहता—वह जांच किस अफसर द्वारा की गई और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री रामकरण जोशी—यही परिणाम निकला कि यह नहीं हुआ।

श्री चांदमल मेहता—वह मुकद्दमा कौनसा था जिसके लिए जांच की गई ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग से सवाल पूछिये।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय सदस्य को व्यक्ति विशेष में क्यों इतनी दिलचस्पी है ?

श्री चांदमल मेहता—पुलिस द्वारा यदि मुकद्दमे बिगाड़ दिये जावें तो सार्वजनिक हित में सदस्यों का दिलचस्पी रखना आवश्यक है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि कत्ल करने वालों को सजा नहीं मिलने से गुन्डागर्दी को प्रोत्साहन मिलता है ?

श्री रामकरण जोशी—सजा देना अदालत का काम है और उसको यहां बताना सरकार के हित में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—यह ठीक है कि सजा देना अदालत का काम है, किन्तु जो मुकद्दमें पुलिस की लापरवाही के कारण बिगड़ जाते हैं उनके सम्बन्ध में कोई सरकार के पास योजना है क्या ?

श्री रामकरण जोशी—पुलिस अपना वश चलते पूरी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करती है, किन्तु सबूत ठीक समय पर बिगड़ जाते हैं; इस कारण मुकद्दमों में नाकामयाबी होती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो मुकामी सबूत होते हैं वे क्या पुलिस द्वारा पेश नहीं किये जाते, इस कारण मुकद्दमें बिगड़ जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—पुलिस द्वारा जो मुकद्दमें दायर किये जाते हैं उन मुकद्दमों में कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश की जाती है, उनकी नियत में शक करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं करनी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कोई जांच कमीशन बैठाने को तैयार हैं कि पुलिस द्वारा गड़बड़ी करने की वजह से मुकद्दमें बिगड़ जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—सदन में दी गई जानकारी के आधार पर कोई कमीशन सरकार बिठाने को तैयार नहीं है।

प्रश्न संख्या १६४६

श्री अध्यक्ष—श्री संतोषसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १६४७

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् पी. टी. एस. किशनगढ़ में छात्रों को ट्रेनिंग

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद पी. टी. एस. किशनगढ़ में कितने छात्रों को ट्रेनिंग दी गई ?

(ख) उक्त छात्रों में उनकी संख्या कितनी है जो ट्रेनिंग के पूर्व राज्य की सेवा में नहीं थे ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सभी छात्रों को सरकार में नौकरी दे दी गई है ?

(घ) ऐसे कितने छात्र हैं जिनको रिक्त स्थान न होते हुए भी सर्विस में लिया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी—(क) ३४३।

(ख) २१४।

(ग) जी हां।

(घ) एक भी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जितने छात्र प्रतिवर्ष ट्रेनिंग पाते हैं उतने ही वापिस नौकरी में रख लिये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ट्रेनिंग उतनों को ही दी जाती है जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

Page No.5

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है प्रतिवर्ष ट्रेनिंग के सम्बन्ध में छात्रों की कमी-बेशी हुआ करती है आवश्यकता के मुताबिक ?

श्री रामकरण जोशी—अब तक जितने छात्रों की जरूरत थी उतने ही हमको मिले हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के बाद ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों की संख्या करीब २ बराबर प्रतिवर्ष रहती है ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, इसमें फर्क है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन छात्रों को काम पर लगाने में प्रतिवर्ष कुछ स्थान और बढ़ा दिये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इन स्थानों की आवश्यकता है। केवल नियुक्ति के लिए नहीं बढ़ाये गये, बल्कि इतने व्यक्तियों की जरूरत रहती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—सी. टी. एस. की ट्रेनिंग के लिये जो छात्र जाते हैं उनमें से अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान निर्धारित हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जो रेश्यो सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये दूसरी जगह के लिये रखा है उसी के मुआफिक इसमें भी उनको स्थान दिया जाता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—गत वर्ष कितने छात्र अनुसूचित जातियों के लिये गये ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल अलग से पूछना चाहिये।

प्रश्न संख्या १६४८

सांचोर तहसील में अस्पताल तथा औषधालय तथा नेहड क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) संचोर तहसील में कितने अस्पताल व औषधालय हैं ?

(ख) क्या नेहड एरिया में भी कोई अस्पताल है ?

(ग) क्या यहां पर मलेरिया का प्रकोप है ?

Page No.6

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(घ) क्या वहां के लोगों की आयु मलेरिया के फलस्वरूप ४० वर्ष से कभी भी अधिक नहीं होती ?

(ड) उपरोक्त स्थिति को सुधारने के हेतु क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है ?

(च) उपरोक्त विषय के लिये राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता दी गई है, और क्या दी जाने वाली है; सांचोर तहसील को इसमें से कितनी सहायता दी गई है ?

(श्री स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति में)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(क) एक अस्पताल सांचोर में व दो औषधालय भाव और जानवी में पहिले से विद्यमान हैं। हाल ही में तीन एडपोस्ट बालासर, चितलवाणा, भवातरा में खोले गये हैं।

(ख) उपरोक्त अस्पताल व औषधालय व एडपोस्ट नेहड एरिया के लिये ही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) आयु दूसरी जगह से कम है।

(ड) सरकार योजना बना रही है। तीन एडपोस्ट खोल दिये गये हैं और एंटी-मलेरिया यूनिट कुछ दिनों में वहां रख दिया जायगा। विशेष योजना भारत सरकार के विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने पर बनाई जायगी।

(च) भारत सरकार ने एक विशेषज्ञों की टीम भेजी थी, जिसने दौरा कर लिया है। अभी कोई और सहायता भारत सरकार से नहीं दी गई।

श्री मोहम्मद अब्दुल हादी—ये जो तीन अस्पताल आपने खुलने बताये हैं वे किस तारीख को खुले हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसी वर्ष खुले हैं।

प्रश्न संख्या १६४९

ढसूक ग्राम में डकैती तथा डकैती का बरामदशुदा माल

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.7

[श्री चांदमल मेहता]

(क) ढसूक ग्राम में कब कितने रुपये की डकैती हुई ?

(ख) उक्त डकैती में कितना माल कब बरामद कराया गया ?

(ग) उक्त माल को संबन्धित व्यक्तियों को अब तक नहीं लौटाने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—तारीख १७.६.५२ को २३,५५२।) रु० की डकैती हुई। उसमें से ४११) रुपये का माल का बरामद हुआ १६.६.५२ को।

बरामद हुए माल को लौटाया जायगा, जब कि अपील की मियाद खत्म हो जायगी। उन मुकद्दमे के अपराधियों को सजा हो चुकी है।

श्री चांदमल मेहता—उनको सजा होने का फैसला कब हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि फैसला हो चुका और अपील की मियाद भी निकल चुकी, फिर भी माल मालिक को नहीं लौटाया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—अपील की मियाद समाप्त होने पर माल लौटा दिया जायगा। अगर ऐसी बात होगी कि नहीं लौटाया गया है तो सरकार इस संबन्ध में ध्यान देगी।

प्रश्न संख्या १६५०

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-यह प्रश्नोत्तर बाद में लिया गया है)

प्रश्न संख्या १६४४

राजस्थान की चलती फिरती कुछ जातियों के व्यक्तियों को सन् १९५१ की जन गणना में सम्मिलित करना

श्री मोतीलाल चौधरी—क्या मुख्य मंत्री निम्मिलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) सन् १९५१ की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जाति के लोगों को, जो कि सर्वदा चलती फिरती रहती हैं, गणना में शामिल किया गया है या नहीं ? अगर हां, तो इन जातियों की कुल संख्या क्या है ?

Page No.8

[श्री मोतीलाल चोधरी]

१. गाड़ी लुहार,

२. बन बावरी ।

३. सांसी।

४. बनजारा ।

५. नट,

६. बागरिया,

(ख) सरकार ने इन लोगों को स्थायी रूप से बसाने के लिये क्या कोई व्यवस्था की है ?

(ग) अगर हां, तो क्या ?

श्री रामकरण जोशी—(क) हां । संख्या गुप्त रखने का भारत सरकार का आदेश है ।

(ख) और (ग) हां, भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये सहायता देना, उनको बसाने की कोशिश करना, माली सहायता देना, खेती के लिये, कुओं के लिये, सिंचाई के लिये, सहायता देना गृह निर्माण के लिये सहायता देना, आदि ।

श्री मोतीलाल चोधरी—क्या उनके लिए आज तक कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री रामकरण जोशी—यह मामला बेकवर्ड क्लास का है, आपको उनसे पूछना चाहिए ।

श्री मोतीलाल चौधरी—मैंने जो प्रश्न पूछा था कि उनको बसाने के लिए आज तक क्या व्यवस्था की गई है, इसका उत्तर मिलना चाहिये ?

श्री रामकरण जोशी—आपने प्रश्न मुख्य मंत्री से पूछा था, उसका जवाब दे दिया गया । उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बेकवर्ड क्लास मन्त्री को पूछिये ।

श्री अध्यक्ष— (श्री रामकरण जोशी से) क्या आप १६५० का जवाब देना चाहते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—हां ।

प्रश्न संख्या १६५०

अलवर के डिप्टी कस्टोडियन की नियुक्ति तथा नियुक्ति की शर्तें

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer ;—

Page No.9

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(1) When was the authorised Deputy Custodian (Alwar) appointed by the Government and on what terms ?

(2) Is it a fact that before his appointment as authorised Deputy Custodian he was working as the Government Advocate at Jodhpur, and he was required to quit that job before the expiry of his term because there were some adverse reports against him by the Chief Justice ?

(3) Is it a fact that formerly the authorised Deputy Custodian was appointed temporarily for six months and subsequently the term was extended for further six months without the consultation of the P. S. C. ? If so, why was the P. S. C. not consulted ?

(4) Is it a fact that the post of the authorised Deputy Custodian is put in the grade of 400-25-600 ? Is the present incumbent drawing more than the prescribed minimum pay ? If so, please state reasons for giving him this higher salary ?

(5) Was the post advertised before the appointment of the present incumbent was made to this post ?

(6) What are the qualifications of the present incumbent ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) नवम्बर, सन्, १९५३ को ७००) नियत वेतन पर नियुक्ति की गई।

(२) जी हां, उस समय गवर्नमेंट एडवोकेट की जगह पर जोधपुर में काम कर रहे थे, किन्तु यह कहना सही नहीं है कि इनके विरूद्ध चीफ जस्टिस की तरफ से कोई शिकायत थी और इन्हें समय से पूर्व हटने के लिये कहा गया था।

(३) जी हां, यह ख्याल करते हुए कि बाकी मुकद्दमात छः महीने में फैसल हो जायेंगे, इन्हें छः महीने के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था किन्तु बाद में उक्त काम पूरा न होने के कारण भारत सरकार ने इस पद के काल की वृद्धि ३१-८-५४ तक के लिए कर दी। पहिली बार केवल छः महीने के लिए नियुक्ति की गई थी, अतः पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था। परन्तु अब उस काल में छः महीने की वृद्धि और की गई है। अतः पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफरेन्स भेज दिया जायगा।

[श्री रामकरण जोशी]

(४) डिप्टी कस्टोडियन के पद का निर्धारित वेतन २५०-२५-५०० है । श्री कुंवर बहादुर माथुर ऑथोराइज़ डिप्टी कस्टोडियन होने के नाते ७००) वेतन पाते हैं, जिस पद का कि कोई निश्चित वेतन नहीं है ।

(५) नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी ।

(६) बी. ए. एल एल. बी. ।

श्री अध्यक्ष—The question hour is over

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ।

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री लालसिंह शक्तावत ने २७ अगस्त, १९५४ से ३० अगस्त, १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Yes, clause D.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्षजी, क्लॉज़ १६ सी सी और १६ डी और १६ डी डी और इसके क्लॉज़ेज़ के आगे के जवाब अन्तिम रूप में मैं बाद में देना चाहूंगा । उनको आप अभी पेन्डिंग रखने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ २३ ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—इसका भी जवाब बाद में देना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य—१६ डी डी तो अभी मूव ही नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—Yes, Clause 16 DD. There is only one amendment to this clause by Shri Nathu Ram Mirdha.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—इसमें डी डी है तो नहीं साहब ?

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Inclusion of a new clause.

श्री अध्यक्ष—१६ डी डी सर्कुलेट हुआ है, इन्सर्शन के लिए।

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा।

(अनुपस्थित)

We take it as not moved. Members have not the heart in taking part in these discussions.

श्री जवानसिंह—Really speaking this question should be postponed.

श्री अध्यक्ष—But the list of was circulated.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—It's true. इसको अभी पेन्डिंग रख दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—But the list was circulated.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—It's true. फिर भी इसे पेन्डिंग रख दिया जावे। इससे अमेन्डमेन्ट के भी बने रहने का और उन पर विचार करने का कॉन्स्टीट्यूशनल रास्ता हो जावेगा। नहीं तो आज तो अमेन्डमेन्ट भी पेश करने वाले उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—I have no objection if the House so allows.

(विराम)

We go ahead.

फिर कुछ तो बिजनेस ट्रान्जेक्ट करना होगा।

(विराम)

३३-३४ को भी पेन्डिंग रखना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

Page No.12

श्री अध्यक्ष—अच्छा ।

Then I take it as the wish of the House to allow this amendment to be moved further.

खंड ३५

Yes, 35. Right to sub-let. Shri Kishan Lal Shah.

(अनुपस्थित)

श्री हिम्मतसिंह—मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री साहब से निवेदन करूंगा कि ये सब inter-connected क्लॉज़ेज हैं, क्योंकि इसका भी सम्बन्ध क्लॉज़ १६ से बहुत है; इसलिए इसको भी आगे लिया जावे तो अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—सम्बन्ध की जो बात आपने कही वह वैसा नहीं है। क्लॉज़ १६ कम्पेन्सेशन का क्लॉज़ है और इसका एक पोर्शन तो हम स्वीकार भी कर चुके हैं। तो इसलिए इसको पोस्टपोन करने की आवश्यता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—It will be convenient to the Treasury Benches because the Members who want to move the amendments are not present. I call another amendment.

(विराम)

Yes, Shri Mathur.

श्री हिम्मतसिंह—He too is absent, Sir.

श्री अध्यक्ष—So should I take this amendment as dropped or keep it pending ?

श्री जवानसिंह—According to the Rules of procedure once an amendment is called and the member who tables it is not present, it is dropped.

श्री अध्यक्ष—Unless the House gives its consent otherwise.

—

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Unless the Minister in charge wants otherwise.

श्री अध्यक्ष—The Minister also is in the hands of the House.

एक माननीय सदस्य (राजकीय पक्ष)—Keep it pending.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कि रूल्स इस मामले में बिल्कुल साफ हैं। कि जब एक अमेन्डमेन्ट को मूव होने के लिए नाम कॉल होता है और अगर वह अनुपस्थित हैं तो इसके तो बिल्कुल स्पष्ट माने हो जावेंगे कि अमेन्डमेन्ट ड्रोप हो गया। इसके लिए सदन की कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The rules are vary clear, but the House is above Rules.

श्री जवानसिंह—ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हाउस अपने रूल्स अमेंड कर ले, तो इसके पश्चात् इसके लिए कोई एतराज की बात नहीं रह जावेगी।

श्री अध्यक्ष—No, no. For the present I have dropped this amendment to be moved by Shri Mathura Das Mathur.

Then we come to clause 35.

35. Should I put it to vote or keep it pending ?

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस)—Pending.

श्री अध्यक्ष—Why pending ? There are no amendments.

The House does not want to discuss.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Put it to vote, Sir.

(विराम)

श्री श्यामलाल गोयल—मैं इस पर दो शब्द कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ ३५ सबलेटिंग के लिए टिनेन्ट को क्या क्या अख्तियारात हैं, यह निर्धारित करता है।

खण्ड ३५ में 'खातेदार' और 'गैरखातेदार' दोनों तरह के टिनेन्ट्स को सबलैट करने का अख्तियार दिया गया है। गैरखातेदार टिनेन्ट को एक साल का अख्तियार दिया है कि एक साल के

[श्री श्यामलाल गोयल]

लिए वह सबलेट कर सकता है और 'खातेदार' को पांच साल का अख्तियार दिया गया है कि वह पांच साल तक कर सकता है।

यह जिस तरह का क्लॉज़ है उसको पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह जो प्रोविजन है वह पहले के सब टिनेन्ट के लिए लागू नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स था और उसकी तहत जो भी सब टिनेन्ट थे उनको संरक्षण प्राप्त था कि वे अपनी जमीन से बेदखल न किये जावें। चुनाचे सन् १९४८ से सन् १९५४ तक यानि ६ साल तक बराबर सब टिनेन्ट उस राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स के संरक्षण के मातहत इन जमीनों पर काबिज रहे सब टिनेन्ट्स की हैसियत से। यानि इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों की सब टिनेन्सी की अवधि ६ साल आलरेडी हो चुकी। इस दफा की तहत एक टिनेन्ट दूसरे सब टिनेन्ट को एक खुदकाश्त होल्डर दूसरे खुदकाश्त टिनेन्ट को ५ साल से ज्यादा मियाद के लिए नहीं रख सकता, ऐसा इसमें स्पष्ट प्रोविजन है। अब ऊपर बताये हुए हिसाब से जिनको कमसे कम ६ साल की अवधि हो गई है उनके लिए क्या होगा? उनकेलिए क्लॉज़ १२८ में खातेदारी राइट्स एक्वायर करने का राइट पैदा हो जावेगा, तो मैं यह चाहता था कि इसमें यह क्लियर कर दिया जावे कि यह प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट ऑर्डीनेन्स जितने अर्से तक जारी रहा वह मियाद इसमें शुमार नहीं की जावेगी। पांच साल की मियाद में ऐसा प्रोविजन कर दिया जावे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो टिनेन्ट एक दफा सब टिनेन्ट को दे चुका उनको फिर कोई अख्तियार नहीं होगा कि वे उससे खाली करा सकें और वे एक तरह से एक तरफ तो राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट ऑर्डीनेन्स के अनुसार खाली नहीं करा सकें, दूसरे अब यह सवाल होगा कि ६ साल तो हो चुके और ५ साल तक इस कानून की तहत में खाली नहीं करा सकते हैं।

इसलिए जब तक इस क्लॉज़ को प्रोस्पेक्टिव न बनाया जावे कि पिछले जो सब टिनेन्ट्स हैं उन पर यह लागू न रहे, ऐसा जब तक स्पष्ट न कर दिया जावे तब तक मैं यह समझता हूं कि पहले से जो चले आ रहे हैं उन टिनेन्ट्स को नुकसान पहुंचेगा और उन्हें अपनी जमीनों को छोड़ना पड़ेगा जो कि राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स की तहत में अपनी जमीनों को सब टिनेन्ट्स को बतला चुके हैं।

श्री त्रिवेणी श्याम—यह जो प्रोविजोन इस दफा ३५ में लगाने की कोशिश की गई है वह इसमें न लगाकर १२८ में लगाना चाहिए और वह वहां ज्यादा मौजू रहेगा। इस प्रोवीजोन में न लगाकर वह वहां रहना चाहिए तो सही रहता है। इसमें वह प्रोवीजो किसी सूरत में ठीक नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, श्री माथुरदासजी ने जो अमेंडमेंट किया था वह नहीं है इसलिए उनके बजाय मैं इस अमेंडमेंट को मूव करता हूँ इसलिए यह मेरा ही अमेंडमेंट समझा जाय। इसमें कुछ फ्रेजोलाजी गलत है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है और हाउस की यह

[श्री सोहनलाल भटनागर]

परम्परा चली आ रही है कि यहां सदन के अन्दर भी अमेंडमेंट पेश किये जाते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है।

श्री जवानसिंह—ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, पहला निवेदन तो मेरा यह है कि जो कहा गया है कि माननीय श्री मथुरादास माथुर का अमेंडमेंट मूव किया है वह सही नहीं है, और एतराज मेरा इसलिए है कि आप जो अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं वह आपकी तरफ से पहले नहीं आया है,इसलिए यह अमेंडमेंट कन्सीडर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सोहनलाल भटनागर--मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि यह उनका अमेंडमेंट नहीं समझा जाय और मेरा ही अमेंडमेंट समझा जाय और हाउस के इधर और उधर के माननीय सदस्यों को, चूंकि यह अमेंडमेंट बहुत ही फॉर्मल है, लैंग्वेज क्लियर करने का है, कोई आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति,पदासीन)

श्री भैरोंसिंह (वि सं० १६)—माननीय चेयरमेन महोदय, इसमें जो संशोधन श्री मथुरादासजी माथुर ने प्रस्तुत किया था वह ड्रोप होगया। दूसरा संशोधन उनकी तरह ही माननीय सदस्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। उस संशोधन के संबन्ध में हमें कोई सूचना नहीं है। न मालूम किस प्रकार का संशोधन है ? इसलिए ऐसे संशोधन की कोई इजाजत नहीं दी जाय और इस क्लॉज़ को पास करवाने के लिए सदन में वोट ले लिये जांय।

श्री सभापति—हाउस के सामने श्री मथुरादास माथुर का जो अमेंडमेंट है वह मूव नहीं होने के सबब से ड्रोप समझा गया, लेकिन श्री सोहनलाल भटनागर ने श्री मथुरादास माथुर के अमेंडमेंट पर दस्तखत करके यहां पर पेश कर दिया है। इसका मतलब यह समझा जाय कि श्री मथुरादास माथुर का अमेन्डमेन्ट वह मूव करना चाहते हैं। क्लॉज़ ३५ पर श्री मथुरादास माथुर का जो अमेंडमेंट है उनके यहां उपस्थित नहीं होने से ड्रोप हो गया, लेकिन श्री सोहनलाल भटनागर उसी अमेंडमेंट को मूव करना चाहते हैं अपने दस्तखत करके, इसलिए एक स्लिप पर दस्तखत करके भेज दिया है।

वैसी तो क्लॉज ३६ ऑफ दी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में २ दिन की अवधि अमेंडमेंट मूव करने के लिए जरूरी है, लेकिन हाउस का ऐसा प्रोसीजर रहा है कि अमेन्डमेन्ट्स एन वक्त पर मूव किये गये हैं, और उसकी इजाजत हाउस में दे दी गई है ? इसलिए मैं श्री सोहनलाल को यह जो क्लॉज़ ३५ पर अमेंडमेंट है, मूव करने की इजाजत देता हूँ।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, मैं क्लॉज़ २५ के अन्दर जो यह :

"A tenant may sub-let the whole or any part of his holding under such restrictions' है उसमें शब्द under" के बजाय "subject to करना चाहता हूं। यह ज्यादा अच्छा है। 'अन्डर' के बजाय ज्यादा लीगल है।

दूसरा जो प्रोवीजो इस क्लॉज़ में दिया गया है उसके बजाय इस प्रकार से हो ;

"Provided that no such sub-letting shall in any way diminish the liability of the tenant to his landholder" उस प्रोवीजो के बजाय यह प्रोवीजो एड करना चाहता हूँ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हाउस मेरे इस अमेंडमेंट को मन्जूर करे। सेन्स में कोई विशेष फर्क नहीं है। इसमें वर्ड 'रिलीव' जो कि प्रोविजो की सब क्लॉज़ (१) में है उसके बजाय वर्ड 'डिमिनिश' लिख दिया गया है और सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करना चाहता हूँ! मेरा निवेदन है कि इसमें कोई ज्यादा सिद्धान्त का सवाल नहीं है। इसको देखते हुए मेरे अमेंडमेंट को पास करें।

आपजी श्री रघुराजसिंह—ओन ए प्वोइन्ट ऑफ इनफॉर्मेशन, सर, आपका जो अमेंडमेंट प्रोविजो के मुतल्लिक है वह प्रोविजो नं० १ के लिए है या (२) के लिए या नं० (१) एन्ड नं० (२) दोनों के लिए ?

श्री सोहनलाल भटनागर—यह जो प्रोविजो एड किया जा रहा है वह बिल्कुल साफ वर्डिंग में दिया गया है। उसके बाद क्या एम्बीग्युइटी रहती है ?

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, अभी जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। वैसे अभी संशोधन प्रस्तुत करते वक्त बहुत ही साधारण तौर पर बतलाया गया है कि इसमें केवल शब्दों में हेरफेर के अलावा कोई असर नहीं होने जा रहा है, लेकिन मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का एक संशोधन उन्होंने पेश किया है, उसमें एक बहुत ही गम्भीर महत्व का प्रश्न है, और इस संशोधन के जरिये वे सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त, इन दोनों को, जो पुरानी धारा में सबलेटिंग नहीं करने का उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया था, उस प्रतिबन्ध को यहां पर उन्होंने हटा दिया है। इसका अर्थ यह होगा कि हरेक सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को अधिकार है कि जिस प्रकार चाहे जितने अरसे के लिए अपनी उस जमीन को सबलेट कर सकता है और मेरी यह मान्यता है कि सदन इस बात के लिए कतई रजामन्द नहीं हो सकता है कि किसी सबटिनेन्ट या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को और सबलेटिंग के अधिकार दे दिये जायं। आप गम्भीरतापूर्वक सोचेंगे, माननीय चेयरमेन महोदय, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को विशेष अधिकार देने जा रहे हैं, लेकिन उन अधिकारों को प्राप्त करने से पहले उनको और ज्यादा बड़े यहां पर अधिकार देने जा रहे हैं। इन दोनों में कोई सामन्जस्य नहीं बैठता है। एक तरफ तो हम खातेदार टिनेन्ट्स और खुदकाश्त होल्डर के लिए

Page No.17

[श्री जवानसिंह]

सबलेटिंग के अधिकार केवल ५ वर्ष के लिए सीमित रखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अर्से के लिए, और फिर, कुछ वर्ष तक अपने पास जमीन को रखकर तत्पश्चात् फिर सबलेटिंग कर सकता है। दूसरी तरफ यहां पर सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को जहां तक सबलेटिंग करने का सवाल है उसमें १० कदम आगे बढ़ जाते हैं, अगर इस संशोधन को मन्जूर करते हैं तो। इस संशोधन को मन्जूर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कोई वजह पैदा नहीं होती है कि सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को सबलेटिंग करने का अधिकार दिया जाय। यह दलील हो सकती है कि आगे की धाराओं में शायद सबलेटिंग के लिए सबटिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के लिए उसी प्रकार की रोक लगा दी गई है जो कि इस वक्त यहां पर पहले ओरीजिनल क्लॉज़ में थी, लेकिन उस धारा के कन्सीडर करने के वक्त उस चीज को सोचेंगे कि आया इस प्रकार का प्रतिबन्ध आवश्यक है या नहीं। लेकिन जब तक हम इस धारा तक पहुंचे, उसके ऊपर किस तरह के हम अख्त्यार देंगे, उससे पहले हम इस चीज को तय करने जा रहे हैं कि सब टिनेन्ट्स या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को सब-लेटिंग के मामले में सुविधा दें कि वह १० साल, २० साल या ३० साल के लिये सबलेटिंग कर सकें। जब उनका कोई दोष नहीं है तो कुछ समय के लिये सब-लेटिंग हो सके, इस प्रकार का अधिकार, जब टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त का अधिकार सीमित है, कुछ समय के लिये उसको अधिकार हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में यह कैसे मंजूर किया जा सकता है कि एक आदमी जिसके पास सीमित अधिकार हैं वह दूसरे को असीमित अधिकार दे। इसलिये जो हम ३५ (२) को डिलीट करते हुए सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को सब लेट करने का अधिकार ३० या ३५ साल का देने की इस प्रकार की धारा में मंजूर करेंगे तो बहुत ही गलत बात होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह बहुत गलत है। पुरानी रियासतों के जो टिनेन्सी एक्ट्स हैं उनमें भी इस प्रकार की धारायें नहीं मिलती है जहां टिनेन्टस पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध मौजूद है, लेकिन आप इस प्रकार का प्रतिबन्ध हटाकर उनको पूर्णाधिकार दे रहे हैं कि वह जब तक के लिये चाहे तब तक के लिये सब लेट कर सकता है। इस प्रकार के अधिकार आप देने जा रहे हैं तो यह किसी तरह भी ठीक नहीं है। न पुरानी रियासतों के टिनेन्सी लॉज़ में ऐसी बात थी और न दूसरे प्रान्तों के टिनेन्सी लॉज़ में ऐसी बात है।

श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा—चेयरमेन महोदय, इस अमेंडमेंट पर जो आपत्ति प्रकट की जा रही है वह तो रिलीव के बजाय 'डिमिनिश' करने की है और दूसरी आपत्ति सब-टिनेन्ट्स और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को फरदर लीज करने का अधिकार देने पर आपत्ति की जा रही है और आपत्ति इस बात पर की जाती है कि यदि इस क्लॉज़ को हटा देते हैं तो सब-टिनेन्ट और खुदकाश्त टिनेन्ट को सबलेट करने के लिये काफी चान्सेज़ मिल जाते हैं। लेकिन हमेशा जो कानून होता है वह पोज़िटिव होता है। जो हक दिये जाते हैं वे किसी तरह का प्रोविज़न रखकर दिये जाते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन का क्लॉज़ है कि लोग सब-लेट नहीं कर सकते तो कोई टिनेन्ट सब-लेट नहीं कर सकता; यह कानून है यदि कोई प्रोविज़न नहीं हैं तो सबलेट कैसे करेगा? खुदकाश्त की जमीन पर रेस्ट्रिक्शन की क्लॉज़ हटा देते हैं तो मैं नहीं समझ सका कि वह किस तरह सब-टिनेन्ट को हक प्राप्त

[श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा]

हो सकता है कि वह कितने ही वर्षों के लिये सब-लेट कर सकेगा ? यह समझने की बात है, वरना इससे कोई अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं कि कितने ही वर्षों तक सब लेट कर सकता है। यह सिर्फ वर्ड्स में चेन्ज है। इससे मतलब में कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिये मैं आपके जरिये सदन को अर्ज करूंगा कि इस अमेंडमेंट को एलाउ करें।

श्री जवानसिंह—आप यह समझते हैं कि एलाउ नहीं किया जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन साहब, क्लॉज़ ३५ में जो तरमीम मूव की गई है उसके समर्थन में मुझे कुछ कहना है। वैसे इस प्रोविजो के अन्दर जो नं० (२) है उसको डिलीट करने के लिये कहा गया है। यह बहुत ही जरूरी है इसलिये कि इसमें क्लॉज़ ३६ में मेरा एक अमेंडमेंट है। इसमें रेस्ट्रिक्टेड फोर्म को हमने लाने की कोशिश की है....

श्री जवानसिंह—That is not before the House because it is not moved.

श्री माथुर—It is not before the House but has been circuleated and I can talk on the amendment which I have moved.

श्री जवानसिंह—पोइन्ट ओफ आर्डर, सर, क्या कोई संशोधन जो इस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है, और आगे की धारा में आये, न आये, मूव हो, न हो, सदन उसे मंजूर करे न करे, और जिसका केवल नोटिस दिया हुआ है उसके ऊपर किसी तरह का रेफरेन्स दिया जा सकता है या पहले की धाराओं को पास करते समय आगे आने वाले अमेंडमेंट का हवाला देना उचित होगा ? माननीय चेअरमेन मैं इस पर रूलिंग चाहूंगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—Presumption हो तो कोई हर्ज नहीं।

श्री सभापति श्री हिम्मतसिंह—You want a ruling on this ?

श्री जवानसिंह—I do pray for it.

श्री सभापति—इसमें किसी रूलिंग की आवश्यकता नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है जो अमेंडमेंट मूव नहीं हुआ है उसका रेफरेन्स देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन, अदब से अर्ज है कि आप का रूलिंग तो स्वीकार है इसलिये कि मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूं, इस मायने में; वैसे तो हम क्वोट कर सकते हैं दूसरे कानूनों को भी जो इस धारा सभा के नहीं हैं। उनका भी हवाला दे सकते हैं अपने पक्ष को मजबूत करने के लिये। यह सब क्लॉज डिलीट किया जा रहा है, किस हद तक रखने की मंशा है या

[श्री मथुरादास माथुर]

नहीं, क्यों रखा जा रहा है, ये सब बातें उससे जुडी हुई हैं। मेरा अमेंडमेंट मंजूर हो या न हो आप जैसा सोचते हैं कि मेरा अमेण्डमेण्ट मंजूर नहीं होगा और फिर राय देनी चाहिये यह आपकी मर्जी है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि सब-टिनेन्ट्स और टिनेन्ट्स ऑफ खुदकाश्त को सब-लेटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिये। इसको हम उठाते हैं क्योंकि आगे जाकर हमारीमंशा यह है कि जो सब टिनेन्ट ..

श्री सभापति—मेरा ख्याल है मेरे रूलिंग को आप ठीक तरह से नहीं समझे हैं। मेरा मतलब यह था कि आप उस मेंडमेंट का रेफरेन्स नहीं दें लेकिन सब्जेक्ट मेटर पर बोल सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—मैं सब्जेक्ट मेटर पर ही अर्ज कर रहा था।

श्री जवानसिंह—दूसरी तरह से एवाइड करने का प्रस्ताव है।

श्री मथुरादास माथुर—तो माननीय चेयरमेन, जो सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त में इनएबिलिटी हो तो उन्हें सब-लेटिंग के अधिकार होने चाहिए, हमारी मंशा है कि वे सब लेट कर सकें, जो माइनर हैं या जिनमें और तरह से इनेबिलिटी है, उनके लिये जिस प्रकार होल्डर ऑफ खुदकाश्त के लिये प्रोविजन रखा गया है उसी तरह का इनके लिये भी होना चाहिये। इसलिये हमने इस चीज को यहां डिलीट किया है और अगले सेक्शन्स में यह प्रयत्न करेंगे कि यह चीज रखी जाय कि इनएबिलिटी की हालत में सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को भी सबलेट करने के अधिकार होने चाहिये।

इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस तरमीम को जो भाई भटनागरजी ने रखी है उसे स्वीकार करेंगा।

श्री जवानसिंह—सही तरीका तो यह होगा, मै माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर से निवेदन करूंगा, कि पहले धारा ३६ को ले लिया जाय, जिसमें प्रतिबन्ध हैं कि सब-टिनेन्टस को सबलेटिंग के अधिकार दें या नहीं दें। इसके बाद ३५ को पास करें, उचित तरीका यही होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्लाज़ ३६ में जो माथुर साहब ने अमेन्डमेंट मूव किया किया है उसे रेफजर नहीं किया जाय तो भी अभी ३६ में लिखा हुआ है:

"No khatedar tenent or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding 5. years"

इसमें यह दिया हुआ है, इसके बाद ३५ के प्रोविजो के सब क्लांज़ (२) में लिखा है:

"(ii) no sub tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding."

Page No.20

श्री सभापति—आपने अपना अमेन्डमेंट मूव किया था। जब तक कि मिनिस्टर इन्चार्ज जवाब नहीं दें तब तक आप नहीं बोल सकते; तो आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—३६ पहले लेना चाहते हैं।

श्री सभापति—क्या सदन की इच्छा है कि ३५ पर डेलिबरेशन्स अभी स्थगित कर दिये जावें और ३६ को लिया जावे?

(सदन द्वारा स्वीकृति)

३५ के उपर विचार स्थगित किये जाते हैं और अब क्लॉज ३६ लिया जाता है। श्री किशन लाल शाह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह

श्रीजवानसिंह—Sir, I do not want to move amendment.

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन, मैं पहले अपनी तरमीम पढ़ देता हूं क्योंकि मेरी तरमीम यह है कि यह दफा ३६ जो सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है, उसकी बजाय मेरी तरमीम सब्स्टीट्यूट कर दी जाय; वह काफी खुलासे से लिखी है:

"For clause 36, substitute the following:-

'36. Restrictions on sub-letting.-(1) No khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let and no holder of khudkasht shall let the whole or any part of his holding for a term which is less than five years.

(2). Every lease or sub-lease granted in accordance with the provision of Sub-section (1) shall be deemed to have been renewed for a further term of five years on the expiry of its term, unless the khatedar tenant, his mortgagee or the holder of khudkasht requires the whole or any part of the holding for his personal cultivation, in which case he shall give to the sub-tenant or tenant of khudkasht, at least six months before the expiry of the term, a notice in writing of his intention to determine the whole or any part of such lease.

(3) If the khatedar tenant or his mortgagee or the holder of khudkasht who has determined a lease under sub-section (2) fails to cultivate the land himself for a period of two years from the date of the determination of the lease or sub-lets it to any other person within a period of three years from the aforesaid date, the sub

Page No.21

[श्री मथुरादास माथुर]

tenant or tenant of of khudkasht whose lease was so determined shall be entitle to a renewal of the said lease for a further term of five years.

(4) No sub-tenant of a Khatedar tenant or tenant of Khudkahst shall sub let the whole or any part of his holding except under circumstances specified in section 37.

(5) No ghair Khatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his hoiding for a term exceeding one year."

माननीय चेयरमेन, यह जो तरमीम मैंने रखी है इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ओरिजिनल क्लॉज़ के सिद्धान्तों में और इसके सिद्धन्तों में वैसे एक ही चीज है। मगर बिल्कुल भेद नजर आता है। वहां पर यह रखा गया था कि कोई भी टिनेन्ट इन चीफ या होल्डर ऑफ खुदकाश्त पांच साल से ज्यादा सब-लेट नहीं कर सकता पर यह जो तरमीम रखी है, इसकी सब क्लॉज(१)कहता है कि कम से कम ५ साल से कम कोई भी लीज़ नहीं कर सकता, सब-लेट नहीं कर सकता। वैसे लोगों के सोचने का अवसर आता है कि सिलेक्ट कमेटी ने यह चीज रखी कि ज्यादा से ज्यादा ५ साल के लिये सब-लेट की जा सकती है और अब इस तरमीम में बिल्कुल उसके विपरीत यह रखा है कि ५ साल से कम के लिये सब-लेट नहीं की जा सकती। इस सेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर काफी चर्चा चली थी और यहां पर भी भी सदन मे काफी चर्चा इस पर चली है कि सब-टिनेन्सी को डिस्करेज किया जाय, हम सब-टिनेन्सी को डिस्करेज करना चाहते हैं। सिलेक्ट कमेटी ने भी यही कहा था कि जहां तक हो सके सब-टिनेन्सी नहीं रहे और जमीन का मालिक वही हो जो उसे बोना चाहता है, या जमीन को खड़ता है। इस भावना को लेकर हम चले थे और इसीलिये सिलेक्ट कमेटी में ५ साल मेग्ज़िमम रखा था। आज भी वही है। सब-टिनेन्सी को हम एन्करेज नहीं करना चाहते;तो प्रश्न यह है कि अगर सब-टिनेन्स को एेकरेज नहीं करना चाहते तो या तो सब टिनेन्सी को कतई बन्द कर दीजिये या इसको ऐसी नियत कर दीजिये कि वह सब-टिनेन्ट फिक्सड टाइम तक उस जमीन में इम्प्रूवमेंट कर सके, जमीन को सुधार सके और उपज को बढ़ा सके। कोई सब-टिनेन्ट एक साल के लिये, किसी को दो साल के लिये, तीन साला के लिये या मेग्जिमम ५ साल के लिये एक जमीन सब-लेट की गई है तो ऐसी सूरत में उस जमीन पर काम करने में, उसको इम्प्रूव करने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। इससे न उसको फायदा होगा और न उस जमीन के मालिक को ही फायदा होगा और न राष्ट्र को ही फायदा होगा। राष्ट्र को फायदा हो,ऐसा काम हमको करना चाहिये। एक साल के लिये दिया जायगा तो मामूली तरीके में काम करेगा क्योंकि दूसरे साल के लिये उसको कोई तसल्ली नहीं है कि जमीन उसके कब्जे में रहेगी या नहीं। या तो सब टिनेन्सी रहनी ही नहीं चाहिये' टिनेन्ट इन चीफ हो वही उसमें खेती करे, काम करे। यह भावना है, मगर जिस तरह से शहरों में लोग अपने मकानों को किराये पर दे सकते हैं और उनको ऐसा करने का अधिकार है, इसी तरह से सैकड़ों दलीलें चलती हैं। चूंकि हनको देश को ऊपर उठाना है, इसलिये जमीन पड़ी

[श्री मथुरादास माथुर]

नहीं रख सकते हैं, इसलिये भी सब-टिनेन्ट को रखना चाहिये। इसलिये यह मुनासिब नहीं कि सब टिनेन्ट को कतई बन्द करदिया जावे। हम सब टिनेन्ट को बन्द नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर दिया जाय कि वे जमीन को कमा सकें। यह तो वे समझने लगे ताकि उस जमीन पर काम करके उस जमीन को कमा सकें। एक सदस्य ने यह कहा कि वे एक साल के लिये दी जाये। अगर जमीन एक साल के लिये दी जावेगी तो मैं यह कहूंगा कि काश्तकार उस जमीन को यह समझ कर कि एक साल बाद यह जमीन किसी दूसरे को दे दी जावेगी, मेरे पास तो रहने की नहीं, वह उस जमीन को नहीं कमावेगा। अगर उसको ५ साल तक के लिये जमीन दी जावेगी तो वह उस जमीन पर मेहनत करके कुछ कमाएगा और जमीन को भी ज्यादा अच्छी बनाएगा; एक दो साल के लिये अगर देंगे तो वे लोग जमीन को इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर आप सब टिनेन्ट को यह अधिकार देते हैं तो ५ साल का अधिकार भी उनको देना चाहिये। अगर लेन्ड होल्डर खुद काश्त करे तो वह करे और अगर वह किसी दूसरे को दे तो कम से कम ५ साल के लिये दे, ताकि उस जमीन में इम्प्रूवमेंट हो जायें। इसलिये इस भावना से मैंने यह ५ साल का समय रखा है। जो शख्स इस तरह से जमीन देगा वह ऐसा शख्स होगा जो इस बात को जानता है कि वह जमीन से ५ साल तक के लिये अलग रह सकता है। जिस शख्स को मिलेगी वह यह जानेगा कि उसको ५ साल तक जमीन पर काम करना है और इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है; इसलिये मैंने ५ साल का समय रखा है।

अब दूसरी बात, माननीय चेयरमेन, मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूँ, वह यह है कि अगर ५ साल तक शिकमी काश्तकार के पास जमीन हो और उसके बाद अगर लेन्ड होल्डर छुडाना चाहे तो छुडा सकता है, मगर मैंने यह रखा है कि अगर वह खुदकाश्त करे तो छुडा सकता है। ऐसा नहीं हो कि ए के पास जमीन है और लेन्ड होल्डर ए से जमीन छुडा कर, जिसने ५ साल तक उस जमीन को कमा कर तैय्यार की है, अब वह उसको बी को देना चाहता है; चूंकि उस जमीन को ए ने कमाई है। इसलिये इस जमीन को लेन्ड होल्डर ही रख सकता है और खुद काश्त कर सकता है, दूसरे को देने के लिये ए को नहीं निकाल सकता, यह मैंने रखा है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वैसी हालत में हमारा क्लॉज् २ लागू हो जाता है और आप ऐसा नहीं कर सकते "requires the whole or any part of the holding for his personal cultivation, in which case he shall give to the sud-tenant or tanant of Khudkasht, at least six months notice." आपको ६ महीने का उसको नोटिस देना पड़ेगा। आप उस व्यक्ति को नोटिस देकर ६ महीनों में अपना कब्जा कर सकते हैं। इतने अर्से में वह भी अपने गुदड़े वगैरह जो भी सामान हो यहां से हटा ले और उसके बाद आप उस जमीन पर जाकर खेती कर सकते हैं।

अब आपकी मंशा यह हो सकती है कि आपने ६ महीनों का नोटिस दिया। माननीय चेयरमेन, आपने नोटिस देकर जमीन छुड़ा ली और अब आप खुद उस जमीन को नहीं जोतकर किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं; तो फिर हमारा सब क्लॉज (३) लागू हो जाता है। अगर आप किसी से जमीन छुडाते हैं तो आपको चाहिये की तीन साल बराबर आप उस जमीन पर खेती करें और बाद

[श्री मथुरादास माथुर]

में अगर आप चाहें तो किसी दूसरे को दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब यह होगा कि जिस दिन से वापिस जमीन उस सब टिनेन्ट को मिल जावेगी वह उस जमीन को ५ साल तक कमाता रहेगा। इसी प्रकार की धारा हमारे यहां मकानों के किराये देने के बारे में भी थी। अगर मकान मालिक मकान के छुडाने के बाद खुद रहने के लिये रख सकता था और अगर किसी दूसरे को दे देता था तो उस पर भी प्रोविजन रखा हुआ था। इसी सिद्धान्त पर यह प्रोविजन रखा गया है। अब उसके बाद में सब क्लॉज़ ४ यह कहता है :—

"No sub-tenant of a Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding except under circumstances specified in section 37." 'military servent. lunatic. physical inbility etc.' क्लॉज़ ३७ में सरकम्स्टान्सेज़ स्पेसिफाइड किये गये हैं। इसलिये क्लॉज़ ३७ जब लिया जावेगा उस समय मैं इस पर और कहूंगा "खुदकाश्त होल्डर और सब टिनेन्ट shall sub-let the whole or any part of his holding except under circumstances specified..." कर सकते हैं मगर सरकम्स्टान्सेज़ का मैंने आपके सामने जिक्र किया। इसके बाद में नम्बर ५ है वह वही है जो ओरिजिनल है :—

"(5) No Ghair Khatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year." इसमें कोई तब्दिली नहीं की गई है।

इन तरमीमों को रखते हुए उनकी भावना को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इससे हमारे ओरिजिनल सिद्धान्तों में कोई फर्क नहीं पड़ता outwardly, prima facie यह चीज नजर आती है। टिनेन्ट और सब टिनेन्ट को रखना जरूरी है और जब रखना जरूरी है तो उनको ५ साल तक के लिये रखा जावे। इससे यह रहेगा कि ५ साल तक तो वे जमीन को कमाते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरमीमें आपके सामने पेश करता हूँ।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय चेयरमेन, मेरे मित्र माथुर सहाब ने जो तरमीमें रखी हैं मैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय माथुर साहब ने अपनी भाषा में इस ढंग से इन तरमीमों को रख कर रुकावटें डालने की कोशिश की है और यह कहा है कि जो तरमीमें इन्होंने रखी हैं उसमें और ओरिजनल बिल में जो धारा है उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि वे भाषा के बड़े पंडित हो सकते हैं और अपने पांडित्यपूर्ण शब्दों के जरिये यह घोषित कर सकते हैं कि ओरिजिनल बिल के क्लॉज़ में और उनके तरमीमों में कोई अन्तर नहीं है और सदन को मुगालता दे सकते हैं, मगर मैं यह मानता हूं कि सदन में ऐसे व्यक्ति भी मौजूद हैं जो इस प्रकार के मुगालते में नहीं आ सकते हैं।

माननीय चेयरमेन, अब तक इस टिनेन्सी बिल को स्टडी करने के साथ साथ मैंने हिन्दुस्तान के अन्य कई जगहों के एक्ट को देखने की कोशिश की और उन सारे एक्टों को देखने से यह सार

[श्री चांदमल मेहता]

निकलता है कि कहीं ३ साल और कहीं ५ साल के लिये सब लेटिंग के लिये एलाउ किया गया है। इसके माने यह हुए की सब लेटिंग को डिस्करेज किया जावे। माननीय माथुर साहब भी यही कहते हैं कि सब लेटिंग को डिस्करेज करने के लिये ही यह ऐसा करते हैं। हमारे माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने कई मरतबा अपने भाषण में प्लानिंग कमिश्नर की मंशा की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी बताने की कोशिश की कि हमें सब-टिनेन्ट को जल्दी से जल्दी डिस्करेज करना चाहिये। यदि हम माननीय माथुर साहब की इस क्लॉज़ को देखें तो यह मालूम होता है कि कम से कम ५ वर्ष तक के लिये उसको जमीन दी जानी चाहिये। इस ५ वर्ष के आगे भी जब यह मियाद समाप्त हो ५ वर्ष और बढ़ाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि माननीय मित्र यह चाहते हैं कि इस धारा के द्वारा आगे सब-लेटिंग का रास्ता खुला रहे। मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन के द्वारा सही माने में सब लेटिंग को एनकरेज करना है। श्री माथुर साहब ने यह बतलाने की कोशिश की है कि ५ वर्ष से कम समय नहीं होना चाहिये सब-लेटिंग के लिये और अगर कम समय मुकर्रर किया जावेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि कोई लोग दिलचस्पी नहीं लेंगे। मैं यह कहूंगा कि उस शख्स को दिलचस्पी नहीं होगी तो वह व्यक्ति जिसकी जमीन है वह खुदकाश्त करेगा; तो दूसरी बात यह होगी कि १६ क्लॉज़ में जहां हमने यह किया है कि खातेदारी राइट्स एक्वायर किस हालत में किये जा सकते हैं, उसके लिए कम्पेन्सेशन का प्रोविजन रखा है।

यह सही है कि क्लॉज़ १६ में जो कम्पेन्सेशन की रेट और जो इम्प्रूवमेन्ट्स की रेट हमारे सामने आ रही है वे बहुत बड़ी हैं और शायद माननीय माथुर साहब इस बात के समर्थक होंगे कि उस धारा में जो कम्पेन्सेशन की रेट है वह ज्यादा से ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा होने की स्थिति में किसान रुपया नहीं दे सकेगा और खातेदारी राइट्स एक्वायर करना उसके लिए मुश्किल हो जायगा, और शायद माननीय माथुर साहब ने सोचा होगा कि आयन्दा वक्त के लिए गुंजायश रखी जाय कि वह सब-लेटिंग चालू रहे। अगर माननीय माथुर साहब को यही धारणा है और क्लॉज़ १६ से प्रिजुडिस हो कर ज्यादा कम्पेन्सेशन देने की दृष्टि से, सब-टिनेन्ट खातेदार को अदा न कर सके, इस विचार से माननीय माथुर साहब ने इन बातों को रखा है तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय श्री माथुरादास माथुर साहब देखेंगे कि क्लॉज़ १६ अभी फाइनल करने का मौका दिया गया है वे इतना मुआवजा रखें कि जिससे किसी खातेदारी टिनेन्ट से सब-टिनेन्ट खातेदारी राइट्स एक्वायर कर सके। माननीय चेयरमेन, मैं आपकी मार्फत माननीय श्री माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि अब तक मेरे दिमाग में, मैं यह मानता था कि माननीय श्री माथुर साहब प्रगतिशील विचारों के हैं, किन्तु अब उनका यह अमेन्डमेन्ट यह बताता है कि खण्ड १६ का जिस प्रकार एक माननीय मित्र पर असर हुआ था उसी प्रकार का असर माननीय माथुर साहब पर भी हो गया है।

(करतल-ध्वनि)

[श्री चांदमल मेहता]

इस प्रकार से जो इनके प्रगतिशील विचार हैं, उनको देखते हुए और उनको निभा लेने के लिए वे अपना यह एमेंडमेंट वापिस ले लेंगे।

श्री सभापति—श्री भैरोंसिंह केलवा

श्री भैरोंसिंह (केलवा)—माननीय सभापति, जो विचार धारा इस एक्ट में देखी जा रही है उससे साफ मालूम होता है कि गवर्नमेन्ट, हमारी सरकार, सब-टिनेन्ट्स को अधिकार ज्यादा से ज्यादा दिलाना चाहती है। अधिकार उनको ज्यादा से ज्यादा दिये जांय या एकदम उनको अधिकार दे दिये जांय तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो नियम बनाये हैं या बनाये जा रहे हैं उनको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि एक प्रकार से टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहे। ऐसे लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है या सब-टिनेन्ट हैं उनको ऐसे लोगों के चंगुल में छोड़ा जा रहा है कि टिनेन्ट को पैसे मिले या न मिले किन्तु सब-टिनेन्ट को तो देना चाहते है, उनको लैन्ड प्रोवाइड करना चाहते है। जहां जहां इम्प्रूवमेन्ट्स हुए हैं, हो रहे हैं उन लोगों को जिसके पास जमीन नहीं है ऐसे काश्तकारां को जमीन दे दी जाय कोई हर्ज नहीं है, किन्तु इस प्रकार कि धारायें रखने से तो टिनेन्ट और सब-टिनेन्ट के बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे।

श्री जवानसिंह—सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री श्री मानसिंह—आज सुबह आपने अपने कानों की कम्प्लेन्ट मुझसे की थी।

श्री जवानसिंह—आप नजदीक बैठे है इसलिए सुन रहे है।

श्री भैरूंसिंह (केलवा)—तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जैसा कि इस एक्ट के द्वारा आप चाहते हैं कि सब टिनेन्ट को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जायं किन्तु इस क्लॉज़ो केलाने से तो यह मालूम होता है कि आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो उनको जो लैंड इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, चम्बल आदि स्कीम्स हैं, वहां प्रोवाइड कर दे। यह इन्तजाम किया जा सकता है या और कोई इन्तजाम किया जाय। किन्तु इसमें जो दिया गया है उससे साफ है कि टिनेन्ट और सब टिनेन्ट के आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे।

इन क्लॉज़ों में यह रखा गया और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सब अधिकार सब टियेन्ट्स को दे दिये जायं, चाहे टिनेन्ट भूखों मरे। यदि १२०० रुपया सालाना की आमद सब टिनेन्ट के पास है तो उसको यह अधिकार है कि वह कलेक्टर से एप्लाई करके खातेदारी के हकूक हासिल कर ले और चाहे टिनेन्ट को मिले या न मिले। तो जो यह विचारधारा रखी गई है वह बिल्कुल गलत है। सब टिनेन्ट को अधिकार देकर टिनेन्ट की हालत सब टिनेन्ट से भी खराब कर

[श्री भैरोंसिंह केलवा]

टी जाय, यह जो विचारधारा है वह ठीक नहीं है। हो सकता है कि जागीरदारों के प्रति द्वेष हो या वे इतने एडवान्स हो गये हों किन्तु इस पर अपने दिमाग को सन्तुलित करके विचार करना चाहिये, सोचना चाहिये, और इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं होने देना चाहिए कि टिनेन्ट और सब टिनेन्ट के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहे, परन्तु जो यह सेक्शन लाया गया है उसकी मंशा यही है कि आपस में झगड़ा होता रहे। इसमें पांच साल का समय दिया गया है। मैं निवेदन करूं कि बहुत से सब टिनेन्ट्स वे होते हैं जिनके पास बैल नहीं, खेती करने के साधन नहीं, और वे दूसरे टिनेन्ट्स को सब टिनेन्ट्स बना सकते हैं। जिसके पास बैल नहीं है, देने को मेन्योर नहीं है वह उस केटेगरी में आता नहीं है, उसको टिनेन्ट कभी भी हटा सकता है। जिसके पास बैल हों, देने को मेन्योर हो वह खेती कर सकता है। यह भी परिस्थिति है कि टिनेन्ट है वह कहीं कहीं सब टिनेन्ट का काम करता है। टिनेन्ट अपनी खेती को सुधारता है। इस सम्बन्ध में आपका व्यवहारिक ज्ञान न हो कि क्या प्रेक्टिकल चीज़ है। ये अनुभव की बातें हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जो सब टिनेन्ट होता है वे खेती को ठीक करते हैं। यदि कोई सब टिनेन्ट है और वह उसके खेत को पांच साल तक बिगाड़ता है तो वह फिर बिगाड़ता ही चला जावेगा और यदि वह उसको बिगाड़ता है तो वह उसको हटावेगा। तो आप ही सोचिये कि उस वक्त क्या परिस्थिति पैदा हो जायगी? उसके बाद फिर मुकद्दमे बाजी का एक मात्र तरीका रखा है। वह चाहे तो पर्सनल कल्टीवेशन करे। पर्सनल कल्टीवेशन के नाम से एक साल के लिए कर लेगा और वह एक नाम मात्र का झूंठ होगा। यह जो दिया, वह जो दिया, यह उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार जो पूरे अधिकार दिये जाते हैं सब टिनेन्ट को तो यह तो एक प्रकार से टिनेन्ट और सब टिनेन्ट के बीच लड़ाई झगड़ा कराने की बात हुई।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो ओरिजिनल बिल में मूल क्लॉज़ है उसके भाव और इस अमेंडमेंट के भाव एक सरीखे हैं। लेकिन ए. बी. सी. डी. जानने वाले को भी मालूम हो सकता है कि इसके और उसके भाव विपरीत हैं। इसमें आपने लिखा है कि पांच साल तक के लिए नहीं हटाया जाय और उसमें यह है कि पांच साल के लिए अधिकार दिये जावें। तो मेरी मंशा है कि इसको बिल्कुल ही हटा दिया जाय और जो ओरिजिनल क्लॉज़ है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री देशपाल त्यागी—जो संशोधन मेरे मित्र श्री माथुर जी ने पेश किया है उसको देख कर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ, क्योंकि जो सिद्धान्त सब टिनेन्सीज़ को डिस्करेज करने का ओरिजिनल बिल में माना गया है उसके बिल्कुल विपरीत सिद्धान्त इस संशोधन में माना गया है। यद्यपि यह कहना तो मैं मानता हूँ कि हम सब टिनेन्सीज़ को डिस्करेज करना चाहते हैं और जो सिद्धान्त हम मान कर चलते हैं कि "Tillers of the soil should be the owners of the soil" उसके अनुसार उसको डिस्करेज करना भी चाहते हैं, लेकिन उसको डिस्करेज करने का जो तरीका इस्तेमाल

[श्री वेदपाल त्यागी]

किया जा रहा है, ओरिजिनल बिल में जिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है और इसमें जो किया गया है वह बिल्कुल उसके विपरीत है। मैं समझता हूँ कि अनिष्ट इसमें ज्यादा होता है। मैं मानता हूं कि आप सब टिनेन्सीज़ को उड़ा देना चाहते हैं और ये इस तरह के रेस्ट्रिक्शन्स लगा रहे हैं ताकि सब टिनेन्सीज़ नहीं रहे। बजाय इसके कि सब टिनेन्सीज़ को डिस्करेज करें, इससे प्रोत्साहन मिलता है। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन्स हों कि सब टिनेन्ट्स किसी हालत में पैदा न हों। खातेदार टिनेन्ट यह महसूस करें कि आखिर मैं एक साल के लिए एक जमीन को जुतवा दूं, इसलिए वह जुतवा सकेगा कि पांच साल तक जमीन नहीं उठवाई। नतीजा यह होगा कि कहीं उसको किसी कारण से जरूरत हुई कि जो पड़त है, उसमें काश्त करने के लिए और उसको पड़त रखना पड़ेगा। मुझको यह कहते हुए दुख होता है कि जो संशोधन पेश किया गया है वह उनके द्वारा पेश किया गया है जिनका खेती से सम्बन्ध नहीं रहता है और मैं यह समझता हूं कि खेती करने वाले को जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिन बातों का उनको सामना करना पड़ता है उनसे वे ठीक तरह से अनभिज्ञ हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत कर दिया इसका एक मात्र नतीजा यह होगा कि कोई भी खातेदार टिनेन्ट किसी भी कीमत पर अपनी जमीन सब टिनेन्ट को नहीं देना चाहेंगे। उसका ख्याल यह रहेगा कि एक दफा सब टिनेन्ट को कायम कर दिया तो पांच साल तक तो वह उसके पास जमीन रहेगी। अगर वह इस बीच में काश्त करना चाहता है तो उस पर एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अगर एक साल के बाद में वह बीमार पड़ गया और उसको नोटिस नहीं दे सका तो वह जमीन अगले पांच साल के लिए उस सब टिनेन्ट को मिल जायगी। जिस नुक्ते-निगाह से यह संशोधन रखा गया है, वह नुक्ते-निगाह प्रेक्टिकल नहीं और व्यवहारिक भी नहीं कहा जा सकता। यह इस प्रकार का संशोधन नहीं कि जिससे लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी बल्कि जो कुछ चीजें रखी गई हैं, उनमें कठिनाइयां बढ़ेंगी। यह तो सब मानते हैं कि सब टिनेन्सी को डिस्करेज किया जाना चाहिये और उन लोगों को जो जमीन पर खुदकाश्त करते हैं उनका हक होना चाहिए। इन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए जब कि उनका भरोसा नहीं, यह जरूर राइट होना चाहिये कि अपनी जमीन को एक साल के लिये दो साल के लिये किसी दूसरे को काश्त के लिए दे सकें। क्लॉज़ ३७ में कुछ विस्तेलाइज़ किये हैं कि क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं ? क्लॉज़ ३७ के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें एक आदमी को बाध्य होना पड़ता है कि वह अपनी जमीन पर दूसरों से काश्त करवाये। मान लीजिए एक आदमी साल भर के लिए जेल चला जाता है उसके पीछे उसकी बीबी बच्चे तो उस खेत को जोत नहीं सकते ऐसी हालत में जमीन दूसरे से काश्त करवाने के लिये देनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे तो उसके छोटे रह गये, वे तो काश्त नहीं कर सकते। खातेदारी का हक तो उसका रह सकता है, किन्तु जमीन पर काश्त के लिये तो वह नहीं आ सकता। ऐसी सूरत में यदि वह जमीन दूसरे को दे दी जायगी तो उसका हमेशा से जो राइट चला आ रहा है वह चला जायगा, उसके पास जमीन वापिस नही आ सकती। सबटिनेन्ट को देता है तो वह पीरियड पांच साल से कम नहीं होगा। पांच साल के बाद रिन्यूअल का भी अधिकार होगा, इस तरह से सब कन्डीशन लोगों को पेस करनी पड़ेगी। हमको इस प्रकार का

[श्री वेदपाल त्यागी]

संशोधन रखते हुए व्यवहारिक तौर से सोचना चाहिये, इससे लोगों को लाभ होना दूर रहा इससे ज्यादा कठिनाइयां उत्पन्न होगी। जैसा सिद्धान्त ओरिजिनल बिल में सिलेक्ट कमेटी ने प्रतिपादित किया है वह सबटिनेंसी रेस्ट्रिक्ट करने के लिये है। इसलिये अगर पांच साल की पाबन्दी करायेंगे तो उसके बाद जो राइट्स क्रिएट होंगे, वे एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन इस प्रकार का है कि हम सब-टिनेन्सी को डिस्करेज करें किसी भी प्रकार सबटिनेन्सी कायम न हो सके जो लोग बेचारे काश्त करके अपना पेट भर लेते हैं उनके लिये यह संशोधन प्रोब्लेम पैदा करने वाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सब-टिनेन्ट्स पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं जिनको एक-एक दो-दो साल के लिये काश्त के लिये जमीन मिल जाती है। गांवों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुआ करती है कि लोग अपनी जमीन किसी कारण काश्त नहीं कर पाते तो वे दूसरों को काश्त के लिये वे देते हैं एक ग्रामवासी की तरह। अब इसके बाद कोई भी चाहे वह खुद काश्त नहीं कर सकता हो दूसरों को काश्त के लिये देने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो दूसरों की भलमनसाहत पर अपना जीवन-निर्वाह करते थे अब इसके बाद जमीन से महरूम रहेंगे, उनका आप किस प्रकार पुर्नःस्थापन करेंगे? इस प्रकार से आप उनपर एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं यह एक प्रोब्लम हमारे सामने आजायगा कि जो लेन्डलेस टिनेन्ट्स है, जो आज एक की जमीन काश्त करते हैं कल दूसरे की और परसों तीसरे की, ऐसे लेन्डलैस टिनेन्ट्स के लिये आपने क्या उपाय सोचा है? कोई भी व्यक्ति इस क्लॉज़ के मातहत किसी को भी पांच साल के लिये जमीन नहीं देना चाहेगा। इसलिये में यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को अगर हाउस पास करता है तो बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को इससे क्या कठिनाई होंगी यह संशोधन मूव करने वाले समझ नहीं सकते। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि जो बात ओरिजिनल बिल में थी, जो रेस्ट्रिक्शन रखे गये थे वे काफी हैं। आप प्रगतिशिल कदम उठा रहे हैं, लेकिन आप साथ में यह भी सोचिये कि वह प्रगतिशील कदम क्या काम का जिसके साथ साथ जनता न चल सके? आपकी प्रगतिशीलता के साथ आज की हालत साथ न दे सके तो ऐसे प्रगतिशील कदम इतनी तेज रफ्तार से चलते हैं कि कन्डीशन्स पीछे रह जाती हैं, लोग पीछे रह जाते हैं, तो ऐसा प्रगतिशील कदम लोगों के लिए दुखदायी साबित होता है, इस पर आप विचार करें इस प्रकार का प्रतिबन्ध आप लगा देंगे तो सब-टिनेन्सी बिल्कुल खत्म हो जायगी और लेन्डलेस टिनेन्ट्स के आजीविका का जरिया नहीं रहेगा। ऐसे आदमियों के जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं रहेगा जो एक साल के लिये इससे जमीन ले ली तो दूसरे साल दूसरे से। यह ठीक है कि कोई भी तीन साल से ज्यादा काश्त के लिये न दे। लेकिन काश्त के लिये न दे तो कोई भी कभी अपनी जमीन को काश्त के लिये दूसरे को नहीं देगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर गौर करने के बाद ही इसको पास करें

श्री गोपीलाल यादव—चेयरमेन महोदय, श्री मथुरादास जी माथुर ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। पहले तो मैं यह नहीं जान पाया कि आजकल क्या टेन्टेन्सी चल रही है, जो इस प्रकार के अमेंडमेंट पेश किये जा रहे हैं। यह मैं नहीं समझ पाया

Page No.29

[श्री गोपीलाल यादव]

कि किस बिनाह पर ये अमेंडमेंट लाये जा रहे हैं। यह बिल दो तीन साल से गवर्नमेन्ट के पास पड़ा है उसके बाद यह बिल दिल्ली गया और उसके बाद इसको सिलेक्ट कमेटी में दिया गया, उसमें काफी विचार होने के बाद सिलेक्ट कमेटी द्वारा मन्जूर शुदा बिल सदन में आया है और उस पर भी आज तरह तरह के अमेंडमेंट्स लाये जा रहे हैं। अगर आप इसी तरह से अमेन्डमेंट लाना चाहते हैं तो बेहतर यह होगा कि इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय जो इन हजारों अमेन्डमेंट्स पर फिर से सोचे और अपनी रिपोर्ट दे। ज्यादातर अमेंडमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही आ रहे हैं और ऐसे कांग्रेसियों की तरफ से आ रहे हैं जिनकी विश की इस बिल को पाइलेट करने वाले माननीय मंत्री भी अवहेलना करने की जुर्रत नहीं कर सकते। इसलिये वे अपनी धांधलेबाजी के द्वारा इस प्रकार के अमेंडमेंट सदन के सामने पेश कर रहे हैं। ज्यादा तो अच्छा यह रहता कि ये अमेंडमेंट पहले सिलेक्ट कमेटी के सामने आये, जहां पर कि इन पर राइट वे में विचार हो सकता है। आज होने क्या जा रहा है कि हरेक अपने पर्सनल इन्ट्रेस्ट को देख कर ही अमेंडमेंट्स रखने लग गये हैं। वो देखते हैं कि हमारी जमीन पर कौन सी चीज़ लागू होगी। हमारे रिश्तेदारों की जमीन पर कौन सी चीज़ लागू होगी, इस बात को मद्दे नज़र रखते हुए अमेंडमेंट रखे जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी—अमेंडमेंट पर चर्चा कर रहे हैं या किसी की पर्सनल बातों पर

श्री गोपीलाल यादव—ठीक है, धन्यवाद आपके एतराज के लिए।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो यह अमेंडमेंट है कि कोई गैर खातेदार टिनेन्ट अपनी जमीन को पांच साल से कम के लिये सब-लेट नहीं करेगा, कहीं दुनियां में यह कायदा है कि पांच साल से कम समय के लिये सबलेट नहीं कर सकता। पांच साल से ज्यादा के लिए सबलेट नहीं करेगा तो हो सकता है, किन्तु पांच साल से कम के लिये सबलेट नहीं कर सकते यह तो कहीं देखने में नहीं आया। मेरी धारणा बहुत दिनों से और ईमानदारी से और पक्की है कि कुछ दिनों से उधर बैठने वाले मेरे मित्र देहात की मिडिल क्लास को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और शहरियों को कायम रखना चाहते हैं। अगर आप आज देहात पर हमला कर रहे हैं कल ऐसा भी हो सकता है कि देहात वाले आपको चैन से न बैठने दें। पहले आपने जागीरदारों को खत्म किया ठीक है, यह जरूरी था, इसमें हमने कोई ऐतराज नहीं किया क्योंकि यह राइट चीज थी। अब आप खातेदार टिनेन्ट्स को खत्म कर रहे हैं, इससे आपकी मन्शा क्या है, यह साफ जाहिर हो रहा है। मन्शा है आपकी सिर्फ एक और वह मन्शा क्या है कि जिन आदमियों के पास जमीन नहीं उनकी हमदर्दी लेकर आप वोटों की खरीद करना चाहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होने जा रहा है कि यह जो धांधले-बाजी हो रही है उसको देखते हुए हम समझते हैं कि अगर आप इसके बजाय स्ट्रेट कम्युनिज़्म को सपोर्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब यह क्लॉज़ दुनियां के सामने आवेगा, ये बातें दुनियां के सामने आयेंगी, तो लोग इस कदर नाराज़ होंगे और कहेंगे कि यह क्या हुआ है। जितने भी ऐसे

Page No.30

[श्री गोपीलाल यादव]

किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, वे बेचारे बेदखल कर दिये जायेंगे, अब क्या होने जा रहा है कि एक किसान दूसरे अपने भाई किसान को जो अपने पास की जमीन से १०, ५ बीघा जमीन उसके भरण-पोषण के लिये देता है ? यह विचार करके देता है कि चलो मेरे पास ३० बीघा जमीन है यह मेरा भाई है, गरीब है, इसके पास कोई आजीविका का जरिया नहीं, उसको काश्त के लिये दे देता है। अब क्या होगा कि कम्बख्त काश्तकार ऐसे मिलेंगे कि अपनी जमीन को रख लेंगे इस डर से अब कोई भी उनको जमीन नहीं देगा। इस तरह से सबलेटिंग नहीं होगा और इससे जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वे भूखों मरेंगे। अगर कोई किसान सब लेटिंग गलती से करेंगे तो वे किसान खत्म हो जायेंगे। मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं कि इस चीज़ को विचार करने के साथ साथ एक चीज़ पर विचार कर लिया जाय कि समझ लीजिये कि आज माथुर साहब की कोठी जाने वाली है, वे एक कमरे से ज्यादा नहीं रख सकते। यदि इस तरह का कुछ हो जाय तो देखिये इनकी दौड़ धूप कितनी बढ़ जाय। मैं सच कहता हूं कि जब तक आप अपने उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चल सकेगा। मैं जागीरदारों को और मालदारों को पनाह नहीं देने जा रहा हूं। सवाल यह है कि जब हरेक सब टिनेन्ट को खातेदार बनाने जा रहे हैं, लेकिन आज जो सब टिनेन्ट है, जिसके पास जमीन नहीं, जो लैंडलैस है उसका प्रोब्लेम वैसा का वैसा ही बना रहेगा। आप जो चीजें कर रहे हैं उनसे किसी किसान को क्या फायदा होने जा रहा है ? आपके ध्यान में शायद जोधपुर के प्रोब्लेम्स हों तो आप इसमें यह कर सकते हैं कि इट विल एप्लाई ओनली टू जोधपुर डिविजन। मुझे जोधपुर का तजुर्बा नहीं कि वहां क्या चीज़ है ? लेकिन राजस्थान में ऐसी भी रियासतें थीं, जो बहुत एडवांस्ड थीं, जितना राजस्थान कभी हो नहीं सकता। किसानों की जो मिल्कियत राज्य द्वारा दी हुई थी उसको आज आप छीनकर मालिक बन रहे हैं। और उन मालिक किसानों को आप किसान बना रहे हैं। हमारे वहां कुछ रियासतों में जो काफी फारवर्ड थीं वहां लैंड लार्ड को नहीं बल्कि एक किसान के पास अगर बीस बीघा जमीन है या १५ बीघा है तो उन रियासतों ने कहा कि तुम मालिक हो, हम तुम्हारा यह मालिकाना हक नहीं छीनना चाहते, हम तुम्हारा खून पीना नहीं चाहते। यह उस जमाने में भी बड़ा चीज़ थी।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—कौनसी रियासतें ऐसी थीं ?

श्री गोपीलाल यादव—अलवर और भरतपुर। क्योंकि वे रियासतें जो थीं काफी फारवर्ड थीं उस जमाने में भी, क्योंकि उनके साथ ही में पंजाब का इलाका भी लगा था। मैं कहता हूं आप यहां पर पंजाब का कानून लागू कर दीजिये। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। पर इसके विपरीत आप ऐसा कानून इस समय बनाने जा रहे हैं कि जिनका भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और जिनकी जागीरदारों से लड़ाई रही और उनसे जो लड़ाई रही और इस वजह से उनके दिमागों में जो जागीरदारों का एक भूत और वहम घुस गया है, उसको वह आज भी निकालने नहीं जा रहे हैं।

मैं बताऊं आपको। आप उस इलाके में जाइये। अलवर भरतपुर के इलाके में जाइये। आप वहां देखेंगे कि जिनको बिस्वेदार कहते हैं, वे वास्तव में खातेदार हैं। फर्क इनमें सिर्फ इतना सा है

Page No.31

[श्री गोपीलाल यादव]

कि आप खातेदार टिनेन्ट बनाकर रेन्ट लगाना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि बीस बीस-रुपया और १८-१८ रुपया हम तुमसे लेंगे; वहां रेवेन्यू उनसे आठ आने दस आने और बारह आने बीघा ली जाती है।

अब वे खातेदार टिनेन्ट जो बिस्वेदार हैं और जो ईजमेन्ट प्रोप्राइटर्स के नाम से कहलाते हैं वे सब खातेदार बन जाते हैं। वे एक दूसरे को अपनी जमीनें दे देते हैं, जब जरूरत होती है तो अपने भाई को अपने रिश्तेदार और दोस्त आदि को दे देते हैं। अब दिक्कत क्या होगी कि वे अब किसी को न देंगे क्योंकि उनको अब न रिश्तेदार पर भरोसा होगा और न किसी पर भरोसा होगा और न वे किसी को जमीन देंगे। अब ५ साल के बाद नोटिस नहीं देते हैं तो पांच साल के बाद ऑटोमेटिकली वे मालिक हो जावेंगे। इसके माने क्या हैं ? अगर मान लो, वह नोटिस भी देता है और फिर भी अगर आप नहीं छोड़ेंगे और यह कह देंगे कि मुझे तो नोटिस सर्व नहीं हुआ है। मेरे पांच साल हो गये। इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दमेबाजी करो और इसमें भी यह होगा कि जो आज यहां कानून पास कराने वाले हैं वे अफसरों के पास पहुँच जावेंगे और कहेंगे कि उसको पजेसन दिलाया जाय या नहीं दिलाया जाय। तो इस तरह से नतीजा क्या होगा कि वही अनारकी इसमें भी हो जावेगी। जैसे कांग्रेस की बेन्चों पर बैठे सदस्य कह रहे थे कि आजकल सब तरफ अनारकी होगई है, वैसी अनारकी इसमें भी न हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि कोई नियम आप बनाएं उसके पहले यह मालूम कर लें कि पहले इसके क्या नियम थे। पहले यह था कि खातेदार टिनेन्ट अगर बारह साल जमीन जोत ले तो वह उसका मालिक होगा। अब कोई सिद्धान्त है नहीं। यह भी नहीं कि पांच साल बीते हैं या दस साल बीतें तो क्या करें। नियम कोई ऐसा बनाना चाहिये कि जो क्लीयर हो।

इसके अलावा दूसरी चीज क्या है ? आपने जागीरदारी एबोलिश की। नतीजा यह हुआ कि आपको जागीरदारों से बात करनी पड़ी। नैनीताल और दिल्ली तक गये और बाद में नतीजा यह हुआ कि आपने जागीरदारों के सामने अपने सिर झुकाये और उनको फिर बड़ी-बड़ी जागीरें दे दीं खुदकाश्त के नाम पर। लेकिन जो गैरखातेदार टिनेन्ट्स हैं उनका कहीं पर रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। सिवाय मेरे कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं करता है, उनको सदन में, (हंसी) गैरखातेदार को या खातेदार को, वहां तो या तो रिप्रेजेन्टेशन होता है जागीरदारों का या कैपिटेलिस्टों का या लैण्ड लैस टिनेन्टों का। मतलब यह कि खातेदार और गैर खातेदार टिनेन्ट का रिप्रेजेन्टेटिव इस हाउस में नहीं है।

श्री **भैरोंसिंह**—उन (सरकारी) बैन्चों में नहीं हैं ?

श्री **गोपीलाल यादव**—जी हां, उनमें तो बिल्कुल नहीं है।

(हंसी)

[श्री गोपीलाल यादव]

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि खातेदार टिनेन्ट्स के राइट्स को आप रिकग्नाइज करिये और जो हमला कि आप जागीरदारों पर कर रहे थे, वह उनके ऊपर आप को नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनको खातेदारी राइट्स कम मिले हैं तब भी आप कहते हैं कि जागीरदारी एरिया पर यह लागू होगा। आप कह सकते हैं कि वह जागीरदार तो जमीन को जोतता नही था। ५०० एकड़ भी उनको इसलिये मिली है कि उन्होंने कोई समझौता किया है। पन्त समझौते के नाम पर उनको यह जमीन मिली है। खातेदार जरूर बन गये पर वास्तव में वे किसान नहीं हैं। ठीक है उनको जमीन ले लीजिये पर सवाल तो इस बात का है कि जो वास्तव में खातेदार टिनेन्ट हैं, जो दरअसल में किसान हैं उनको आप खातेदार बना दीजिये, इस कानून के जरिये से और आप खुद भी ऐसे खातेदार किसान बन जाइये और जब आप बन जावेंगे तो मैं यह समझता हूँ कि आप इस कानून को और चेन्ज कर देंगे। आज आप अपनी निगाह में जो खातेदार है उसकी जमीन को छीन लें और खुद मालिक बन जावें, तब बाद में इस कानून में एक अमेंडमेंट कर लें कि अब खातेदार की जमीन इस की तहत में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास खातेदारी राइट्स आ गये हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप रिकग्नाइज़ करिये, उनके हकों को सेफगार्ड करिये, उनको विश्वास दिलाइये और इस तरह की चीज़ न बनावें, जिस तरह की चीज़ कि आज आप बनाने जा रहे हैं। इससे खातेदार टिनेन्ट पर बड़ा अन्याय होगा, उस पर बड़ा एक प्रकार का हमला होगा।

और मैं तो यह कहता हूं कि मैंने एक रिज़ोल्यूशन रक्खा था, बदकिस्मती से राजस्थान की, हमारी इस असेम्बली में, प्राइवेट मेम्बर्स डे ज्यादा रहते नहीं है। तो जो मेरा रिजोल्यूशन था उसकी मंशा यह थी कि जो बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर का एक इलाका है, जहां कि यह प्रोब्लेम ज्यादा है उसकी एक अलग स्टेट बना दी जावे। आप वहां पर जो चाहें करें। आपके प्रोब्लेम हमारे से मिलते नहीं है तो अपने प्रोब्लेम को हल करने के लिए वही कानून हमारे पर लागू करके वह प्रोब्लेम हमारे यहां क्यों खड़ा करने जा रहे हैं। इससे हमारे यहां नये प्रोब्लेम और खड़े हो जावेंगे और हमारी दिक्कतें बढ़ जावेंगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी जोधपुर और इस एरिया की एक अलग स्टेट बना लीजिये। आपका प्रोब्लेम हल हो जावेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सुझाव तो अच्छा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज़ और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन अभी सदन के सामने विचाराधीन हैं और जो संशोधन और क्लॉज़ है उसमें संशोधन का महत्व और इसलिये बढ़ जाता है कि इसमें जो बातें दर्ज हैं उनका किसान के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस पर गौर करने के अलावा कौन कम वर्ग का प्रतिनिधि है इस पर भी पहले कहने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस क्लॉज़ का जो उसूल है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि संशोधन का जो उसूल है, वह बिल्कुल ठीक है और न सिर्फ ठीक है बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है और न्यायसंगत है।

(सरकारी पक्ष की तरफ से हीयर-हीयर)

मेरे कुछ मित्र शायद उसकी बारीकी में नहीं गये। वह क्या कहता है, संशोधन। कोई खातेदार भी है मान लीजिये, और यह सम्बन्ध ऐसा है कि अब इसमें कई कैटेगरीज़ आने लगी हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे खातेदार एक शब्द हमने ईजाद किया है उसकी पूंछ में घुसने की कोशिश की गई है और ऐसा लगता है एक साथ चली गई है। अब सब लोग प्रोटेक्शन इस आवाज पर इस बिनाह पर मानते हैं, चूंकि हम तो खातेदार हैं हमें राहत दो। कपड़े बदलने से यह राहत मिलनी शुरू भी होगई है। इस वजह से उम्मीद बन गई है। तो एक पहले तो मेरे मित्र ने कह दिया कि जहां तक जागीरदारों का ताल्लुक है वहां तक तो यह ठीक है क्योंकि वे काश्त करते नहीं थे और केवल पन्त समझौते की वजह से खातेदार बन गये। उनको ऐतराज, इस वर्ग पर, इस बिना पर है कि वे आज खातेदार हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अर्ज करूंगा, माननीय चेयरमेन, कि इस क्लॉज़ में खातेदार और ईमानदार खातेदार और सही खातेदार पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या कहा है उसमें ? यदि......

श्री गोपीलाल यादव—आप जोधपुर को बिलोंग करते हैं मालूम होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं बिलोंग अपने आपको समझता हूं कि दुनिया को बिलोंग करता हूं, बिलोंग के अलावा जानकारी सब इलाकों की रखता हूं। इसलिए मैं आपको तसल्ली दिला दूंगा कि जिस अलवर और भरतपुर राज्यों की स्तुति में हम लग रहे हैं उन राज्यों के भूमि सम्बन्धों की असलियत क्या है। इस सिलसिले में मैं आपको तसल्ली दिला दूंगा।

तो यह है कि उसका ईमानदार, असली और सही मायने में खातेदार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्या कहता है वह ? वह यह कहता है कि अगर आपने अपनी जमीन किसी दूसरे को दी काश्त करने के लिए और किराये के रूप में दी; अब यदि आप चाहें कि वह जमीन आपको वापिस मिले तो किस कारण से चाह सकते हैं। या तो एक ईमानदार कारण से चाह सकते हैं कि आपको खुदकाश्त करनी है।...

श्री गोपीलाल यादव—That is already there in the bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Have faith in me and have some patience। या तो इस इरादे से चाह सकते हैं कि वह खुदकाश्त करने के इरादे से जमीन मांगते हैं। तो इस

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

संशोधन में लिखा गया है कि अगर इस इरादे से कोई लेना चाहे तो जरूर ले । लेकिन इस इरादे को छोड़ कर और किसी इरादे से लेना चाहे तो नहीं ले सकता है । और क्यों ले ? आखिर जमीन के ऊपर उसूल जो हमने स्वीकार किया है वह यह स्वीकार किया है कि जमीन जोतने वाले की है । और खातेदारों और गैर खातेदारों के प्रतिनिधियों का जिक्र किया उससे शायद ऐसा कुछ ख्याल होगया है कि वह जोतने वाले की नहीं बल्कि रजिस्टर में दर्ज जिनका नाम हो गया है, उनकी है । यह गलत खयाल है । रजिस्टर में नाम दर्ज होना और हल चलाना यह जुदा-जुदा बातें हैं । और हम रिकग्नाइज़ किसको करते हैं ? हकीकत को रिकग्नाइज़ करते हैं, रियलिटी को रिकग्नाइज़ करते हैं, असलियत को रिकग्नाइज़ करते हैं, वस्तुस्थिति को रिकग्नाइज़ करते हैं, तो कहेंगे कि उसको नहीं है जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है । दूसरी ओर जो हल, बैल और अपनी मेहनत से उस जमीन में सोना पैदा करता है उसके हक की रक्षा करने के लिए कोई कदम बढ़ायेंगे तो कैसा अन्याय होगा किसानों के साथ, काश्तकारों के साथ या खातेदारों के साथ या गैर खातेदारों के साथ ? इसलिए संशोधन में यह कहा है कि खातेदार कुछ मजबूरी की वजह से चाहे वह आर्थिक मजबूरी हो सकती है, बीमारी की मजबूरी हो सकती है, साधनों की मजबूरी हो सकती है, कुछ समय के लिए जमीन दे दे किराये पर और अब उसने इस अर्से में हालत ऐसी बनाली है कि वापिस काश्त करने का इरादा कर लिया तो अगर उस समय वह जमीन नहीं मिलेगी "resume for purposes of cultivation himself" तो ठीक बात है कि उसके साथ अन्याय होगा; लेकिन इस संशोधन के द्वारा यह रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है ।

श्री गोपीलाल यादव—मिलेगा नहीं,हमारा तो ५ साल का प्वाइन्ट है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस पांच साल वाले प्वाइन्ट का अलग से जिक्र करूंगा ।

श्री गोपीलाल यादव—हमारा अपोज़ीशन तो उसी प्वाइन्ट पर है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह प्वाइन्ट अलग है । जिस विशेष प्वाइन्ट पर लक्ष्य था, वह यह है कि वह उससे ले ले । इस बिल का मुख्य अंग यही है ।

अब आये हम....

श्री गोपीलाल यादव—मेरा ऑब्जेक्शन तो सिर्फ पांच साल वाले पर था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो ऐसा महसूस होता है कि इस संशोधन के उसूल तक तो एतराज नहीं है ।

श्री गोपीलाल यादव—That is already there in the bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास—झगड़ा यह है कि जो माननीय मित्र ने कहा है कि "देट इज आनरेरी देअर इन दी बिल" खैर, अगर है और दुबारा रख दिया है, तो ऐसा एतराज होना चाहिए कि फलां-फलां जगह है दुबारा रख दिया है। मैंने कोशिश की पता लगाने को। आवश्यकता भी थी लेकिन उसमें ऐसा नहीं रखा। रिकग्नीशन इसमें दिया है बिल में, वह फारमल टेक्निकल राइट को दिया है, रियेलिटी को नहीं दिया है। यह संशोधन ले आये तो जरूरी भी है कि इसके अन्दर हकीकत को मान्यता देने की कोशिश की गई है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ५ साल का रेस्ट्रिक्शन लगाया और अगर आप किसी को जमीन किराये पर देना चाहो तो ५ साल से कम मियाद पर आप दे नहीं सकते। यह जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है, इसके बारे में दो पहलू हो सकते हैं जो कि हमारे इस सदन में आये हैं। पहला तो यह है, माननीय चेयरमेन, कि किसी को यदि एक साल या दो साल के लिए असुविधा हुई और उससे आप कहें कि पांच साल से कम तुम दे ही नहीं सकते तो ऐसी हालत में छोटे काश्तकार को, एक छोटे खातेदार को बड़ा नुकसान हो जायगा। या तो उसे जो एक वर्ष की असुविधा है उसको बरदाश्त करना पड़ेगा या अगर देगा तो पूरे पांच साल के लिए देना पड़ेगा। यह प्वाइन्ट मेरे माननीय मित्र ने उठाया है और इस प्वाइन्ट में कुछ तथ्य भी है, ऐसा नहीं कि तथ्य नहीं है, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि यह एक ऐसा प्वाइन्ट है जिस पर हमें कुछ न कुछ व्यवहारिक हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी ओर हम चाहते क्या हैं? यदि हम कानून बनाते हैं तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है "We must not miss the wood for the trees" यानी २, ३, या १० पेड़ पर हमारी नजर हो और जंगल के जंगल खड़े हैं, उन पर हमारी नजर नहीं जाये ऐसा कहीं न हो जाय। यह पांच साल की मियाद लगाई गई तो इसके पीछे उसूल क्या है, उसके पीछे उसूल यह है कि वह केवल एक वर्ष या २ वर्ष के लिए वाजिब मजबूरी के लिए जिस खातेदार का प्रश्न होता है उसके लिए उसूल नहीं अलबत्ता उस खातेदार के लिए है जो खातेदार केवल नाममात्र के लिए है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अलवर, भरतपुर और जोधपुर की बात जाने दीजिये, जयपुर के अन्दर इस फुलेरा तहसील में जो बहुत ही नजदीक है यहां से और जितने भी माननीय मित्र जाते हैं फुलेरा से होकर उनको गुजरना पड़ता है, तो अगर स्टेशन पर न गुजर कर देहात के इलाके में आप जाय तो आपको मालूम पड़ेगा कि गांव के गांव ऐसे हैं कि जहां सांभर के रहने वाले बनियों ने खातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज करवा रखा है और घूघरी के रूप में कुछ रकम होती है या कुछ हिस्सा होता है, वह लेते है। वह एक एक का सबलेटिंग है, दुनिया जानती है और मानती है और अगर न मानें तो उसकी आंखें बन्द हैं। और यदि यहां पर जो सांभर के बनिये खातेदार बने बैठे हैं, उनकी ओर से कोई माननीय मित्र कहे कि हम खातेदारों के प्रतिनिधि हैं, हम खातेदारों के प्रतिनिधि सदन में बैठे हैं तो, मैं कहता हूं कि शोभा हो आपको ऐसे खातेदारों के प्रतिनिधि बनने में जो खातेदार तो हैं लेकिन काश्त नहीं करते हैं।...

श्री गोपीलाल यादव—ऐसे खातेदार तो आपके ही इलाके में मिलते हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—किसी कौम का क्यों नाम लेते हो?

श्री वेदपाल त्यागी—ये भी बनिये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह नाम ऐसा है कि यह राजस्थान में तो कम लिया जाता है लेकिन बरार और कलकत्ता की ओर माननीय मित्र चले जांय तो नाम लेने से ज्यादा ही मामला चला जाय। यह बहुत बड़ी बात है कि यहां केवल नाम लेकर छोड़ दिया है।

(पूर्व भाषण जारी रखते हुए) अब हम आवें अलवर और भरतपुर के इलाके की ओर। इस इलाके में मैं अर्ज करूंगा इस सदन में पिछले दो बार एक कानून पास किया गया। काफी बहस के बाद कानून पास किया। हाइकोर्ट में उस पर एतराज किया गया तो उस पर विचार करके फिर एक कानून पास किया। क्या कानून पास किया? वह कि वहां भूमि के स्वामी हैं बिस्वेदार, छोटे बड़े सब, यह कहना कि केवल छोटे-छोटे हैं, यह भी ठीक नहीं है और यह कह देना कि कोई जागीरदार नहीं है यह भी ठीक नहीं है। एक साहब ७०० बीघा जमीन लेकर बैठे थे उस पर किसानों ने कब्जा नहीं होने दिया। ट्रेक्टर लेकर गए थे वह तोड़ दिया गया। सदन में कोई बात कहते समय जिनको अपने इलाके का ज्ञान है वे ठीक ओब्जेक्टिव, सफाई रखें। हमने क्या कानून पास किया? वहां एबनोरमल रेन्ट लिया जा रहा है, वहां रेकरेन्टिंग जिसे कहते हैं वह हो रहा है।

श्री गोपीलाल यादव—यह गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब मैंने "हमने" शब्द कहा तो "गलत" कहने वालों को छोड़ कर......

श्री गोपीलाल यादव—आप चले जाइये उस इलाके में, २० साल पहले, जो काश्तकार मेरी जमीन में काश्त करते हैं, वे लगान देते थे, वह सरकारी लगान था। एक पैसा भी फालतू नहीं लिया गया। यही मेन्टेलिटी अलवर भरतपुर सब जगह की है। अलवर में तो थोड़े जागीरदार भी हैं लेकिन भरतपुर इतना एडवान्स था कि ८० साल पहले वहां जागीरें खत्म करदी गई थीं, जिनको आप यहां आज करने जा रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा व्यक्ति की ओर इशारा नहीं था, लेकिन यह मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट कर सकते हैं, यदि मेरे माननीय मित्र कि जितना लगान है उतना ही लिया है तो मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन यह दावे के साथ कहता हूं कि : he is not the norm, if he is, he is an exception. वे यह कैसे इन्कार कर सकते हैं कि वहां पर किसानों के लगातार सम्मेलन होते हैं, इस के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, मांग उठाते हैं कि लगान ज्यादा लिया जा रहा है। क्या इस सिलसिले में अलवर और भरतपुर के किसानों ने एक बार ही नहीं बल्कि सैकड़ों बार प्रदर्शन नहीं किया? मैं माननीय मित्र को यह इन्विटेशन देने को तैयार हूं कि अगर उनके ध्यान में अब तक रेकरेन्टिंग भरतपुर जिले में नहीं आया है तो वे मेरे साथ चलें उस इलाके में और मैं हजारों की तादाद में, इतनी बड़ी तादाद

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में कि जिससे उनको तसल्ली हो जायगी कि वहां जरूर रैकरेन्टिंग हैं, दिखाऊंगा। वे एक गांव ही नहीं बल्कि चाहे जितने गांव अलवर या भरतपुर जिले के चुनलें, मैं उनको उन किसानों से मिलाऊंगा जो उनसे यह कहेंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जब राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि रेन्ट से ऊपर दो गुना से ज्यादा नहीं लिया जाय, ऐसा कानून बनाया तो उसका स्वागत उस इलाके के लोगों ने किया, न केवल स्वागत ही किया बल्कि जब उसको बदलने की बात करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जायगी।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—Come to point please.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा ख्याल है कि the point in this particular respect has been allowed to be liberal ..

श्री सभापति—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I can admit, Sir but the point in this parti-cular respect has been very liberal and it might have deve-loped into certain diverticism. तो इसलिये जो मुख्य आधार है, वह मुख्य आधार यह है कि एक तरफ उस काश्तकार को, खातेदार काश्तकार को, कठिनाई है और वह कठिनाई न्याय-संगत है और दूसरी तरफ एक प्रवृत्ति है जो बड़ी तादाद में है और वह न्याय संगत नहीं है। वह प्रवृत्ति क्या है ? एक-एक, दो दो या तीन-तीन साल के लिये लगातार लीज़ देते रहना और एक-एक साल या दो-दो साल के लिये क्या इसलिये देते रहन कि वह मियाद पूरी होने पर वापिस खुदकाश्त करेगा ? यह बात नहीं है बल्कि किसी कानून के शिकंजे में न आजाय इससे बचने के लिये एक को छोड़कर दूसरे के साथ लीज करते हैं और तीसरे को छोड़ कर चौथे के साथ लीज़ करते हैं और वह इसलिये कि नये कानून से जो हक मिलने वाले हैं वे इस काश्तकार को नहीं मिले, यह लूप होल है। इस लूप होल को मिटाने के दृष्टिकोण से यह अमेंडमेंट लाया गया है। केवल काश्तकार खातेदार रहे तो उस पर पाबन्दी नहीं रहे। वाजिब कारणों को ले कर सही तरीके से कोई काश्तकार बताने आयगा उससे पहले अप्रोच करके हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बड़ी मात्रा में जो आज प्रवृत्ति हैं, वह न सिर्फ खुदकाश्त होल्डर्स के पास बल्कि खातेदार लोगों के पास जिनके पास बड़ी से बड़ी जमीन है उनसे लेकर हमको असली काश्त करने वालों को दिलानी चाहिये। यह संशोधन उसूलन सही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमैन, इस तरमीम के उद्देश्य के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा चुका है और मुझे उसके बारे में कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो भावना इसके पीछे है, वह साफ है। हम यह नहीं चाहते कि किसी भी तरह से जमीन को जोतने वाला उसके फायदे से महरूम रह सकता है। इसके लिये यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि यदि वह लीज देता

Page No.38

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

है तो ५ साल से कमती का नहीं दे सकता ताकि वह व्यक्ति जो उसे लेता है उससे अच्छा फायदा उठा सके, वह उस जमीन में खाद दे सके या और किसी तरह से जमीन को अच्छा कर सके, जिससे उसका पूरा उपयोग हो सके साथ ही साथ यह वास्तविकता है कि जो लोग जमीन को जोतने के लिये एक साल किसी एक काश्तकार को, दूसरे साल दूसरे को और तीसरे साल तीसरे को दें तो इससे न तो जमीन को अच्छी खाद दी जा सकती है और न अच्छी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं और उनको हमेशा यह मंशा रहती है कि किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठावें चाहे जितनी जमीन खराब हो जाय। इन बातों को रोकने की इस भावना से यह तरमीम पेश की गई है। लेकिन हमारे मित्र माननीय माथुर साहब ने जो तरमीम पेश की है, उसमें एक बात विरोधाभास की सी लगती है। वह यह है कि खातेदार को इस तरमीम के जरिये आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वह ५ साल से कम के लिये किसी को सब-लेट नहीं कर सकता है, लेकिन गैर-खातेदार को यह हक दे दिया कि वह १ साल से ज्यादा के लिये उसे सब-लेट नहीं करें। लेकिन इस में जो भाषा प्रयोग की गई है वह यह है कि एक साल एक को दे दिया और उससे दस्तावेज लिखा लिया कि मैं एक साल के लिये सब-लेट करता हूं। दूसरे साल दूसरा आदमी गैर-खातेदार के पास आया उसको जमीन दे दी और उससे दस्तावेज लिखा लिया। इस प्रकार करने से नतीजा यह होगा कि गैरखातेदार तो ५ साल में ५ आदमियों को सब-लेट कर देगा और उस पर कोई रोक नहीं होगी। यदि खातेदार के ऊपर रोक कर दी है तो एक गैर-खातेदार को इस तरमीम के जरिये ज्यादा फायदा पहुँचेगा बनिस्पत खातेदार के। यह एक ऐसी चीज़ है जो साफ नजर आती है, बल्कि कई लोग इसे महसूस करेंगे। सब क्लॉज़ में माननीय माथुरजी की जो तरमीम है वह इस प्रकार है :

"No ghair khatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year."

एक्सीडिंग वन ईयर के टर्म के लिए नहीं करेंगे लेकिन एक-एक साल के लिये करते जायेंगे और इसलिये इस रेस्ट्रिक्शन को, इस में जो वर्डिंग्ज हैं, साफ करने के लिये मैंने इस तरमीम में जो तरमीम पेश की है, वह यह है कि क्लॉज़ ४ में आपने सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को दुबारा काश्त करने से मना किया है कि वह सब-लेट नहीं कर सकता, इसी तरह यह भी होना चाहिये कि गैर खातेदार टिनेन्ट भी सब-लेट नहीं कर सकते। आपने गैर खातेदार टिनेन्ट को आगे जाकर राइट्स दिये हैं कि वह अगर १२ साल तक गैर खातेदार की हैसियत से रहता है तो उसको खातेदारी के राइट्स दे देने चाहिये। गैर खातेदार ने दूसरे से काश्त करवा ली तो उसके राइट्स चले गये। आपने सब-टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के ऊपर जो पाबन्दियां लगाई हैं उनको इम्प्रूवमेंट्स के बारे में जो सब-सेक्शन है, उनमें देखिये। इसी तरह गैर खातेदार है जिस तरह कि सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त है। मैं यह तरमीम रखना चाहता हूं इस चौथे क्लॉज़ में :

"No sub-tenant or a khatedar tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding except under circumstances specified in section 37."

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

इसमें 'नो' शब्द के आगे गैर खातेदार शब्द और बढ़ा दिया जाय, अब यह यों रीड करेगी :

"No ghair Khatedar, sub-tenant of a khatedar tenant or tenant of Khud kasht shall sub-let the whole or any part of his holding except under circumstances specified in section 37."

और सब क्लॉज़ ५ को डिलीट कर दिया जावे। जो रेस्ट्रिक्शन्स सब टिनेन्ट्स और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के ऊपर हैं, वह गैर खातेदार के ऊपर भी हो जायेंगे। इसका जस्टीफिकेशन यों भी है कि आप इम्प्रूवमेंट की सेक्शन्स को देखिये, क्लॉज़ ५१ऐसा यों है :

"No ghair khatedar tenant or tenant of khudkasht or sub-tenant shall make any improvement unless he has obtained the consent in writing of his landlord."

तो जब आपने इम्प्रूवमेंट में गैर खातेदार टिनेन्ट के ऊपर यह पाबन्दी लगा रखी है तो सब-लेटिंग में भी यह पाबन्दी होनी चाहिये, जिसके खुद के मुस्तकिल अधिकार नहीं हुए हैं, वह दूसरा को कैसे अधिकार दे सकेगा। गैर खातेदार टिनेन्ट टेम्पॉरेरीली काश्त करता है वह दूसरों को दे देगा और बिना कुछ किये ही उसका उस पर अधिकार हो जायगा।

अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो तरमीम रखी है वह बहुत जरूरी है, इसे मंजूर किया जावे।

श्री ईश्वरीसिंह—आप लोग जो या रख रिया हो के ५ साल के लिये खातेदार कोई काश्तकार ने जमीन बता दे और पांच साल बाद आपकी वापिस ले ले तो ईं के लिये मैं आप लोगां कूं बताणी चाहूं हूं के काल एक भाई बोलगो हो के आज आप अंग्रेजां सूं भी आगे जा रया हो। तो वीं को प्रतिवाद करता एक भाई कयो के इयांन की अंग्रेजां का जमाना में करता तो काश्तकार नें हाथ पकड़ कर फेंक दियो जातो। मैं मिसाल के तौर पर बताऊं, १६ साल पहली ठिकाना सीकर में सेटलमेंट होकर पर्चाबन्दी हुई, वो अंग्रेज हो और वीं का जमाना में हुई वो वीं के सेटलमेंट गैर काश्तकारां ने के हक दियो के काश्तकार पट्टेदार कें खेत में शिकमी काश्तकार काश्त करे है तो वीने वो पट्टेदार हटा नहीं सके और सरकार जो वीं खना सूं लगान ले वो ही लगान वो पट्टेदार वीं शिकमी काश्तकार सूं ले सके है, और हटा नहीं सके। अब नयो सेटलमेंट हुओ तो वो खातेदार बण जायगो। पट्टेदार रहेगो तो काश्तकार पण जमीन-छुड़ा नहीं सकेगो, तो जमीन के अलावा तो वीं के नौकरी दुकान क्यूं आप नहीं तो वो काश्तकार कियां रे और कियां रह सके है। अंग्रेजी जमाना की बात है।

[श्री ईश्वरीसिंह]

दूसरो ओ कियो हो के खातेदार, पट्टेदार है वीं ने हाथ पकड़कर छुड़ा देता। मारे ठिकाणां में बड़ा महाराज हा जद वो तो कानून नहीं हो के कीड़ी की खाल काढ़ी जाती पण हां ब्रीं इन्साफ में मैं समझूं हूं के स्वराज हो वो अब कोनी। मारे एक ३०० बीघा जमीन ही, मारे पिता ५ भाई हा वे वीं जमीन ने बोता हा। दूसरी कांकड़ में जमीन ही वे दूसरा काश्तकारां ने देणी चाही, दूसरा काश्तकारां ने बताणी चाया। ई बात को मामलो ५-७ महीना चाल र जेट का महीना में मेह हुयो तो मारा पिता कच्चा पाना पर दरख्वास्त दी के ३०० बीघा जमीन खोसो जाय है, कठे मैं जायर आबाद हो सकूं हूं, ५०, ६० आदमी घर में हां, कठे जा सकां हां। वीं पर राज हुक्म दियो के १२ सवार इसके साथ भेज दिये जावें और खेत में काश्त कराई जावे। खेत में आगे ५०० आदमी लाया, कियों के मारी कांकड़ में है, म्हां मरियां बिना काश्त नहीं करबा दां। ओटी ही रपोट हुई तो २०० सवार भेजिया के जो उठे खड़ा है वाने लाय र जेल में रख दिया जावे। जागीरदार ने ज्यादा लगान लेणों वे तो अलवर भरतपुर में जार जमीन मोल लेवें, जठे बोलो लगान मिल सके है। आ तो सामन्त शाही की बात है। और आज स्वराज में ओ कानून बणायो जाय है के ५ साल बाद काश्तकार ने हटा दियो जायगो और पट्टेदार ने सम्हला दियो जायगो। तो ५ साल बाद वो काश्तकार हट जायगो, ५ साल के पहले मर जाय, एक आदमी मरे हैं, वीं को आज को इन्तजाम कर दो तो तड़के मरेगो, तड़के को इन्तजाम कर दो तो परस्यु मरेगो। काश्तकार है वीं ने बता दो जाय और इयां की बांता सुधार की जाय के हरिजनां ने, भूमिहीण किसानां ने, बावरी सरभंगा हरिजनां ने जमीन दी जायगी तो मारी समझ में कोनी आवे के कियां करियो जायगो। करियो जाय तो इयां करो के एक काश्तकार ने ५ साल के वास्ते दे, वो ५ साल ताणीं आबाद करे और फेर हाथ पकड़र काढ दियो जाय आ कियां की बात है। अंग्रेजां का जमाना में भी आ बात ही के १५ साल तक कोई नौकरी करतो तो वीं नौकर ने पेन्शन दी जाती तो वो काश्तकार ५ साल बाद कठे जाय, के करे? और कह सके है के इं की खेती को करे है। तो मैं आप लोगों से आ अर्ज कर रह्यो हूँ कि कानून आप लोग बना रया हो। आ बहुत मोटी चीज़ है। इं बगत कानून बण जावेगा और आप दूसरा देशों की ओट में यू. पी., सी. पी. रे कानून रे माफिक अठे भी कानून बना रया हो पर उठे तो शक्कर, गुड़ आदि चीनी बहुत उपजे है और भी बहुत पैदावार है और आपणे अठे बाजरी और मोठ के सिवाय कोई उपजे नहीं। काश्तकार पर पाबन्दी लगाई जाने की है वह हटा दी जावे। तो मैं तो आ अर्ज करूं हूं के जो कानून बनायो जावे वे क़ाश्तकार जो २, ३, ४, ५ या १० बीघा तक खेती करे है वे पट्टे लेवा रे हकदार नहीं। वे ही हकदार है जो जमीन पर काबिज़ है।

श्री घीसीसिंह—माननीय चेयरमेन, आज सदन में जिस प्रश्न को लेकर चर्चा हुई है, वह प्रश्न तो सीधो-साधो है, लेकिन उलझन बहुत बड़ी भारी हो गई है। कहीं पार्टी पोलिटिक्स और कहीं देश-प्रेम उमड़ उठो है। प्रश्न सीधो सो है कि खातेदार, गैर खातेदार को किस तरह से जमीन दे। वर्ष ५ के लिए दे या एक वर्ष के लिए दे, यह एक प्रश्न है। एक तरफ से यह कहा जाता है

[श्री घीसीसिंह]

कि ५ वर्ष के लिए दे और दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक वर्ष के लिए दे । यामें बीच में निर्णय करनो आवश्यक है कि किस तरह से दे । मैं तो यह कहूंगा कि खातेदार गैर खातेदार को अगर जमीन दे तो ५ या १० वर्ष के लिये जितने समय के लिए भी दे तो वह अपनी राजीखुशी से दे और जब वह उससे लेना चाहे अपनी मर्जी आवे तब वापिस ले ले और गैर खातेदार जिसके पास १० वर्ष तक के लिए रखो जावे या ५ वर्ष के लिये दी जावे वह उसको सदावृत नहीं माने और दूसरे को एक वर्ष के लिए दे दे । अगर उसके पास जमीन नहीं चलती है तो उसको चाहिए कि उस जमीन को वापिस खातेदार को दे दे । उसकी मर्जी है, अगर वह चाहे तो किसी दूसरे गैर खातेदार को दे दे । अगर इस प्रकार की छूट इसमें रखी जावेगी तो गैर खातेदार को और खातेदार के लिए, तो जमीन सबको जल्दी से जल्दी मिलेगी और कोई भी दिक्कत सामने नहीं होगी। मेरो तो यही छोटा सा सुझाव है । जय हिन्द ।

श्री गोपीलाल यादव—ठाकुर साहब को सुझाव बहुत ही प्रेक्टिकल है ।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, श्री माथुर साहब ने जो संशोधन रखा है उस पर मुझे दो शब्द कहने हैं । इस अमेन्डमेन्ट के साथ साथ माननीय सदस्य इस एक्ट की टाइटल में भी कोई अमेंडमेंट रख देते तो और भी ज्यादा अच्छा होता और इसका टाइटल है, उसकी जगह टिनेन्ट डिस्ट्रक्शन बिल रख देते तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता । अगर वे ऐसा करते तो इस में किसी को आपत्ति नहीं होती । एक तरफ तो टिन्योर की डिगनिटी के वास्ते और तरह तरह से टिनेन्टों को राहत पहुँचाने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के अमेंडमेंट द्वारा हम टिनेन्ट पर अत्याचार करने के लिए उतारू होते हैं । माननीय चेयरमेन, इस बिल में अमेंडमेंट आ रहे हैं, उनको देखने से पता चलता है कि शनैः शनैः हम इस बिल के मूलभूत उद्देश्य से दूर हटते जा रहे हैं । मैं नहीं समझता कि अमेंडमेंट रखने वाले महाशयों के सामने कौनसी ऐसी बात है जिससे उनको इस प्रकार की चिन्ता प्रतीत हो रही है, जिससे प्रेरित हो कर वे इस प्रकार के अमेंडमेंट ला रहे हैं । माननीय चेयरमेन, मैं आपकी मार्फत सदन से अर्ज करता हूं कि हमारी एग्रोगेरियन पोलिसी जो रिफोर्म के मुताबिक यह कहता है कि सब टिनेन्ट को डिसकरेज करना चाहिये । इसके अलावा इन्टर मीडिएटेरी भी नहीं रहने चाहिये । मगर इस संशोधन के द्वारा यह इन्टर मीडिएटरीज़ ५ साल तक कायम जरूर रखे जावें । हम यह समझते हैं कि इस प्रकार के संशोधन ला कर हम अपने उद्देश्यों से पीछे हट रहे हैं । हमारी एग्रोरेरियन पोलिसी का मुख्य लक्ष्य भूमि के उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना था और इस सिद्धान्त को मद्देनजर रख कर टिनेन्ट्स और टिनेन्सी बिल पर विचार करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन मैं देखता हूं कि प्रोड्यूस बढ़ाना तो दूर रहा अगर इस प्रकार का कानून बन गया तो प्रोड्यूस उल्टी कम होने लगेगी ।

माननीय चेयरमेन, जब इस प्रकार का एक टिनेन्ट पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावेगा तो वह पहले जिस तरह से अपने होल्डिंग का अपने आप किसी न किसी तरह से मेनेज़मेंट कर लेता था,

[रावत श्री शम्भूसिंह]

वह किसी तरह से टिनेन्ट और सब टिनेन्ट से मिल कर म्युचुअल एग्रीमेन्ट से खेती का इन्तजाम कर लेता था, पुराना गांव का रिवाज जिस तरह से चला आ रहा था, अब इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट आने से वह पुराना एरेंजमेंन्ट सब डिस्टर्ब हो जाता है। माननीय चेयरमेन, मान लें कि एक टिनेन्ट अपनी जमीन पर काश्त करता है और किसी व्यक्ति को वह एक साल के लिए किसी कारण से दे देता है। मान लें कि उसके पास एक बैल कम हो गया या उसका एक आदमी बीमार पड़ गया तो वह एक साल का हांसिल भर से न देकर अपने म्युचुअल अन्डरस्टेंडिंग द्वारा खेती करने के लिये जमीन दूसरे को दे देता है। फिर दूसरे साल उससे लेकर खेती कर सकता है। मगर जब इस प्रकार का अमेंडमेंट आ जावेगा तो वह मजबूर हो जावेगा कि ५ साल तक वह अपनी जमीन को खुदकाश्त नहीं कर सकता है। वह मजबूर हो जावेगा अपनी जमीन को दूसरों को देने के लिए। इस प्रकार की और बहुत सी कठिनाइयें आ सकती हैं। गांव में खेती किस प्रकार होती है, वे गांव वाले ही जानते हैं, उसको इस प्रकार शहर में रहने वाले और अमेंडमेंट रखने वाले व्यक्ति नहीं जान सकते। वे कह देते हैं कि प्रेक्टिकल रूप में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वास्तव में प्रेक्टिकल रूप में कुछ नहीं जानते। माननीय चेयरमेन, यह कोई छुपी बात नहीं है कि गांव की असलियत क्या है और गांवों में किस प्रकार का काम रहता है। इस पर शहर के रहने वाले व्यक्ति जो इस बात के अधिकारी नहीं कहला सकते कि खेती की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं। वे इस प्रकार का अमेंडमेंट लाकर एक मुसीबत पैदा कर देते हैं। माननीय चेयरमेन, यह एक बिल्कुल इम्प्रेक्टिकेबल अमेंडमेंट है। हम नहीं चाहते कि वे शहर के लोग जिनको गांव की खेती का बहुत कम अनुभव है अपनी व्हिम्ज़ के द्वारा इस प्रकार गांव के टिनेन्टस् को ऐसा बना दें कि वे अपने खेत का प्रबन्ध ठीक तरह से न कर सकें।

माननीय चेयरमेन महोदय, इसमें एक बात देख कर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गैर खातेदार टिनेन्ट तो साल दर साल होल्डिंग को सब-लेट करते आयेंगे परन्तु टिनेन्ट ने ही न मालूम क्या अपराध किया है, जिसको कि अधिक अधिकार देने का दावा हम करते हैं, कि वह खातेदार टिनेन्ट जमीन को किसी तरह से बोने के वास्ते दूसरों को न सौंप सकेगा। यह एक ऐसी अनहोनी बात है कि जो गैर खातेदार टिनेन्ट काम कर सकता है, वह खातेदार टिनेन्ट सफलता पूर्वक नहीं कर सकता है। तो इससे नतीजा यह होने वाला है कि या तो खातेदार टिनेन्ट खुद ही अपनी होल्डिंग को टिल करके काश्त करे और यदि उससे न हो सके तो जमीन को पड़त रखे या पांच साल तक जिस जमीन में अपने रिसोर्सेज़ को वह काम में ला सकता था और जिससे ज्यादा पैदावार बढ़ा सकता था, प्रोडक्शन बढ़ा सकता था, वह उससे महरुम हो जावे। इस प्रकार के प्रतिबन्धों से देश की सामुहिक खेती के प्रोडक्शन में एक प्रकार से रुकावट पड़ जावेगी और राष्ट्र के लिए एक प्रकार से हानिकारक बात हो जावेगी।

तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि खातेदार टिनेन्ट को प्रोटेक्शन मिलना तो दूर किनार रहा, इस प्रकार के अमेंडमेंट के द्वारा इस प्रकार की बातें करने लग गये हैं कि जिससे खातेदार टिनेन्ट न

[रावत श्री शम्भूसिंह]

तो सफलतापूर्वक खेती करवा सकता है और न उसके पास जो रिसोर्सेज़ हैं उनको काम में लाकर प्रोडक्शन बढ़वा सकता है। मान लीजिए कि एक साल के लिए उसने सब-लेट कर दी, लेकिन ज्यादा रिसोर्सेज़ के द्वारा जो कि सब टिनेन्ट को अवेलेबल नहीं है, चूंकि खातेदार टिनेन्ट के पास बढ़े हुए रिसोर्सेज़ थे, वह अधिक प्रोडक्शन करवा सकता था, उससे मरहूम हो जाता है। इस प्रकार पाबन्दी लगाने से इस प्रकार खेती के प्रोडक्शन में अहित हो जावेगा और जमीनें पड़ी रहेंगी और इस प्रकार सब टिनेन्ट को प्रोटेक्शन मिलने से टिनेन्ट्स का आप अहित ही कर देंगे।

माननीय चेयरमेन, इस प्रकार से टिनेन्ट को उसकी होल्डिंग में स्वतन्त्रतापूर्वक खेती करने का अधिकार न हो इससे बड़ी अनहोनी बात और क्या हो सकती है। मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने यह अमेंडमेंट पेश किया है अनुरोध करूंगा कि यह बड़ा इम्प्रेक्टिकेबल अमेन्डमेन्ट है और जिसकी अव्यवहारिकता को गांव में रहने वाले ही समझ सकते हैं, जो खुदकाश्त करते हैं और गांवों में रहते हैं, वे ही समझ सकते हैं, वे अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लें।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमैन, मैं एक छोटा सा अमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं यदि आप इजाज़त दे दें तो।

श्री सभापति—अभी नहीं दूंगा।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन महोदय, जो अमेन्डमेन्ट माननीय माथुर जी ने पेश किया है मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। आपने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके मूलभूत सिद्धान्त दो बतलाये हैं। एक तो यह कि हमको सब टिनेन्सी को डिस्करेज करना है और दूसरा यह कि सब टिनेन्ट्स को अगर पांच साल का समय नहीं दिया गया तो वे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं।

ये दो रीज़न्स आपने बताये। इस बिनाह पर कि जो पांच साल की अवधि सबलेटिंग की थी उसको बदल कर अब कम से कम पांच साल की कर दी गई है और उसमें पांच साल का एक्स्टेन्शन और कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में अगर हम बिल की धारा, इम्प्रूवमेंट की जो क्लॉज़ ५१ हैं, उसको देखें तो उसको देखने से हमें मालूम होगा कि जब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त के इम्प्रूवमेन्ट के जो राइट्स हैं, उसमें है :

"Right of other tenants to make improvements :—No ghair khatedar tenant or tenant of khudkasht or sub-tenant shall make any improvement unless he has obtained the consent in writing of his landholdr."

तो मेरा अर्ज करना यह है कि जो क्लॉज़ ५१ इस वक्त बिल में है, इसके लिये यह कहा जा रहा है कि आयन्दा अमेंडमेन्ट आ रहा है, ठीक है देखा जायगा जब आयगा तब। तो जो क्लॉज़

[श्री श्यामलाल गोयल]

५१ है उसमें यह क्लीयर है कि सब टिनेन्ट को कोई राइट नहीं है कि वह किसी तरह का इम्प्रूवमेंट कर सके जब तक कि लैंडहोल्डर से रिटन परमिशन न ले। जब ऐसा है तो जो यह कहा जाता है कि उनको इम्प्रूवमेंट का राइट मिल जायगा वह फिजूल सा मालूम होता है। अगर लैंडहोल्डर किसी इम्प्रूवमेंट की इजाजत नहीं देता है तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो दलील दी जाती है कि इससे कोई इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसी संभावना नहीं है।

यदि जो अमेंडेड क्लॉज है और जो ओरिजिनल क्लॉज है, दोनों को ही देखा जाय तो देखने पर यह विचार करना होगा कि अमेंडेड क्लॉज को पास करना चाहिये या ओरिजिनल क्लॉज को ही हमें रखना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट इस वक्त सदन में प्रस्तुत किया गया है उस अमेंडमेंट को देखकर उसका नतीजा यह होने वाला है कि खातेदार सब टिनेन्ट को कोई जमीन काश्त करने के लिये नहीं देगा। एक खातेदार जिसके पास कोई जमीन है वह यह सोचेगा कि पांच साल के लिये मेरी जमीन तो गई क्योंकि पांच साल से कम के लिए तो वह नहीं दे सकता। उसके बाद भी फिर वह यही सोचेगा कि पांच साल के बाद भी अगले पांच साल के लिए मेरी जमीन फिर गई और फिर वह उस जमीन को उस हालत में ले सकता है कि उसको जरूरत हो। तो मेरी समझ में नहीं आता है और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा भी है, कि अगर कोई छोटा सा काश्तकार, किसी वजह से उसके मवेशी मर जाते हैं या और कोई कारण हो जाता है कि जिसकी वजह से जमीन को शिकमी काश्त के लिए दे देता है, इस उम्मीद से कि अगले साल काश्त कर लूंगा, इस वक्त मेरे पास जरिया नहीं है तो उस छोटे से काश्तकार को क्यों बांधा जाता है कि तुमको पांच साल के लिए शिकमी रखना होगा। यह कितना घोर अन्याय है, उस छोटे से काश्तकार के लिए।

(करतल-ध्वनि)

इस बात को हमें जरूर देखना होगा। बहुत सी इस तरह की बातें भी कही गई हैं कि बहुत बड़े बड़े खातेदार हैं, उनका तरीका ही यह है कि वे जमीनों को दूसरों से काश्त कराते हैं, और दूसरों से काश्त करवा कर फायदा उठाते हैं। सरकार द्वारा इस चीज़ को रोकने के लिए सीलिंग कमेटी बैठाई हुई है। आपने सीलिंग मुकर्रर कर दिया है। उसके अलावा भी यह प्रोविज़ो और कर सकते थे सेपरेटली कि इतनी जमीन कोई शख्स बराबर किसी दूसरे से शिकमी तौर पर काश्त कराता है तो उसके बाद उसका हक खातेदारी का जायज़ हो जायगा। वह प्रोविज़ो अच्छा हो सकता है। बजाय इसके कि बहुत से काश्तकार अपनी जमीन को शिकमी काश्त के लिए बतलावें तो उनको पांच साल के लिए जमीन से महरूम कर दिया जाय।

एक दूसरी और समस्या जो फौरन ही इस अमेंडमेंड के पास होने से पैदा होगी वह यह है कि आज जो मियाद है, उसको ओरिजिनल क्लॉज में जो है उसके माफिक पांच साल तक की अधिक

[श्री श्यामलाल गोयल]

है। इस पांच साल की अवधि तक जमीन को शिकमी के लिए दिया जा सकता है। अब अगर यह अमेंडमेंट पास हो जायगा तो लोग बाग शिकमी काश्तकारों को जमीन देते हुए हिचकेंगे, और उसका नतीजा यह होगा कि जिन लोग बागों के पास बैल हैं, किन्तु खातेदारी की जमीन नहीं है, वे अपना पेट भरना चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, शिकमी तौर पर जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं मिलेगी। उनको लैंडलेस लेबरर्स होना पड़ेगा।

यह एक ऐसी समस्या है जिसके उत्पन्न होने से या सोचने मात्र से बड़ा अहित हो सकता है। यह हम अमेंडमेंट करके शिकमी काश्तकारी को डिस्करेज कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि कोई शिकमियों को जमीन नहीं देगा और वे लेन्डलेस होकर इधर उधर मारे मारे फिरेंगे।

एक दूसरी और समस्या है और वह इम्प्रूवमेन्ट्स के सिलसिले में है। जिसका संबन्ध शिकमियों से है जो जमीन शिकमी काश्तकार को काश्त के लिये दी जायगी, उससे है। इससे यह भी हो सकता है कि पांच साल तो दर किनार रहा, लोग जमीन को खराब करेंगे, जमीन का कोई ख्याल न रखेगा। इसके लिये ज्यादा अच्छा यह है कि जो मूल क्लॉज़ है जिसमें सब टिनेन्ट को देख कर यानि जब टिनेन्ट यह देखता है कि यह काश्तकार है जो जमीन में ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है, उसको ही वह पांच साल के लिये जमीन दे सकता है। जो पांच साल की मियाद पहले मुकर्रर है, उसको 'एट लीस्ट फाइव ईयर' करना कतई न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता।

एक संशोधन श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने भी रखा है उसके मुआफिक जो उनका अमेंडमेंट क्लॉज़ ५ में है उसको डिलीट करते हुए कुछ शब्द सब क्लॉज़ (४) में जोड़ने का उन्होंने सुझाव दिया है; उससे भी मैं कतई सहमत नहीं हूं। उनकी जो डिफीकल्टी दरअसल है, वह दूसरे तरीके से भी हल हो सकती है। जब कि गैर खातेदार को एक साल के लिये शिकमी रखने का अधिकार दिया गया है। गैर खातेदार काश्तकार वह है जो भाखरा चम्बल केनाल या सिवाय चक की जमीन पर जो काश्त करता है वह गैर खातेदार है; या वे जो सरकार को लगान देते रहते हैं और जमीन पर काश्त करते रहते हैं वे गैर खातेदार काश्तकार हैं। अगर इन सब को बराबर के अधिकार दे दिये जाते हैं तो यह बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि जहां तक सब-टिनेन्ट का ताल्लुक है वहां पर हम यह प्रतिबन्ध लगाते हैं, सब-टिनेन्ट के लिये ५,१० साल के लिये मियाद मुकर्रर करते हैं तो गैर खातेदार के लिये कोई मियाद मुकर्रर न करना ठीक नहीं है। इसके लिये यह प्रोविजन रख दिया गया है कि गैर खातेदार शिकमी को बतला सकता है। एक साल के बाद दुबारा वह मियाद नहीं बढ़ा सकता जब तक कि बीच में वह एक साल के लिये खुदकाश्त न कर ले। इस तरह से जो डिफीकल्टी बृजसुन्दरजी को है वह इस तरह से दूर हो जाती है। कानून द्वारा उस हालत में गैर खातेदार को शिकमी काश्तकार की तरह मियाद बढ़ाने के लिये मौका आ जायगा। उसके लिये भी प्रोविजन हो जायगा। इस शब्द साथ मैं इस संशोधित क्लॉज़ का जो कि पेश हुआ, विरोध करता हूं।

श्री भीमसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं अपना संशोधन मूव करने से पहले माथुर साहब ने जो संशोधन रखा है, उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। माननीय श्री मथुरादासजी ने जो संशोधन रखा है, वह संशोधन सिलेक्ट कमेटीने जिस प्रकार इस क्लॉज़ को रखा है, उस क्लॉज़ की मन्शा को बिल्कुल हेर फेर कर देता है। उससे उल्टा ही तात्पर्य निकलता है। इसलिये मुझे उनके संशोधन पर आपत्ति है। इसलिये मैं उनसे फिर से निवेदन करता हूं कि वे अपनी मन्शा को साफ कर दें अगर वे यह समझते हैं कि सबलेटिंग नाजाजिब है, सबलेटिंग से जमीन को और प्रान्त को नुकसान है, तो उनके संशोधन की रूपरेखा ही और होनी चाहिये। अगर वे सब लेटिंग को वाजिब समझते हैं तो उनकी मन्शा कतई इस संशोधन से पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर वे सब लेटिंग नहीं चाहते तो खुलासे के रूप में इस संशोधन को रखना चाहिये। सब लेटिंग कतई मुआफिक नहीं हो, तो जो काश्त अपनी जमीन पर नहीं कर सकते तो उनका उस जमीन पर हक रहना भी वाजिब नहीं। इसलिये सब लेटिंग होना चाहिये। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि उनका जो अमेंडमेंट है, वह बिल्कुल इस मन्शा को पूरा नहीं करता है। इस रूप में मन्शा पूरी नहीं करता जब कि पांच साल के लिये रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है तो पांच साल के बाद अगर खातेदार भूल जाता है उसको नोटिस देने का, तो उस हालत में "It shall be deemed to have been renewed." रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे देंगे दस साल के लिये। इस तरह से खातेदार उस कुए और जमीन से हाथ धोयेगा। आपका क्लीयर ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप सब लेटिंग की इजाजत देना चाहते हैं तो आपके इस संशोधन से रूकावट आती है; लेकिन जैसा कि आपके भाषण से पता चलता है आपका ऑब्जेक्टिव सब लेटिंग को डिस्करेज करने का नहीं है, इसलिये यह जो संशोधन रखा है उसकी मन्शा है कि सब-लेटिंग की इजाजत होनी चाहिये, इस मन्शा से विपरीत है।

जैसा कि उन्होंने फरमाया कि पांच साल से कम समय के लिये काश्तकारों को काश्त के लिये भूमि न दी जाय क्योंकि इतने से कम समय में वे खेती में इम्प्रूवमेंट्स नहीं कर सकते। ऐसी हालत में खेती की तरक्की नहीं होगी और इसके प्रान्त की तरक्की नहीं होगी। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि अगर इम्प्रूवमेंट्स की जो डेफिनिशन दी गई है, उसको अलग से मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको पता चलेगा कि पांच साल की मियाद देने से भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो सकेंगे। इतने भोले तो किसान नहीं होंगे जो उनको पांच साल के लिये कोई भूमि मिली हो उसमें वे इम्प्रूवमेन्ट्स करें। अगर आप इसकी डेफिनिशन का मुलाहिजा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे इम्प्रूवमेंट्स किस किस तरह के होंगे उनकी तीन केटेगरीज रखी हैं।

1 Dwelling House.

2 Cattle shed and Store House,

3 Construction of Bunds, tanks and wells,

4 Works for the drainage of land,

5 Reclaiming, clearing and terrasing of land.

Page No.47

[श्री भीमसिंह]

यह सब चीजें ऐसी हैं जो पुख्ता चीजें होती हैं । कोई भी काश्तकार जिसको यह ख्याल हो कि उसको केवल यह जमीन पांच साल के लिये मिली है, पांच साल के बाद उसको खातेदार हटा देगा, वह अगर कोई चीज़ वहां बनायेगा तो एक प्रकार से बहुत बड़ी भूल करता है, इसलिये इन तीन प्रकार की चीजों को कोई बनाने को तैयार नहीं होगा । आज आप देखिये कि एक २ कुए पर चार २ हजार रुपये लगते हैं तो कोई पांच साल के लिए चार हजार रुपये खर्च करने को तैयार नहीं होगा । कोई भी स्टोर हाउस नहीं बनायेगा । खाद देना आप इम्प्रूवमेंट नहीं फरमा सकते, क्योंकि किसी भी जमीन पर कोई एक साल के लिये भी काश्त करता है तो उसको उस जमीन में खाद देना अवश्य पड़ेगा । खाद देना, प्लोइंग करना इम्प्रूवमेंट नहीं कहला सकता । वे तो खेती करने के पहले यह काम करना, प्लाविंग करना, जोतना आदि तो आवश्यक हैं । ऐसी चीजों को हम इम्प्रूवमेन्ट्स नहीं कह सकते ।

तो कौन से इम्प्रूवमेन्ट्स हैं जिनसे यह सख्ती हो रही है । पांच साल से कम टाइम रक्खा गया तो हिचकिचाएंगे । जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट रक्खा है, उसका तो पांच साल के बाद मालूम होगा । तो यह सम्भावना है कि खातेदार इजेक्ट कर सकता है । उस हालत में भी वह इम्प्रूवमेंट कतई नहीं करेगा । तो यह दलील जो उनकी है, उससे भी यह मंशा पूरी नहीं होगी ।

मैं पूछूंगा कि यह इम्प्रूवमेंट होता तो राजस्थान सरकार जो गंगानगर में जमीन है और जिसे वह ठेके पर देती है, वह भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर यह सरकार का नुकसान देने वाली चीज होती तो सरकार ऐसा नहीं करती । तो इसलिये स्पष्ट है कि गवर्नमेंट भी यह महसूस करती है कि एक साल में सबलेट की जाती है तो जमीन को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ।

दूसरी जो आपत्ति है कि पांच साल से कम समय नहीं रखने का । वह यह है कि अगर खातेदार ने अपनी जमीन सबलेट की और वह पांच साल के लिए पाबन्दी है तो एक साल के बाद गैर खातेदार जिसको मालूम है कि पांच साल तक मेरा इस पर अधिकार है, इससे पहले मुझे यहां से कोई हटा नहीं सकता, तो वह जमीन का नुकसान करने लग जावेगा । खाद देगा नहीं, स्वाइल की फर्टीलिटी का ध्यान रक्खेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्राप्स लेने की कोशिश करेगा, वहां के दरख्त अगर हैं तो उनको छीनने का ध्यान रक्खेगा नहीं उससे भी अपना जितना अधिक फायदा उठाना हो उठाने की कोशिश करेगा । मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर की क्या बात है, यह तो मुझे पूरी तौर से मालूम नहीं पर मारवाड़; बीकानेर और शेखावाटी के बारे में कह सकता हूं कि यहां खेजड़ा जो होता है, उसकी पत्ती एक आमदनी का जरिया होती है काश्तकारों के लिए और उसको हरेक साल छीना जाता है, अगर उसको बेतरतीब से लकड़ी को जलाने के काम में लाने के लालच से छिलाई करने लगते हैं तो दरख्त को नुकसान होता है । यह मैंने जयपुर में भी देखा है कि लोग नीम और अरण्डे के दरख्त ठेके पर देते हैं, वे ठेकेवाले किस बेरहमी से उन दरख्तों की डालों को, डाल की डाल को काटने लग जाते हैं । इस उम्मीद से कि मैं तो इस बार

[श्री भीमसिंह]

जितना इससे फायदा उठा सकूं उठा लूंगा अगले साल तो ठेकेदार मुझे रखना नहीं है, तो इस तरह एक साल बाद में खातेदार अगर यह महसूस करता है कि वह खेत का नुकसान कर रहा है, पर वह इस पांच साल की मियाद के कारण उसे इसमें पहले हटा नहीं सकता, तो मजबूर होकर उसे पांच साल तक नुकसान भुगतना होगा। परन्तु अगर आप पांच साल से कम का अर्सा इसके लिए रख देते हैं, तो सबटिनेन्ट को यह डर बना रहेगा कि अगर खेत को किसी प्रकार का नुकसान मैंने किया तो खातेदार हटा देगा और ऐसी हालत में ...

श्री मथुराप्रसाद माथुर—Mr. Chairman, I will refer to clause 109 so far as this argument is concerned. "Ejectment and breach of conditions..."

ऐसी परिस्थिति में तो ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स होगा और इसके लिए पहले से ही प्रोविजन इसमें है, धारा १२६ के रूप में। इसके अनुसार अगर वह जमीन को बिगाड़ता है और इसकी कन्डीशन्स को तोड़ता है तो उसे वहां से हटाया जा सकता है।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—ठीक है।

श्री भीमसिंह—आपने कहा सो ठीक है। मैं मान सकता हूं। पर मान लीजिये उनका आपस में व्यवहार अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा न होने से खींचातान हो सकती है। तो इस व्यवहार के ठीक नहीं होने से और खींचातान रहने से काफी नुकसान हो सकता है। जमीन को वह बिगाड़ सकता है और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें कोर्ट में साबित नहीं किया जा सकता। सिवाय इसके कि झगड़े कचहरियों में खड़े हों और वकीलों की आपस की चतुराई और होशियारी का एक खेल शुरु हो जाय। तो ऐसा मौका ही हम पहले क्यों दें। ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन करना है कि जो यह दलील इसके बारे में दी गई थी वह बिल्कुल ठीक नहीं है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा उन्होंने फरमाया कि इससे खातेदार जो है उसको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है पर मैं समझता हूं कि खातेदार उसी हालत में सबलेट करेगा जिस हालत में उसको अपना खेत किसी कारणवश काश्त करने में तकलीफ हो या और किसी खास कारण से वह नहीं कर पा रहा है, तो उसी हालत में वह सबलेट करेगा और आपके इस संशोधन से उसको इस सबलेट करने में काफी नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता।

किसी और साहब ने फरमाया कि खातेदार तो बतौर नाम के खातेदार हैं। वे तो कस्बे और शहर में रहते हैं और किसान से महज लगान लेकर फायदा उठाना चाहते हैं। खातेदार जो स्वयं अपनी काश्त करते हैं, उसी को खातेदारी हक होने चाहिये और वह जमीन पर

[श्री भीमसिंह]

काबिज़ रहना चाहिये । परन्तु सबलेट कौन करेगा ? अगर हम यह समझते हैं कि वह कतई बाहर न रहे। वह १० साल तक बाहर रहता हैं पर इसके लिए आप बेदखल करने का तरीका रख सकते है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। पर खास अड़चन उनको आवेगी जिनका होल्डिंग राइट है। एक गरीब खेती करता है उसके पास इतने साधन नहीं कि वह अपने खेत में इम्प्रूवमेंट कर सके, उसमें अच्छी खाद डाल सके या उसको अच्छी तरह से जोत बो सके, । अब उधर से बरसात हुई और उधर उसका ऊंट मर गया। इसके लिए पांच सौ रुपये की जरुरत पड़ी अब उसके पास इतना रुपया नहीं कि वह ५०० रुपया लाये और अपनी काश्त करे। हर सूरत में उसके लिए यह लाजिमी हो जाता हैं कि साल भर के लिए दूसरे किसी अपने पड़ोसी को सब-लेट कर दे और साल छः महीने में अपना दूसरा बन्दोबस्त कर ले। पर आप इस चीज से उसको वन्चित कर रहे है। अगर वह पांच साल के लिए सब लेट कर देता है तो अपनी आजीविका के लिए दूसरा साधन ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको अपनी काश्त करने का मौका नहीं रहेगा, तो इस तरह से जिसने इसको अपनी आजीविका का, अपने भरण पोषण का जरिया बना रक्खा है उससे आप उसको महरुम कर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन गरीबों के लिये कुछ खास ज्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि सब लेट वही करेगा जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वह ऊंट भी खरीद सकता है और काश्त भी कर सकता है। वह सब-लेट करेगा ही नहीं, इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह सब लेट मजबूरी की हालत में करने की रियायत देगा।

काश्तकार से दूर रखने की मंशा अगर नहीं है और मंशा अगर यह है कि जो खातेदार है उसको फेसिलिटी मिले और मजबूरी की हालत में मिले, और आसानी के साथ एग्रीकल्चर के जो आपरेशन्स हैं, वे हेन्डल न हों और अगर इस पर अवधि हम पांच साल की रख देते हैं तो ऐसे खातेदार जो किसी तरह से अपना काम चलाते है, उनके लिए हमेशा के लिए यह सब-लैटिंग का रास्ता बन्द हो जावेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करना चाहता। इसका विरोध करता हूं।

इसलिए खासकर, जो मथुरादासजी ने अपना अमेन्डमेंट नम्बर ५ रखा था उसमें श्री भीमसिंहजी ने जो प्रस्ताव रक्खा था, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि दुम के आगे दुम लगाते जाओ जैसा बृजसुन्दरजी ने कहा वह भी वाजिब था। जो सब-टिनेन्ट मजबूरी हालत में है, पेरेलेसिस हो गया है या और कोई कारण हो गया है, जैसा कि क्लाज ३७ में रक्खा है तभी सब-लेट की इजाजत होनी चाहिये।

इसलिये यह अर्ज करते हुए मैं अपना संशोधन पेश करता हूं कि यह सिलेक्ट कमेटी से जैसा आया वैसा ही रक्खा जावे सिर्फ एक शब्द इसमें और एड करना है। मेरा संशोधन इस प्रकार है:

Page No.50

[श्री भीमसिंह]

"After the words 'khatedar tenant' and before the word or his occurring in the first line insert the following words:-

'or holder of khudkasht'

तो इस बारे में दोनों के दोनों एक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन मन्जूर फरमाकर जैसा सिलेक्ट कमेटी ने पास किया है उसको बदस्तूर रक्खें और इस पर और विचार करना हो तो पेन्डिंग रख दिया जावे।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चैयरमैन, मैं अपने माननीय साथियों द्वारा प्रतिक्रियावादी कहलाने का खतरा मोल लेते हुए भी श्री माथुरादासजी माथुर ने जो संशोधन रक्खा है, उसको अपोज करता हूं।

जिस वक्त यह क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी के सन्मुख था, उस वक्त भी कई सदस्यों की राय थी कि सब टिनेन्सी को डिस्करेज किया जाना चाहिये। पर उस वक्त भी मैं यह सोच रहा था कि हजारों लाखों की संख्या में जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए इस तरह से एक दम रूकावट कर देना भी ठीक नहीं होगा और इसी दृष्टीकोण को रखते हुए ओरिजिनल बिल था उसमें तीन वर्ष की मियाद थी पर उसको अब पांच वर्ष बढ़ाया जा रहा है। तो अब यह जो संशोधन आया है, उसका नतीजा हमारी मंशा के विपरीत निकलता है।

एक बार जब पांच साल हो जाता है, दूसरी बार दस वर्ष का लम्बा अर्सा मिल जाता है तो सब टिनेन्सी को डिस्करेज करने के काम कम होता है। यह तो एनकरेज करना हो गया। जैसा कि इस एक्ट में यह समावेश कर दिया गया है कि इन कामों का बन्ट ले सकेगा। अगर खातेदारी टिनेन्ट लैण्ड रेवेन्यू से बहुत कम मारजिन बचाता है तो वह खतरा भी टिनेन्सी क्रीएट करने पर उठता है और इसके बाद यह कहा जाता है कि उसे प्रोटेक्ट करेंगे पर मैं मानता हूं किसी खास भावना के विपरीत हो कर माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की डेफनीशन है उसको देखा जाय या उसी प्रकार की तरमीम उसमें करने जा रहे हैं उसे यदि मान लिया जाय तो एक तरफ तो यह मानते हैं कि सबटिनेन्ट्स को इम्प्रूवमेंट के अधिकार देने से लिटिगेशन्स बढ़ेंगे और कई तरह की कम्प्लीकेसीज एराइज होंगी उसके साथ ही एक या दो वर्ष की सबटिनेन्सीज क्रियेट की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह ऐसे ही लोग भूमिहीन सबटिनेन्ट बनेगें कि जिनके पास भूमि नहीं है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी भूमि का ५/६ हिस्सा उन सबटिनेन्ट्स को अपने पास मिलेगा और १।६ हिस्सा वाली वह खातेदार टिनेन्ट या लैंड होल्डर को देगा तो वैसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबटिनेन्ट हमेशा यह प्रयत्न करेगा कि वह अधिक से अधिक परिश्रम करे अधिक से अधिक खाद डाले और इम्प्रूवमेंट करे क्योंकि मेजर हिस्सा उसके खुद का है, उसके पास जायगा।

[श्री मोहनलाल भटनागर]

इस सिद्धान्त से यह चीज साबित नहीं होती है, जो माननीय माथुर साहब को शंका उत्पन्न हुई कि सबटिनेन्सी पांच साल से अधिक नहीं दी गई तो उसके प्रयत्नों में फर्क पड़ जायगा। यह नावाजिब है। मेजर शेयर उस जमीन का सबटिनेन्ट के पास रहता है। राजस्थान की परिस्थिति ऐसी है कि ६० प्रतिशत जमीन असली जोतने वाले के कब्जे में है और १० प्रतिशत ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके पास भूमि हैं, उन्हें हम मौका दें कि या तो किसान बन जायं या अपनी भूमि को छोड़ दें क्योंकि जब ऐसा मौका नहीं कि पांच साल का समय निकाल सकें, क्योंकि जो एग्रेरियन रिफार्म्स की नीति में जो प्रगति राजस्थान के प्रदेश में और हिन्दुस्तान के अन्दर हो रही है। उसको देखते हुए आज जो खातेदार टिनेन्ट हैं वह हमेंशा नहीं बना रह सकता है। उसके मन में यह भय पहले ही है कि न मालूम कब उसकी भूमि चली जाय पांच वर्ष की मियाद रखी है उसके बाद पांच वर्ष और बढ़ा सकते हैं और दस वर्ष हो जायेगें और आगे क्या होने वाला है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सही तरीके से इन्कार कर दिया जाय कि हम सबटिनेन्सी नहीं रखना चाहते हैं डायरेक्टरी के से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। सबसे पहले इस बिल के अन्दर समावेश कर दिया गया है कि खातेदार टिनेन्ट के अधिकार सुरक्षित होगें और जब उसके अन्दर आशंका की भावना रखते है कि १० वर्ष या ५ वर्ष बनी रहेगी कि उसकी जमीन उसकी पास मौजूद रहेगी कि नहीं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा की सबक्लॉज़ (१) जैसी कि इस बिल के अन्दर है वैसी ही रखी जाय और सबक्लॉज़ (२) है उसमें यदि इस प्रकार की तरमीम कर दी जाय तो आपकी मन्शा का थोड़ा बहुत समावेश हो जायगा :

Every lease or sub-lease granted in accordance with the provisions of sub-section (1) shall be deemed to have been renewed for a further term of five years on the expiry of its term... इस बात को आगे बढ़ा दिया जाय तो मेरे ख्याल मे थोड़ी बहुत आपकी जो इच्छा है, उसका समावेश हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको ठीक से लाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि इसका कन्सीडिरेशन पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ ३६ के संबन्ध में कई वक्ताओं ने अपने अपने मत व्यक्त किये हैं और उन्हीं मतों में मैं अपना मत व्यक्त करने वाला व्यक्ति हूं। इसी क्लॉज़ ३६ के प्रति यह संशोधन उपस्थित किया गया है कि कम से कम ५ वर्ष होना चाहिये। मैं इसके विरोध में हूं क्योंकि किसी भी टिनेन्ट या सब टिनेन्ट को या कृषक या उपकृषक, यह दोनों शब्द रखे गये हैं, का अहित न हो। हम कृषकों का हित चाहते हैं और कृषकों के हित के लिए भूमि सुधार भी चाहते हैं। हमारे इस टिनेन्सी एक्ट के यही दोनों उद्देश्य हैं कि कृषकों का हित हो और भूमि सुधार भी हो। दोनों बातों का हम देखते हैं कि

Page No.52

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

इशारा यही है किसान अच्छी तरह से खेती कर सके और जिससे खेती की उन्नति हो सके अपनी काश्तकारी की जमीन को सुधार कर अपने पेट का पालन कर सके, वह सिंचाई कर सके इस सिद्धान्त पर हम जाते हैं तो उपकृषक शब्द की आवश्यकता नहीं रहती है। कृषक वही है जो कृषि करता है, जमीन की उन्नति करता है, इसलिए हम उपकृषक के साथ भी इसी कृषक का हित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस कृषक ने १० वर्ष तक मेहनत करके उस जमीन को तैयार किया, भूमि को पर्याप्त मात्रा में उर्वरा बनाया, उस कृषक को अगर कोई बीमारी हो जाय और एक साल के लिए वह कृषि नहीं कर सके तो उस अवस्था में वह किसी दूसरे टिनेन्ट को वहाँ कायम करके और नियत करके उससे वह कृषि करवा सकता है और उससे गवर्नमेंट का टैक्स पे कर सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। हमने उपकृषक उसको माना कि जिस कृषक की सहायता से असली कृषक खेती करके अपने अधिकारों को रक्षा करे, जिससे हनन नहीं हो उसके अधिकारों का, यह उसका उद्देश्य है। वह दूसरे काश्तकार को इस बात के लिये रखे कि वह अपने अधिकारों की रक्षा करे। यह इस बिल में अधिकार दिया है। यह अधिकार है कि वह ५ वर्ष तक दे सकता है चाहे १ वर्ष में उसको हटा दिया जाय चाहे तीन वर्ष में हटा दिया जाय यह उसकी मर्जी की चीज़ होनी चाहिए। अगर अच्छी कृषि करेगा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपने लाभ पहुँचाने वाले को जबरदस्ती नुकसान पहुँचाये। अगर कोई काश्तकार उस काश्तकार को हानि पहुँचाने की चेष्टा नहीं करेगा तो वह टिका रहेगा, परन्तु अब इसमें यह अधिकार दे दिया है कि चाहे जैसे भी करे, कम से कम ५ वर्ष तक का सबटिनेन्ट हुआ ही। जो कुछ भी दशा हो पांच साल तक उस खातेदार को,लेकिन वह खेती करता रहे और ५ वर्ष के बाद फिर देदे ५ वर्ष तक तो १० वर्ष हो गये और फिर दस वर्ष के बाद अपनी खेती सम्हालना चाहे,और उसने मुकदमा कर दिया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक साल मुकदमें लग गया और ११ वर्ष तक वह काबिज रह गया,तो वह खातेदार तो समाप्त हो गया और खातेदारी के राइट्स उस काश्तकार को मिल गये उस दशा में हम यही कह सकते हैं कि वस्तुत: जो कृषक था उसके अधिकारों का हनन हुआ और जो उपकृषक था जो कि वास्तविक कृषक नहीं था,उसने वह अधिकार प्राप्त कर लिये। इसलिए यह नहीं होना चाहिए कि कम से कम ५ वर्ष तक ही उस पर उसका अधिकार रह सकता है, लेकिन यह होना चाहिए कि ५ वर्ष तक तो वह जोत सकता है लेकिन यदि प्रधान कृषक चाहे तो सब टिनेन्ट से छ: वर्ष तक खेती करा सकता है। वह नहीं चाहे तो एक साल में ही हटा सकता है। यही उचित है। यह जो क्लॉज़ रखी गई है कि कम से कम ५ साल रखना चाहते हैं, अनिवार्य आज्ञा के रूप में यह अनुचित है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि माथुर साहब का अनुभव कम है कृषि के बारे में इसलिए सभासदों के तात्पर्य को जानते हुए इस क्लॉज़ को वापिस लेलें।

श्री बलबीरसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, माथुर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करूंगा, और यह समर्थन इसलिए करूंगा, यद्यपि मैं पूरा सहमत इस संशोधन से नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, कि इसमें गुंजाइश रहती है कि सब टिनेन्ट्स का बोझा

[श्री बलवीरसिंह]

सा फायदा हो सकता है। मैं सिलेक्ट कमेटी में भी इस ओपीनियन का था इस विचारधारा का था, कि सब टिनेन्सी को डिस्करेज किया जाय, और मेरा विचार तो यहां तक भी था कि यह जो सब टिनेन्ट्स को एलाउ करते हैं, वह भी एक गलती करते हैं। इसकी दलील जो दी गई थी वह यह थी कि राजस्थान के सब-टिनेन्ट्स को एलाउ नहीं किया गया, अगर हम सब काश्तकारों को जमीन नहीं दें तो बेरोजगारी फैलेगी। यह मैं मानता हूं यह दलील किसी हद तक थोड़ी देर के लिये ठीक हो सकती है लेकिन इस चीज़ को भी भुलाया नहीं जा सकता कि बरबादी के बाद में हमेशा आबादी होती है। हो सकता है कि जिन्होंने आज तक बेदखलियें नहीं की वे एक साल तक और काश्त कर लेते। लेकिन हमारे पास रास्ता खुला था वह यह था कि जो १ साल से खुदकाश्त नहीं कर सकते या जिनकी ताकत के बाहर है खुद काश्त करना या खुद काश्त करने में समर्थ नहीं हैं तो गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर करके लैंड लेस लेबरेरस, बिना भूमि के खेतिहर मजदूरों को जमीन देदे। यह रास्ता प्रोग्रेसिव व्यूज का था और यह रास्ता दूसरे ढंग का है। लेकिन फिर भी इस में शक नहीं है कि जो सब टिनेन्ट्स है उनको इतना भरोसा होगा कि वह कम से कम ५ साल के लिये है, तो वह अपनी जमीन को अच्छा करेगा और जब किसी किसान का ताल्लुक १ साल का ही जमीन से रह जाता है तो उसको यह महसूस होता है कि एक आदमी धर्मशाला में ठहरता है और यह सोचता है कि मुझे कल यहां से चला जाना है, इसी तरह का यह सवाल था। एक साल वाले को सिर्फ ४ महिने ही काश्त करनी थी और वह सोचता कि जितनी बरबाद इस जमीन को ४ महीनों में कर सकते हैं वह ठीक है क्यों कि जिस टिनेन्ट की यह जमीन है वह एक बड़ा टिनेन्ट है, जिसने अपनी होशियारी और बदमाशी से नाम दर्ज करवा कर इतनी बड़ी जमीन का खातेदारी हक हासिल किया है, इसलिये एक साल वाला जितनी बदमाशियें उसे बरबाद करने को कर सकता है उतनी करता है। इस में बदमाशी कर सकने की गुंजायश है। जब किसी किसान को ५ साल के लिये जमीन मिल जाती है तो वह उस जमीन में उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा एक संशोधन है। मैं माननीय माथुर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे यह करदें कि ५ साल के बाद यदि टिनेन्ट; सब टिनेन्ट को छुड़ावे तो आयन्दा वह हमेशा खुद काश्त करे और यदि वह खुद काश्त नहीं करता है या खुद काश्त करने की हालत में नहीं है तो उससे खातेदारी राइट्स ले लेने चाहिये और उस सब टिनेन्ट को देने चाहिये जिसने उस भूमि पर ५ साल तक काश्त की है। मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस तरह की व्यवस्था करे, जिससे आयन्दा बदमाशियां नहीं हों।

श्री **मानसिंह महार**—चेयरमेन सर, मैं डीडवानाजी ने जो संशोधन रखा हैं, सॉरी, डीडवाना से आये हुए मेम्बरसाहब ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हुआ सदन के सामने दो शब्द कहूंगा, ।

समस्या यह है कि हमारे कुछ मित्र ऐसे विचार के हैं कि यदि सब-लेटिंग को प्रोत्साहन दिया जाय तो जनता को लाभ पहुँचे लेकिन दरअसल में चीज यह है कि यदि हम को राजस्थान के अंदर काश्तकारों का उत्थान करना है, उनको प्रोत्साहन देना है, जो हाथ से खेती करते हैं, तो

[श्री मानसिंह महार]

हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि सब-लेटिंग जिस प्रकार हो सके दी जाय और मैं यह समझता हूं कि जो हमारे डीडवानाजी साहब ने संशोधन रखा है...

श्री जवान सिंह—यह किसी का नाम है क्या ?

श्री मानसिंह महार—सॉरी, डीडवाना से आये हुए मित्र ने जो संशोधन रखा है, वह ऐसी चीज है जिससे राजस्थान में सब-लेटिंग का वाकई डिस्करेजमेन्ट होगा, क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी जमीन को किसी दूसरे आदमी को ५ वर्ष के लिये संभलाने के लिये तैयार हो। ५ वर्ष के लिये संभालाने के लिये तैयार नहीं होगा तो मजबूरन उसको जमीन जोतनी पड़ेगी और यदि वह जमीन अपने हाथ से नहीं जोतेगा तो उसको समझना चाहिये कि वह अपनी जमीन से हाथ धोएगा। इस तरह से जो जमीन बड़ों बड़ों के कब्जे में हैं और जो हाथ से काश्त नहीं करते हैं और सरकार को १५-२० रुपये देकर अंडर हैंडमीनिंग से काफी पैसा लेते हैं ऐसे लोगों को डिस्करेज करना जरूरी होजाता है (हीयर,हीयर)। अभी उदयपुर के एक मित्र कह रहे थे कि उदयपुर डिविजनमें ५०प्रतिशत इस तरह का सब-लेटिंग हो रहा है। वहां केवल जागीरदार ही नहीं बल्कि प्रत्येक खातेदार ऐसा करता है। जमीन उनके पास बहुत है। उसमें थोड़ी में खुद खेती करते है और बाकी को दूसरों को देते हैं। इससे उनके खातेदारी हकूक भी कायम रहते हैं और फायदा भी उठा लेते हैं। यदि वैसी बात रखदी जायगी तो सब-लेटिंग बंद हो जायगा, दूसरी बात जिसका कि मैंसमर्थन करना चाहता हूं वह यह है कि कम से कम जयपुर रियासत में ऐसी समस्या है कि हमारे राजपूत भाइयों के पास जमीन की कमी है और जो बड़े बड़े खातेदार टिनेन्ट्स है,वे यदि सब-लेटिंग साल दर साल करते रहेंगे तो उन गरीब राजपूतों के हाथ में जमीन नहींआयेगी। यदि डीडवाना जी ने जो संशोधन रखा है वह रखा जायगा तो ५ साल बाद जमीन मिलेगी और थोड़े दिनों में उस पर उनका कब्जा हो जायगा।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)— तब आपका क्या हाल होगा ?

श्री मानसिंह महार—मैंने जमीन देदी है। आप उसकी चिन्ता न करें।

मेरे मित्र ने मेरे लिये कहा,लेकिन यदि मुझको नुकसान होता तो मुमकिन है मैं माथुर साहब के संशोधन का समर्थन नहीं करता। इससे आपको यह साफ जाहिर हो जाता है कि सब-लेटिंग में बिलीव नहीं करता। मैंने अपने काश्तकारों को पर्चे दिला दिये है इसलिये यह पर मुझ लागू नहीं होता।

सब-लेटिंग के बारे में यह निवेदन है कि शिकमी काश्तकारों को १ साल के लिये सब-लेट करते है तो उनके मन में धकड़-पकड़ रहती है कि एक साल के बाद जमीन उनसे छिन जायगी, इसलिये वे न तो जमीन में खाद डालते हैं और न उस जमीन की तरक्की करते हैं। यदि एक आदमी अच्छी खाद डालकर काश्त करता है तो १ बीघे में २० मन अनाज पैदा होता है,

[श्री मानसिंह महार]

और यदि अच्छी तरह खेती नहीं करता है, टालमटोल करता है, तो एक बीघा में ४—५ मन से ज्यादा पैदावार नहीं होती। इसलिये यदि हमें 'ग्रो मोर फूड' को प्रोत्साहन देना है तो सब-लेटिंग शॉर्ट पिरियड का नहीं रखना चाहिए। इस संशोधन में एक कमी है वह यह है कि यदि खास परिस्थिति हो तो उस वक्त ५ साल के लिये न देकर १ साल के लिये दें तो वह वाजिब हो जाता है वरना यह हमेशा होना चाहिये कि ५ साल से पहले एलाऊ नहीं होना चाहिये। यह शब्द कहता हुआ डीडवानाजी साहब से कहूंगा कि वे इस एमेन्डमेन्ट का जरूर प्रेस करें और आशा है सदन इसे पास करेगा

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, सदन के सामने इस क्लॉज़ को लेकर दो प्रकार की विचार धाराए विचाराधीन हैं। एक इस प्रकार की विचारधारा है कि सब लेटिंग को बिल्कुल डिस्करेज़ किया जाय और दूसरी विचारधारा इस प्रकार कीहै कि इसे चालू रखा जाय। जहां तक मूल क्लॉज़ का प्रश्न है और डीडवाना से आने वाले माननीय माथुरजी का जो संशोधन है, उस संशोधन का प्रश्न उपस्थित होता है तो सवाल दोनों एक ही हैं।

हमें सब लेटिंग को डिस्करेज करना है पर ऐसे मार्गों से डिस्करेज करना है कि जिससे लोग स्वयं समझ जायं कि अब सब लेटिंग के लिये गुंजायश नहीं है।

जहां तक मूल धारा का प्रश्न है, इसमें सब लेटिंग करने को गुंजायश रखी है, इसे भी उस रूप में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो रूप रेखा सब लेटिंग की बनाई है वह ऐसी है कि जो सब लेटिंग को डिस्करेज करने के स्थान पर एनकरेज करती है। जो संशोधन आया है वह भी इसी बात का है कि हमें सबलेटिंग को डिस्करेज करना है, परन्तु मेरी राय में सब लेटिंग को डिस्करेज करने के लिए यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके स्थान पर यह चीज़ साफ आती कि इस कानून के बनाने के बाद कोई भी जमीन का मालिक जमीन को सब लेट नहीं करेगा। तो इस बात को चाहे दबे हुऐ दिलों से ही सही लोगों को मानने को मजबूर होना पड़ता, वह इस लिए कि सभी इस सिद्धान्त के मानने वाले हैं कि जो जमीन को जोतेगा वही जमीन के फलों को भोगेगा। तो वे समझते कि जमीन जोतेंगे तो हमारी होगी, नहीं तो दूसरों की होगी और वही उसका उपभोग कर सकेगा पर यह दोनों चीजें इसमें नहीं हैं।

मूल क्लॉज़ और संशोधन दोनों की मंशा यह है कि सब लेटिंग को रोकना है। मूल क्लॉज़ में पॉजिटिव फोर्म में यह है कि इतनी अवधि तक सब लेटिंग कर सकेगा। संशोधन में यह है कि इतने समय से कम के लिये सब लेट नहीं कर सकेगा। अब सोचना यह है कि जिस मूल सिद्धान्त को लेकर आगे बढ़े हैं, उससे परे चलें तो कौन सा मार्ग हो सकता है जिससे कि काश्तकार को संशोधन से सुविधा हो और लैण्ड होल्डर को कोई कठिनाई नहीं हो। मार्ग दोनों जटिल और सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं। पर व्यवहारिकता के तौर पर हम समझते हैं कि सब लेटिंग की राजस्थान में जरूरत है और संशोधन व मूल क्लॉज़ दोनों इस बात के प्रतीक हैं।

[श्री भैरूं सिंह]

एक ओर कहा जाता है कि सब-लेटिंग को इस तरह डिस्करेज करना है कि यदि कोई ५ साल से कम करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो इसमें यह सोचने की बात है कि आज तक जो कानून हमने बनाये और लैंड होल्डर्स को जो हमने एश्योरेंसेज़ दिये हैं, क्या उन एश्योरेंसेज़ को हमने पूरा किया है ? पूरा नहीं किया तो अब इस युग में यह आशा नहीं करनी चाहिये कि ५ साल के लिए जिसे सब-लेट कर दिया है, वह उसे बाद में छोड़ देगा, ५ साल तक जिसने सब-लेट कर दिया तो फिर यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि वह उस पर फिर से काबिज हो सकेगा। प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डीनेन्स के मातहत उस जमीन पर काश्त करने का हक उसी काश्तकार का होगा जिसे कि ५ साल के लिये सब-लेट किया गया है न कि सब-लेट करने वाले को। कानून के जरिये जो एश्योरेंसेज़ लोगों को आपने दिये थे वे ही पूरे नहीं कर सके तो ५ साल की अवधि तक सब-लेटिंग का कानून बना कर इस प्रगतिशील युग में उस जमीन पर फिर से कब्जा कराने की आशा करना असंगत और कल्पनातीत बात है।

ऐसी सूरत में मैं तो यह समझता हूँ कि इन सारी गोलमाल चीजों को हटा कर यह स्पष्ट चीज लावें कि राजस्थान में सबलेटिंग नहीं हो सकेगा तो यह कानून का मूल सिद्धान्त बड़ा जबरदस्त होगा और इसकी नकल राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी होगी। पर नाम यह रखते हैं कि सब-लेटिंग नहीं होना चाहिये और संशोधन यह रखते हैं कि सब-लेटिंग हो, इससे सिवाय वैमनस्यता बढ़ने के और कटुता की भावना बढने के और कुछ सुधार होने वाला नहीं है।

मूल धारा में भी कई खामियां हैं और इससे एक्सप्लॉइटेशन की गुंजायश है। एक सब-टिनेन्ट को खातेदार बना देते हैं, कई खातेदार एक्सप्लॉइटेशन का फायदा उठाते हैं। मूल धारा जो है, उसे अगर उसी प्रकार से स्वीकार कर लिया तो एक्सप्लॉइटेशन का मौका कानूनन मिलेगा। मैग्ज़िमम ५ साल के लिये सब लेट कर सकते हैं, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन्स होने चाहिये, २ साल तक के लिए, ३ साल तक के लिये या ४ साल तक के लिये सब-लेट कर दें तो यह कुछ ठीक है, लेकिन ५ साल की अवधि रखना यह एक एक्सप्लोइटेशन का प्रतिपादक है।

सबलेटिंग किया क्यों जाय ? इसका मूल कारण यह हो सकता है कि जो खातेदार है, खुदकाश्त होल्डर हैं या लैंड होल्डर है, वह इस स्थिति में नहीं है कि खेती के सारे साधन हल-बैल आदि जुटा सके, इसलिए वह सब-लेट करता है। यदि कोई खेती से जीविका उपार्जन करने वाला है तो उसके लिए तो सबलेटिंग के पचड़े में पडने की कोई जरूरत नहीं है पर जिनके पास साधन नहीं हैं, वह सब-लेट करता है। तो ऐसी सूरत में जिसके पास कि काश्त करने के साधन नहीं है, वह जीविका उपार्जन के लिए खेती करने योग्य सब साधन जब तक नहीं जुटा लें, उस स्थिति में जब तक वह नहीं पहुँच जाय, तब तक के लिये सबलेटिंग की गुंजायश रखनी चाहिये। वह उसी सूरत में हो सकती है कि एक उल्टे मार्जिन से नहीं, बल्कि इस तरह कि ५ साल के स्थान पर लोगों को कई

[श्री भैरोंसिंह]

कि, एक साल, दो साल, ढाई साल, तीन साल तक के लिए सब-लेट कर सकता है। अगर सदन यह समझता है कि सरकार के सहयोग से १ साल में ही ठीक हो सकता है, इस योग्य हो सकता है कि खेती के सब साधन जुटा ले और खेती करने योग्य स्थिति में हो जाय तो एक साल के लिए उसे सब-लेट करने का मौका दिया जाय और अगर सदन यह समझता है कि दो साल या तीन साल में सरकार उनको इस योग्य कर सकती है तो उतने अर्से के लिए उन्हें मौका देना चाहिये। जो लोग काबिज़ हैं उनको इस स्थिति में लायें कि वे काश्त कर सकें, यह बात है तो एक आदमी की आर्थिक स्थिति एक साल में ठीक हो सकती है। एक ने आर्थिक मजबूरियों के कारण एक साल के लिए सब-लेट किया और दूसरी साल उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, तो, मिनिमम ५ साल की अवधि के लिए सब-लेट करने, कानून बनाने की हालत में, सरकार उसके सामने एम्प्लोयमेंट के क्या साधन रखती हैं, क्योंकि उसके सामने तो वही एक साधन है खेती करने का, अपनी जमीन काश्त करने का, जिसे उसने ५ साल के लिए दूसरों को सब-लेट कर दी है।

तो ऐसी स्थिति मे यह मान कर कि उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने, उसे खेती करने योग्य स्थिति में लाने तक के लिए, उसे इतने ही अर्से के लिए, सबलेट करने का अधिकार दिया जाय।

उसको खेती के साधन जुटाने और उसे खेती करने योग्य स्थिति में न लाने की हालत में कहना पड़ेगा कि हम इस स्वतन्त्रता के जमाने में भी लोगों को समान स्थिति पर नहीं ला सकते कि जिससे वे खेती करने की स्थिति में आयें।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार, जिन लोगों को एम्पलॉयमेंट नहीं मिल रही है उनको एम्पलॉयमेंट दिलाए और उनकी स्थिति को ठीक करे और इतनी जल्दी ठीक करे कि जितना जल्दी हो सके। लेकिन इस बात को प्रिज्यूम करते हैं कि स्थिति ५ साल तक ठीक नहीं हो पायेगी। मुश्किल यह आती है। हम इस बात को, प्रीज्यूम क्यों करें कि हमारी स्थिति ५ साल में ठीक नहीं होगी? क्यों नहीं सरकार इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करे। हर तरह से सरकार कोशिश करे तो काश्तकारों की स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। अगर किसी काश्तकार के पास बैल नहीं है तो उसको बैल के लिये रुपया लोन दे, तकावी दे। अगर सरकार चाहे तो किसान को मदद दे कर दो साल में स्थिति ठीक कर सकती है।

माननीय चेयरमेन, अब मैं आपका ध्यान एक नई चीज की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसका कि पंत-समझौते में जिक्र किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो कि चाहते हैं कि जागीरदारी जल्दी से जल्दी समाप्त की जावे हालां कि मैं किसी सभा का मेम्बर नहीं हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात को मानता हूं कि जागीर रिजम्पशन के कारण गवर्नमेन्ट उन लोगों को रिहेबिलिटेट करें। उसका प्रश्न आता है तो उसको दर गुजर नहीं कर सकती।

[श्री भैरोंसिंह]

अगर हमको अपने वचनों का पालन करना है तो उन लोगों के साथ न्याय करें, जिनकी हमने जागीरें ली हैं। कम्पेन्सेशन देने की योजना बनाई है, उनको रिहेबिलिटेट के लिये कम्पेन्सेशन दें और वे अपनी खेती करने के आदी हो सकें, इसके लिए उनको काफी समय दें।

अब प्रश्न यह आता है कि जिन लोगों ने आज तक खेती नहीं की है क्या वे इस रिजम्प्शन के बाद एक दम खेती कर सकेंगे। इस बात को स्वयं सरकार ने और क्षत्रीय महासभा ने पन्त रिपोर्ट में महसूस किया है कि जागीरदार एक दम खेती करने के आदी नहीं हो सकते। इस बात की दलील स्वयं क्षत्रीय महासभा ने दी है और कहा है कि जागीरदार जागीर रिजम्प्शन के इमिडियेट आफ्टर खेती नहीं कर सकेंगे। इसलिये उनको इस योग्य बनाने के लिये कुछ समय दिया जावे। यह समय एक वर्ष का समय लग सकता है। हो सकता है १॥ वर्ष या दो वर्ष का भी समय लग सकता है। इसलिये सब-लेटिंग को स्वीकार करना चाहिये और इसी सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पंत-रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है। मैं इस रिपोर्ट की दो लाइन पढ़ कर सुनाता हूं जो क्षत्रिय महासभा और सरकार के आपस में तय हुई है:

"There should be no restriction on sub-letting of Khudkasht lands until Jagirdars get used to personal cultivation and acquire the means for doing so."

इस पर सरकार का जवाब है:

"It was agreed that the limit of 5 years proposed to be imposed on sub-letting of Khudkasht in the Rajasthan Tenancy Bill should do. The Tenancy Act should not be given retrospective effect in respect of the period of sub-letting."

इससे स्पष्ट मतलब यह निकलता है कि जिस वक्त यह चीज़ तय की गई थी उस वक्त सब-लेटिंग का उद्देश्य सामने था। आज उन माननीय मित्रों से मैं यह कहूँगा कि जब राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (अमेंडमेंट) बिल आया था उस समय मैंने टीकाई प्रथा को दूर करने का संशोधन पेश किया था और उस समय उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि न्याय की दृष्टि से हमको ऐसे संशोधन को स्वीकार करना चाहिये। लेकिन ऐसी बात पंत रिपोर्ट में नहीं थी और वे पंत रिपोर्ट के बाहर नहीं जाना चाहते, उन्होंने नहीं माना। लेकिन जिसको सरकार ने पंत रिपोर्ट में स्वीकार किया है, मैं समझता हूं कि यहां पर सरकार उस चीज से दूर जा रही है, और अपने वचनों का पालन नहीं कर रही हैं। अगर उनको यह कहना होता तो जिस समय क्षत्रिय सभा और सरकार में आपस में समझौता हुआ, उस समय इसको मंजूर करते कि यह एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। सरकार ने समझौता किया है और इसके लिये मंजूर किया है कि वे जागीरदार लोग उस हालत में आ जावें कि वे काश्त के लायक हो जावें और इसीलिये उन्होंने सब लेटिंग को माना है और वह इस बात को इन्डीकेट करता है कि पांच वर्ष में वे लोग ऐसा कर लेंगे। अब जो संशोधन आया है वह बिल्कुल

[श्री भैरोंसिंह]

विपरीत है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि न्याय की दृष्टि से वह बात क्षत्रिय महासभा के और सरकार के साथ हुए समझौते में भी मंजूर करने की नहीं थी और अब भी यहां पर हम उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार अपने वचनों पर पाबन्द नहीं हो रही है और उनको वापिस ले रही है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

मनुष्य जिस जन्मभूमि में जन्म लेता है वह उसकी मातृ-भूमि है और उस मातृ-भूमि के एक एक कण से उसका प्रेम जब तक नहीं होता तब तक उस पर कितनी ही आपत्ति क्यों नहीं आवे वह उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। आज जितने कानून बने हैं, वे सब एक दूसरे को जमीन से प्रेम को कम करने के लिए बने हैं। होना यह चाहिए कि इस संसार में जितनी चीजें हैं उनके साथ व्यक्ति का सम्बन्ध ज्यादा से ज्यादा बढ़े और जब यह सिद्धान्त होता है, तब मातृ प्रेम बढ़ता है और अगर उस समय उसको कोई छीनने की कोशिश करे तो वह उसको हरगिज नहीं लेने देता है। इस बात का आज इतिहास साक्षी है। इतिहास इस बात को स्पष्ट बतलाता है कि आज कल जो कानून बनाये जाते हैं, वे इस बात को ध्यान में रख कर नहीं बनाये जा रहे हैं और इस लिये हमने नुकसान उठाया है। पाकिस्तान भी इसी नीति का एक परिणाम है। काश्मीर पर भी लोगों का कुछ भाग पर कब्जा होना, इसी नीति का परिणाम है। पाकिस्तान बना तो हमारी कमजोरी से बना और फॉरेन कन्ट्रीज़ ने उसका फायदा उठाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी मातृ-भूमि के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं और चुपचाप बैठे हैं। किसी बात को देखते नहीं। हम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि कानून ऐसा बने जिससे कि एक दूसरे के सम्बन्ध जितने खराब हो सकें हो जावें और वे लोग यह चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना हो, व अपनी जमीन के प्रति प्रेम हो वह निकल जावे। अगर इस प्रकार की कोई देश-प्रेम की चीज नहीं रहे तो दूसरे आदमी को कब्जा करने में सुविधा रहे। मगर मैं यह कहूंगा कि जो कोई कानून बने उसमें यह होना चाहिये और उसका मूल सिद्धान्त यह होना चाहिए किआपस में प्रेम कितना जाग्रित होता है। यही भावना पुराने जमाने में थी। आज कानून बनाने का जो ढंग है, उससे तो मुझे यह प्रतीत होता है कि वे इस प्रकार के बन रहे हैं कि जिस चीज को आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिये मैं डीडवाना से आनेवाले महानुभावों को कहूंगा कि अगर आप इस बात को करना चाहते हैं कि सब-लेटिंग को डिस्करेज किया जावे तो उसको आउट राइट रिजेक्ट कर दीजिए। मैं उसमें से दूंगा जो इस चीज को पहले माने। मगर जब आप कान पकड़ते हैं तो कान पकड़ने का जो तरीका है उसी तरह से सीधा कान पकड़ लीजिये, मरोड़ कर कान क्यों पकड़ते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं कहूंगा कि आज इस कानून में जहां १९७ क्लॉजेज़ हैं, उनकी इतनी जरूरत नहीं होगी। आप कर दीजिये कि जो शख्स जमीन को जोतेगा उससे लगान लिया जावेगा और लगान का यह तरीका होगा। बस यही सीधा सा कानून बन जावेगा और इसमें वकीलों की आमदनी की कोई गुंजायश नहीं होगी। एक छोटा सा कंसोलीडेटेड कानून बन जायगा और वह इतना सीधा होगा कि सब लोग उसको अच्छी तरह से समझ पायेंगे।

[श्री भैरोंसिंह]

इसलिये मेरा निवेदन यह है, माननीय चेयरमेन, कि इन सारी चीजों को सामने रखते हुए माननीय सदस्य इस संशोधन को वापिस ले लें और जो मूल धारा है उसमें संशोधन कर दें, दो वर्ष के बजाय ५ वर्ष। ५ वर्ष तक देना मुझे बहुत ही न्याय संगत मालूम होता है और ५ वर्ष तो हमें करना ही चाहिये।

अभी इस पर कुछ माननीय मित्रों ने कहा। कुछ तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है, कि पर्सनॉलिटी से ही प्रभावित हो गये और कई एक सदस्य ऐसे हैं उनमें से मेरे एक मित्र जो मेरे बिल्कुल ही पास बैठे हैं उनका मस्तिष्क एक चोरी होने के बाद करीब करीब विकृत सा हो गया है वे भी इस संशोधन का समर्थन करने के लिए इस सदन में खड़े हुए। मुझे खेद है कि वे उस चीज़ को भूल रहे हैं कि जिस चीज से वे स्वयं प्रभावित थे। उन्हें चाहिये तो यह था कि जो चीज उनके ध्यान में है उसको वे यहां रखते। किन्तु ·······

श्री कपिलदेव अग्रवाल—व्यक्तिगत शिक्षा।

श्री भैरोंसिंह—व्यक्तिगत शिक्षा नहीं, यह सब पर आता है।

खैर, मैं उनके बारे में दलील नहीं करूंगा। विकृत मस्तिष्क होने के नाते कोई बात कही गई है, यही चीज मानकर कि उन्होंने किस अवस्था में कहा होगा। मैं उसको नहीं कहूंगा और उसको मैं यहीं छोड़ देना चाहता हूं।

लेकिन दो-तीन मित्रों ने यह बात कही है कि हमें सब टिनेन्ट की हैसियत को सुधारना है। मैं इससे बिल्कुल इन्कार नहीं करता। चाहे वह खातेदार हो, चाहे वह लेन्ड-होल्डर हो और चाहे वह सब-टिनेन्ट हो, उनकी हालत को सुधारना है। उसकी हैसियत को सुधारना है, इससे कोई इन्कार भी नहीं हो सकता। किन्तु जिस सब-टिनेन्ट की हालत को सुधारने की बात हम कर रहे हैं, उसका अनुभव हमें क्या मिल रहा है। वह यह मिल रहा है कि एक की हालत को सुधारना और दूसरे की हालत को बिगाड़ना। सब-टिनेन्ट को तो खातेदार बना दिया और जो खातेदार था उसको डिस्लोकेट कर दिया। उनके साथ क्या न्याय किया? न्याय यही किया कि कम्पेन्सेशन दे दिया। यह सब ही मानते है कि कम्पेन्सेशन इतना अधिक नहीं होगा कि उसके जरिये से वे अपने आपको पूर्णतया रिहेबिलिटेट कर सके। उनके सामने अपने आपको रिहेबिलिटेट करने कि दिक्कत आयेंगी और सरकार के सामने भी दिक्कतें आवेंगी कि किस तरह से उनको एम्प्लॉय किया जाय। जब उस आदमी के सामने दिक्कतें आवेंगी और सरकार के सामने भी दिक्कतें आवेंगी तो आप जो अव्यवस्था कर रहे हैं, वह क्यों? क्यों इस प्रकार की विचारधारा की जाय?

एक बड़ा सिद्धान्त हमारे सामने आता है कि जो जोतता है, जमीन उसकी हैं। यदि एक आदमी को बिगाड़ दिया और दूसरे की हालत ठीक कर दी तो उसके साथ २ यह भी मानना

[श्री भैरोंसिंह]

पड़ेगा कि खातेदार को मौका होना चाहिए कि इस प्रकार यदि जमीन को सब-लेट कर दिया है और इस प्रकार की सब-लेट की हुई जमीन में वह सहयोग नहीं देगा, काश्त नहीं करेगा तो उसका जमीन पर से कब्जा चला जायगा, यदि उसकी आर्थिक स्थिति को आपको सुधारना है, और यदि हमने भी उसको सहयोग नहीं दिया, तो उसके साथ एक जबरदस्त अन्याय होगा।

(बिजली बंद)

जो मैं अन्याय बता रहा हूं उसको यह बता रही है

एक माननीय सदस्य—यह आपकी मुख बाणी का प्रभाव है

(बिजली पुनः चालू)

श्री भैरूसिंह—यह आपकी है या मेरी ?

यदि सब लेटिंग को चालू करना है और बन्द नहीं करना है तो उस सिद्धान्त को लेकर आगे रख कर आगे बढ़ना होगा और उस हालत में सब टिनेन्ट, लेन्ड होल्डर या खातेदारी कोई भी हो उसकी हालत पर भी दृष्टिपात करना पड़ेगा। यदि सब टिनेन्ट के स्थान पर लेन्ड होल्डर की या खातेदार की हालत ज्यादा खराब होती है, तो उसको भी मौका देना पड़ेगा कि वह खेती करके अपनी हालत सुधार सके। किन्तु यदि हम उसको ऐसा मौका नहीं देंगे तो यह उसके साथ एक जबरदस्त अन्याय होगा, जो सिद्धान्त हम चाहते हैं उसकी भी पूर्ति नहीं होगी और जब सिद्धान्त की पूर्ति नहीं होगी तो आन्दोलन होंगे।

आज राजस्थान में, दलील है कि, काश्तकारों में बेकारी की समस्या बढ़ रही है। पहले सोचते थे कि बेकारी की समस्या तो शहरों में ही बढ़ रही है, एम्प्लोयमेंट की मांग केवल शहरों में ही है और पढ़े-लिखे समाज में ही है, किन्तु गांव-गांव में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि काश्तकारों के पास सिंचाई के साधन नहीं है, लोग बेकार बैठे हैं और सिंचाई के साधन नहीं होने से इक फसली खेती होती है। श्रावण से लेकर कार्तिक तक फसल हो गई तो हो गई, किन्तु मंगसर से लेकर वे श्रावण तक बेकार बैठे रहते हैं। उस बेकारी को समस्या को फिर जटिल बनाने के लिए, काश्तकारों और लेन्ड होल्डर्स के बीच एक प्रकार से संघर्षात्मक शक्ति इस प्रकार की विचारधारा को प्रोत्साहन देकर पैदा करेंगे तो यह शान्ति को भंग करने में भी एक प्रयत्नशील कदम होगा। आपके सामने यह समस्या जरूर रहेगी कि आप जिनको डिस्लोकेट कर रहे हैं, उनको रिएम्प्लोय कैसे किया जाय ? उस विचारधारा को सोचना पड़ेगा कि समाज के लिए, काश्तकारों के लिए, क्या फायदेमन्द हो सकता है ?

[श्री भैरोंसिंह]

आज हमें यह चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि इस कानून का महज असर जागीरदारों पर होगा। उन पर क्या असर होगा? जिनके पुर्खाओं ने इनको हासिल किया और इन्होंने उनको त्याग दिया, छोड़ दिया। कम्पेन्सेशन भी मिलेगा या नहीं। जिन्होंने लाखों रुपयों की जागीरें छोड़ दी, एक लाख रुपया जिनकी सालाना आमद थी उन्होंने उनको छोड़ दिया और सौ बीघा रख ली तो क्या? उनका क्या इन्ट्रेस्ट? मजबूरन त्याग करायेंगे तो करेंगे, चाहे न्याय हो या अन्याय। किन्तु शान्ति से सोचना जरूर पड़ेगा। आखिर वे भी मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म लिया है। उनको भी इस समाज में जीवित रहने का अधिकार है; और जब जीवित रहने का अधिकार है तो उनके लिए भी साधन जुटाने पड़ेंगे। महज इस वजह से कि जागीरदार अन्यायी हैं, जुल्मी हैं, खूनी हैं, डाकू हैं, उनको खत्म करना है, यह करें तो ठीक नहीं है। आप सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। जो जागिरदारी सिस्टम चला आ रहा था उसको खत्म कर रहे हैं। फिर भी उनको जीवित रहने का अधिकार है, उनको हक है चाहे कांग्रेस सरकार आज है और कल खत्म हो जाय, वे तो जिन्दा रहेंगे। महज सरकार की तो इतनी ही जिम्मेदारी आती है कि वह उनको सहयोग दें, जिन्दा रहने में। अगर आप उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं, सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करती है तो जो लोकतन्त्र की दुहाई देते है, जो कल्याणकारी राज्य और व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वह उसके प्रतिकूल जाता है और उसका नतीजा देखना पड़ेगा समाज को, समाज की व्यवस्था को और उसका नतीजा देखना पड़ेगा सरकार को भी।

आज हम यह मान लें कि हमारे मस्तिष्क में हमने एक विचारधारा बना ली 'खातेदार' और 'जागीरदार' शब्द से। जहां खातेदार और जागीरदार इन दोनों का प्रश्न आता है, यदि आप सोचते हैं कि इनमें से जागीरदार शब्द निकाल देंगे, चूंकि जागीरदार खूनी है, अत्याचारी हैं और इसी विचारधारा से यदि आप कानून बनाते हैं तो मुझे दुख है कि इस प्रकार से आपकी विचार शक्ति नष्ट हो जावेगी और यदि विचार शक्ति नष्ट हो गई तो मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी नष्ट हो जावेगी और इस व्यवस्था को नष्ट नहीं करना है और इसको बचाना है तो इसका कोई मतलब नहीं कि जागीरदारों के साथ साथ खातेदारों के साथ भी अन्याय करें। माननीय गोपीलाल जी यादव ने कहा था कि जागीरदार शब्द हटा दिया जाय, क्योंकि यहां ज्यादा उन्हीं का प्रश्न आता है तो नेकनियती से कानून बनाने में सहयोग दे सकें; मैं तो निवेदन करूंगा कि खुदकाश्त और जागीरदार दोनों ही हटा कर सदन कानून बनाता तो बढ़िया होता। जहां जहां ये शब्द आते हैं वहां वहां ये अड़चनें पैदा करते हैं और मानसिक संतुलन में भी कमी-बेशी ला देते हैं, जिससे कुछ उट-पटांग बातें हो जाती हैं। चाहिये तो यह था कि 'खुदकाश्त' और 'जागीरदार' शब्द डिलीट करके कानून बनाते और सारे के सारे चक्कर दूर हो जाते। इस चीज से तो जो असर जागीरदारों पर होने वाला है वह उन लोगों पर भी होगा जो खातेदार हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया है, उसका मूल्य देकर, जयपुर में, जागीरदारों को आप एक और रखिये, उसकी भूतपूर्व सरकार ने पट्टेदारी के नाम पर लाखों रुपया लिया है। उन्होंने हुक्म दिया जो भूतपूर्व जयपुर सरकार के प्राइम मिनिस्टर

[श्री भैरोंसिंह]

थे और जो आजकल प्लानिंग कमीशन के मेम्बर हैं। उन्होंने कहा कि पट्टेदारी अधिकार दिये जांय और पैसा लिया जाय। एस. डी. ओज. को सख्त हिदायतें थी और उनकी कारगुजारी ही इसी प्रकार देखी जाती थी कि वे पट्टेदारों से जितना पैसा खींचना चाहें खींचें। उनको (काश्तकारों को) यह आश्वासन दिया गया था कि पैसा देने पर तुम्हारा अधिकार होगा। तो आज उन्हीं लोगों की सरकार है और उन्हीं लोगों के साथ आज उसके द्वारा धोखा होता है कि तुम्हारा जमीन पर अधिकार नहीं तुम्हें तो मुआवजा लेकर जमीन छोड़ना पड़ेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि पट्टेदार काश्तकार ही नहीं हैं, खातेदार हैं। वे पट्टेदार हैं जिन्होंने अपनी औरतों के जेवर बेच २ कर पट्टेदारी के हकूक हासिल किये थे, अपने बाल बच्चों को भूखों मार मार कर वे पट्टेदार बने। भूल से या सरकार के आश्वासन से उन्होंने वह जमीन दूसरों को सब-लेट कर दी। आज हम उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वे उनकी जमीनों पर सुरक्षित रहें। उस परिस्थिति में, उस बिगड़ी हुई हालत में, उन्होंने रुपया जमा कराया पट्टेदारी के हक हासिल करने के लिए। आज हम उनको अधिकार नहीं देते हैं सब लेटिंग के तो उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा।

इसलिये माननीय चेयरमेन महोदय, इन सारे दृष्टिकोणों को अपने सामने रखते हुए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि अगर श्री मथुरादास जी माथुर अपने संशोधन को वापिस नहीं लेते हैं तो इस को पारित करने में सदन तो कम से कम सहयोग न दे।

जो कुछ भी कानून बनाये जांय वे न्याय संगत हों और साथ में व्यवहारिक भी हों। ऐसे कानून बनाने के लिये ही यह सदन इस जगह आया है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे इस वक्तव्य के बाद इस प्रकार के संशोधन को मन्जूर करने में कतई सहयोग नहीं देगा।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मैं भी इस क्लॉज के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, सिलेक्ट कमेटी से आये हुए इस बिल की धारा का हैडिंग आप देखते हैं तो यह साफ तौर से विदित होगा कि सब-लेटिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इससे साफ यह जाहिर होता है कि इस क्लॉज़ में सब-लेटिंग होना चाहिये, किन्तु ताज्जुब है कि अभी जो संशोधन इस क्लॉज़ में प्रस्तुत किया गया है उसका भी हैडिंग 'रेस्ट्रिक्शन आन सबलेटिंग' है, जिससे इस क्लॉज़ का यह अर्थ है कि कम से कम पांच साल के लिये सब-लेटिंग हो। कोई भी खातेदार टिनेन्ट खुदकाश्त होल्डर कहला सकेगा, इस बात को हमने इस धारा में मन्जूर किया है। बहुत ठीक होता यदि इस धारा का हैडिंग 'फेसिलिटीज़ आफ सब-लेटिंग' रखा जाता तो ज्यादा ठीक रहता और उचित रहता और जो कुछ आपने अर्थ रखा है उसका समर्थन भी हेडिंग कर सकता। लेकिन आपने एक सिद्धान्त माना है और वह है सब-लेटिंग कम से कम होना चाहिये और उसी नाम के खातिर जिस प्रकार खेत में जानवरों की रखवाली के लिये जो लकड़ी के ऊपर कपड़ा टांग दिया जाता है जिससे क्या होता है कि जानवर उसको आदमी समझते हैं और खेती को किसी प्रकार भी नुकसान नहीं पहुंचा

[श्री जवानसिंह]

सकते, इसी तरह से आपने भी यहां समावेश किया है, सिद्धान्त तो माना है कि सबलेटिंग नहीं होना चाहिये और धारा के अन्दर प्रोवीजन करते हैं सब-लेटिंग होना चाहिये और पांच साल का कम से कम अर्सा होना चाहिये। इस प्रकार का संशोधन नहीं ला सकते। जो सदस्य सिलेक्ट कमेटी के भी सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने जिस सिद्धान्त को सिलेक्ट कमेटी के सामने मन्जूर किया आज बिल्कुल उसके खिलाफ एक संशोधन सदन में प्रस्तुत करते हैं और फिर उसे उचित या अनुचित तरीके से, क्योंकि उधर बैठे हुए हैं उसे लादने की चेष्टा करते हैं। अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रोविजन धारा ३६ में किया है इस प्रकार का समावेश हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त के टिनेन्सी एक्ट में नहीं है। अगर माननीय अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करने वाले सदस्य अपने आपको मौजूदा जमाने से पांच दस साल आगे चलाते हैं तो उनकी विचार धारा जिस प्रकार की है अगर हम हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के टिनेन्सी एक्ट को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से किसी में भी इस प्रकार की धारा नहीं है। मैं आपके सामने दो-चार प्रान्तों के टिनेन्सी लाज को रखूंगा और निवेदन करूंगा कि आप उन प्रान्तों की ओर देखिये जो हम से कहीं ज्यादा प्रगतिशील है। जिन्होंने यहां से कई गुना फायदा लिया और जिस प्रान्त के टिनेन्सी एक्ट की हमने काफी नकल की है, वह है यू. पी. का टिनेन्सी एक्ट। इस एक्ट की क्लॉज़ ४० है, उसमें यह प्रोवीजन है, उसमें यह रखा है कि ज्यादा से ज्यादा एक काश्तकार को पांच साल से ज्यादा अर्से के लिये सबलेटिंग का अधिकार नहीं। इससे आगे यदि वह करना चाहता है तो उस भूमि में दो-तीन साल तक खुदकाश्त करना पड़ेगा। तब वह पांच साल से ज्यादा अर्से तक सब लेट कर सकेगा। जैसी धारा इस वक्त हमारे बिल में मौजूद है वह यू. पी. टेनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ ४० से मिलती है। दूसरा प्रान्त बिहार है। बिहार टिनेन्सी लॉज़ को लीजिये, उसकी दफा ४६ की उपखण्ड (२) है। उसमें ज्यादा से ज्यादा अरसा बताया गया है, सब लेटिंग का सात साल का। रैयतदार को अधिकार है कि वह अपनी जमीन को सब-लेट कर सकता है और वह भी सात साल के लिये। उससे ज्यादा करना चाहता है तो बीच में एक साल का अर्सा रखा है खुदकाश्त करने का। वहां भी सात साल ज्यादा से ज्यादा अर्सा रखा है। उसको अधिकार है कि अपनी जमीन को एक साल के लिये, दो साल के लिये, ज्यादा से ज्यादा सात साल के लिये सब-लेट कर सकता है। उसमें यह भी प्रोविजन नहीं है कि रैयतदार को यह बाध्य कर दिया जावेगा कि तुमको सबलेट करना होगा तो सात साल से कम अर्से के लिये सब-लेट नहीं कर सकते।

अब आप पड़ोसी प्रान्त को लीजिये, वह है पंजाब। वहां के टिनेन्सी लाज में इस प्रकार का प्रोविजन मिलता है। वह प्रोवीजन उस एक्ट की दफा ५८ में मिलता है। उसमें यही दर्ज है। भिन्न भिन्न प्रान्तों के टिनेन्सी एक्ट किसी खातेदार टिनेन्ट को, जिसके नाम अलग अलग प्रान्त में अलग अलग हैं, सब लेटिंग के अधिकार अवश्य देते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने को अपने प्रान्त के टिनेन्सी एक्ट की ओर ध्यान देना है। अपने यहां ऐसी प्रोविजन हो जिससे कि मुसीबत में फंसे हुए काश्तकार को यह हक होना चाहिये कि वह अपनी जमीन को

[श्री जवानसिंह]

दूसरों को काश्त के लिए दे सके। तत्पश्चात् वापिस अपनी खेती के लिये उस खेत को प्राप्त कर सके। इन तमाम प्रान्तों के एक्टों के बावजूद हमारे माननीय मित्र, जो डीडवाना से आये हैं, ने एक संशोधन रखा है जो यह है कि सब लेटिंग कम से कम पांच साल तक के लिए हो।

अब हमें यह देखना है कि क्या इस प्रकार के संशोधन से खातेदार टिनेन्ट को या सबटिनेन्ट को या टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त को फायदा होने जा रहा है? इस संशोधित क्लॉज से क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि आप इससे अपने प्रान्त की खेती की ज्यादा तरक्की कर सकते हैं? क्या इससे कोई भी काश्तकार अपनी जमीन को एक साल के लिये, दो साल के लिये, या तीन साल के लिये सबलेट कर सकेगा? असलियत में देखा जाय तो अपने यहां इसके लिये काफी प्रतिबन्ध है। आर. पी. टी. ओ. के होने की वजह से उस जमीन के वापिस होने की उम्मीद ही नहीं रहती। खुला तौर से इस बात की छूट थी। जो जैसी धारा ओरीजिनल बिल में थी उसमें इस बात की छूट थी कि कुछ अर्से के लिये भी सब लेटिंग कर सकता है लेकिन जो संशोधित धारा मन्जूर की गई तो कोई भी समझदार काश्तकार चाहे वह खातेदार हो या खुदकाश्त होल्डर हो इस बात के लिये तैयार नहीं होगा कि अपनी जमीन को पांच साल के लिये सब लेट करे और अगर उसके बाद भी वह नोटिस देना भूल जाता है तो वह दस साल के लिये अपनी जमीन से हाथ धो बैठेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर. पी. टी. ओ. जो हमने लगाया था उससे केवल यही इच्छा थी कि काश्तकार को जो स्टेटस है वह उस हैसियत को मेन्टेन कर सके। यह हमने क्लॉज ६ की उपधारा (२) की तहत में आर. पी. टी. ओ. का समावेश किया था। इस वक्त हम देखते हैं कि जो आर. पी. टी. ओ. लगाया था जिस बात को ख्याल में रखते हुए लगाया था, आज जब कि हम यह एक्ट पास करने जा रहे हैं तो वही ख्याल हमें यहां पर भी रखना चाहिये जो उस वक्त में हम ने किया था। इन चीजों की उस वक्त जरूरत थी इसलिये लगाया था लेकिन अब जरूरत पूरी करने के बाद में हमने इस क्लॉज को इस अधिकार के रूप में परिणित कर दिया है और अब आप इस बात को मानने लगे हैं कि हर जमीन के ऊपर खातेदारी हक्क होने चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए आर. पी. टी. ओ. लगाया था, कि काश्तकारों को जो हक दे रहे हैं इससे वे अपना स्टेटस मेन्टेन कर सकें। अगर इस कानून में किसी खास पीरियड तक के अधिकार रख देते हैं तो यह कोई न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इससे तो यह माना जायगा कि जो चीज उन्होंने पहले ईमानदारी से कहीं थी आज वे ही अपनी ईमानदारी से इन्कार हो रहे हैं...

मैं इसके साथ साथ एक दृष्टान्त और देना पसन्द करूंगा। खुदकाश्त के सिलसिले में बहुत उम्मीदें दिलाई गई थीं और ईमानदारी के साथ यह कहा गया था कि खुदकाश्त का जो समझौता किया गया है उसके अनुसार हम खुदकाश्त दिलवाएंगे। मैं इसकी लम्बी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से आश्वासन दिलाये और क्या किया, पर यह कहना चाहता हूं कि जो ईमानदारी के साथ कहा जाता था, उनका अब निभाव नहीं हो रहा है और मैं तो यह कहूंगा कि हमें यह सब देख

[श्री जवानसिंह]

कर यहां तक सोचना पड़ रहा है कि क्यों नहीं इन राजप्रमुख और राजा महाराजाओं को खत्म कर दिया जावे। तो इस प्रकार ईमानदारी के साथ जिनके साथ में जो प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रोमिजेज़ किये है, एग्रीमेंन्ट्स किये हैं, उनका हम कहां तक पालन करते जा रहे हैं, इसको हमें समझना है और इस चीज में हमें शंका पैदा होती जारही है जब हम पुराने तमाम इतिहास को देखते हैं तो लगता है कि हम इन चीजों की अवहेलना करते जा रहे हैं। तो हमें शंका हो जाती है कि अगर इस पांच साल की सब लेटिंग का अधिकार हम देते हैं और दूसरे वक्त पांच साल का और देते हैं तो क्या इससे यह उम्मीद की जावे कि इस प्रकार का खातेदारी का हक होगा या वक्त जो खातेदार हैं उसका पांच दस साल बाद अधिकार रह भी सकेगा या नहीं। मेरी तो यह धारणा है कि जो संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है; अच्छी तरह से सोच समझकर और बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ पेश किया गया है, और इससे ऐसी परिस्थिति पैदा की गई है कि हम सब लेटिंग के लिए ५ साल का अर्सा नियत करते हैं और इस अर्से के दर्मियान में दूसरा संशोधन इस प्रकार का भी ला सकते हैं, जिसके कारण टिनेन्ट के खातेदारी के हक रहेंगे भी नहीं। हम इस चालाकी के लिये और इस समझदारी के लिए अवश्य उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या इस प्रशंसा का अर्थ यह नहीं माना जावेगा कि हम जिस आदमी को हक हकूक देना चाहते हैं, वह हक उस वक्त उन आदमियों का जो खातेदार टिनेन्ट या खुदकाश्त होल्डर इस समय हैं उनके अधिकार को हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं। क्या इस बात को हम इस तरह से नहीं मानते हैं ? जिनको अधिकार दिये हैं खातेदारी के उन खातेदार टिनेन्ट्स को और खुदकाश्त होल्डर्स को हम मिटाना चाहते हैं। मेरा तो यह ख्याल है कि अगर एक आम तौर से और साधारण तौर से पांच साल का सबलेटिंग का अधिकार देते हैं तो अवश्य उसको उस जमीन पर काश्त करने का अधिकार होना चाहिये। मैं मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति पांच साल के लिए एक जमीन से अलग रह सकता है और अपनी रोजी का अलग रास्ता ढूंढ सकता है तो उसका क्या अधिकार है कि वह सब टिनेन्ट को वंचित कर दे और अपने उस अधिकार को वापिस लेले साथ में हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर सब टिनेन्ट और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त काश्त करता होगा और पांच साल तक करता आ रहा है और पांच साल के बाद में हटा दिया जावेगा तो उसके लिए कोई नहीं बच जावेगा और परिस्थिति विषम हो सकती है। तो इस तरह से आप अनएम्प्लोयमेंट को भी और ज्यादा फैलाओगे .जिससे आपको फायदा नहीं नुकसान होने जा रहा है और टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त और सब टिनेन्ट सभी को नुकसान है।

मैं सदन का ध्यान हमने जो थोड़े दिन पहले राजस्थान लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट पास किया है, उसकी तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। हमने इसमें एक क्लॉज़ इस ख्याल से पास की है कि अगर कोई काश्तकार अपनी जमीन पर कुछ अर्से तक के लिये खेती छोड़ देता है, दो वर्ष के लिए तो फिर आगे वह उस जमीन को पाने का हकदार नहीं है। तो इस पर वह सब-लेट कर दी जावेगी और किसी व्यक्ति के पास में तीन वर्ष तक के लिए।

[श्री नवानसिंह]

हमने वहां पर एक सिद्धान्त को माना है कि अगर एक व्यक्ति को जमीन दी जाती है तो उसको समझ लिया जावे कि तीन साल के लिए वह सब लेट कर सकता है। कम से कम यह सुझाव मेरी तरफ से नहीं उधर बैठने वालों की तरफ से था, जिन्होंने यह कहा था कि कम से कम तीन साल का मौका देना चाहिये ताकि वह अपनी जमीन में खाद डाल सके और उस पर इम्प्रूवमेंट कर सके और अगर सबलेट की जावे तो तीन साल में वह उसका फायदा भी उठा सके। तो हमने सिद्धान्त रूप में यह चीज मन्जूर की है। पर यहां पर उस सिद्धान्त का ख्याल नहीं किया जा रहा है और तीन के बजाय पांच साल की अवधि रक्खी जा रही है तो इस प्रकार का हम एक कानून से दूसरे कानून का कोई सम्पर्क रखना नहीं चाहते हैं। पहले हमने जो जो किया है उससे विमुख करते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा यह निश्चित मत है कि हम इस प्रकार की उलझनें पैदा करके किसानों का कोई हित करने नहीं जा रहे हैं।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय चेयरमेन महोदय, कि इस संशोधन को जो अब प्रस्तुत किया गया, उसकी कम से कम पहली धारा में कि वह पांच साल से कम अर्से के लिए कोई भी आदमी अपनी जमीन को सब लेट नहीं कर सकता इसको किसी सूरत में मन्जूर नहीं किया जावे।

अब इसके आगे और भी बहुत से क्लॉजिज़ हैं और उनमें जहां तक दूसरी और तीसरी का सम्बन्ध है वह उस चीज को डील करती है कि जिससे पांच साल का सवाल है।

जहां तक चौथी क्लॉज़ का सवाल है इस बात को मैं प्रशंसा के रूप में अवश्य निवेदन करूंगा कि होने इन्वान्ड के लिए सबलैटिंग को उसके लिए भी यहां पर प्रोविज़न कर दिया गया है। ओरिजिनल बिल में इस चीज की कमी रह गई थी जिसको इसमें पूर्ति कि गई है, जो ठीक है और इसलिये इस क्लॉज को धारा ४ को पास हो जाना आवश्यक है।

रही धारा ५ जो मेरा ख्याल है यू.पी के आधार पर ली है और वह आवश्यक भी है मेरा ख्याल है टिनेन्ट का कम से कम एक साल का अवकाश देना चाहिये पर इसमें मेरा यह संशोधन है, शायद वह मन्जूर कर लिया जावे, उसमें इस बात का प्रोविजन है कि एक साल के लिए गैरखातेदार टिनेन्ट का हक रहेगा कि वह सब-लेट कर सके। इसके साथ ही दूसरी धारा और जोड़ी जा सकती थी कि अगर एक साल के लिये गैरखातेदार सब लेट कर सकता है तो एक के बाद में वापिस सब लेट करने के दरमियान में एक साल तक खुद को काश्त करना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रोविजन ओरीजिनल बिल में है धारा ३९ में। इस प्रकार से यह क्लॉज़ इसमें लिया जा सकता था कि एक एक साल के सबलेटिंग के बीच में गैरखातेदार को खुद को काश्त करना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि इसका प्रोविजन अगर कर दिया जावेगा तो ठीक हो जावेगा बाकी जैसा है वैसा रहने देना चाहिये।

Page No.68

श्री सभापति—अब समय हो गया है इसलिए आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है और सोमवार दिनांक ३० अगस्त को ४ बजे अपरान्ह को हम फिर मिलेंगे।

(विधान सभा की कार्यवाही ११ बज कर ५८ मिनट पर दिनांक ३० अगस्त, १९५४ अपरान्ह ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २७ अगस्त, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.69

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखा गया तथा जिसके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

प्रश्न

१६४६ (१३५ एम. एच. एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३६—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, का एकीकरण अभी तक नहीं किया गया है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त एकीकरण के न होने से राजस्थान के कर्मचारी वैद्यों का समान स्तर नहीं हो पाया है और भिन्न स्तर ही चल रहा है ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि वैद्यों के वेतन चपरासियों जैसे चल रहे हैं और औषधालयों में बुहारी देने का कार्य भी वैद्यों को ही करना पड़ रहा है !

(घ) क्या यह भी विदित है कि औषधालयों में औषधियां भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहीं हैं ?

(ङ) कब तक उक्त विभाग का एकीकरण किया जाना सम्भव है ।

उत्तर

(क) वैद्यों के एकीकरण न होने का मुख्य कारण यह है कि उनकी विभिन्न श्रेणियों की संख्या तथा योग्यता के आधार का निर्णय नहीं हो पाया था । अब यह निर्णय हो गया है और शीघ्र ही एकीकरण हो जायगा ।

(ख) अभी समान स्तर नहीं हो पाया । जोधपुर डिविजन के वैद्यों और औषधालयों की घोर दुर्दशा होने का कोई कारण नहीं है ।

(ग) ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं है ।

(घ) यह सही नहीं है, बजट के अनुसार औषधियां दी जाती हैं ।

(ङ) शीघ्र ही ।